28 वीं वार्षिक रिपोर्ट
28TH ANNUAL REPORT
2015-16

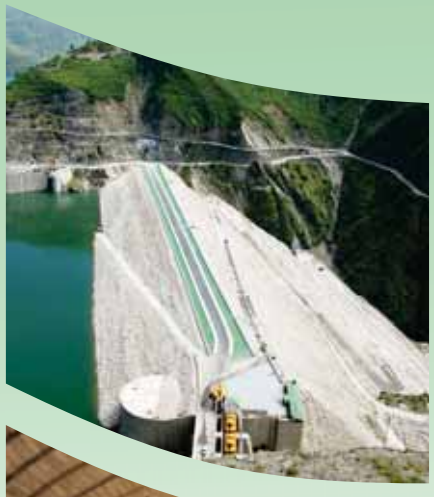

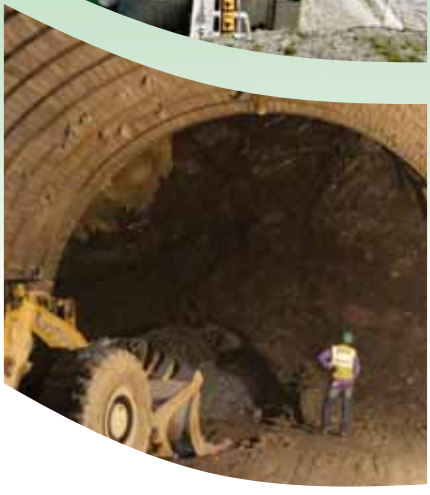
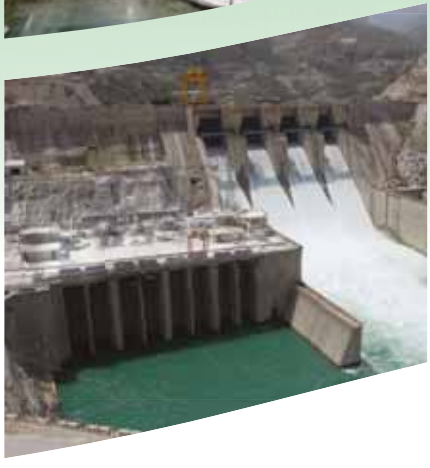

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

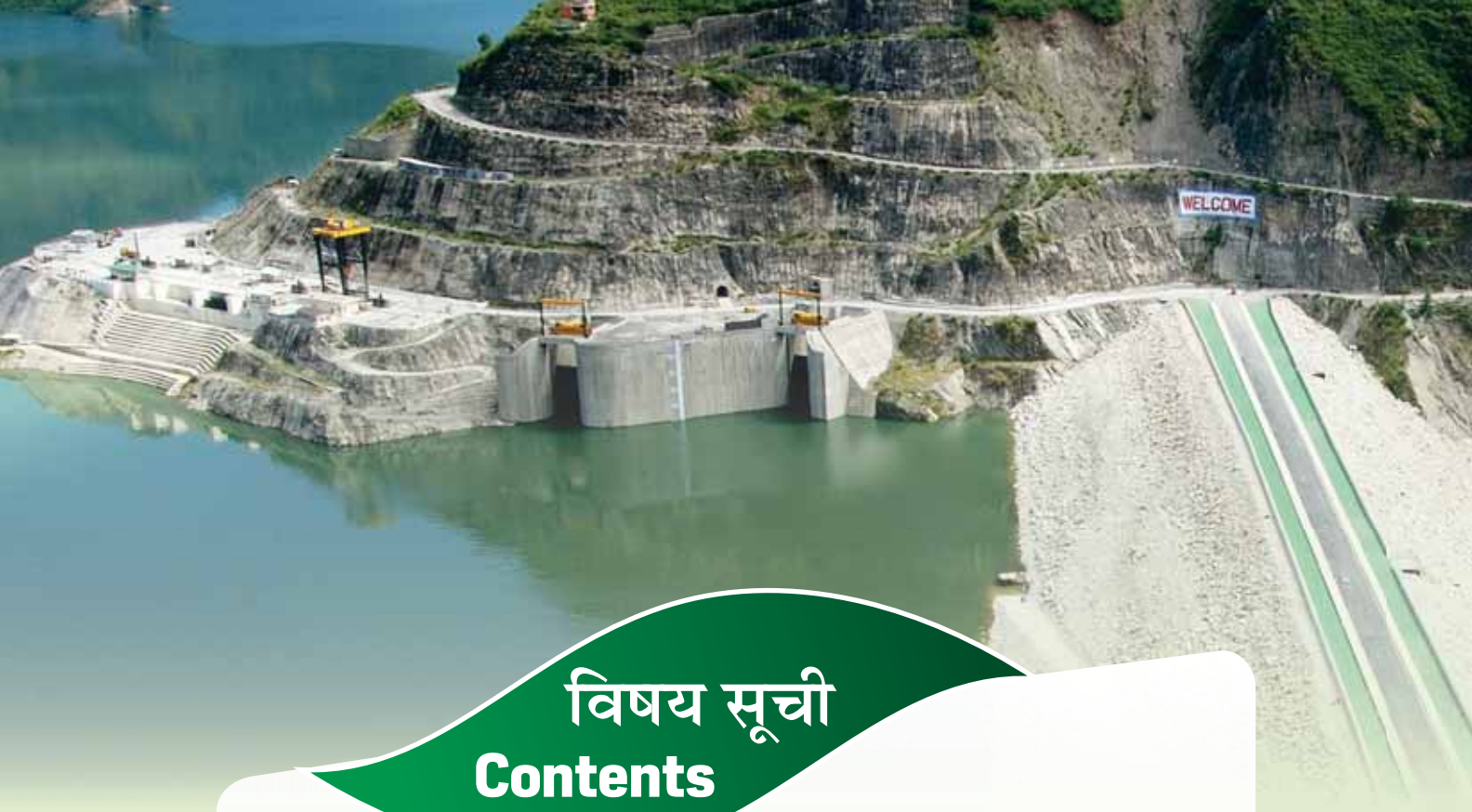

विषय सूची
Contents

निदेशक मंडल **Board of Directors**	**3**
अध्यक्ष का अभिभाषण **Chairman's Address**	**5**
निदेशकों की रिपोर्ट **Directors' Report**	**9**
व्यवसाय सिंहावलोकन **Business Overview**	**27**
कारपोरेट सुशासन के संबंध में रिपोर्ट **Report on Corporate Governance**	**60**
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सततता की रिपोर्ट **Report on Corporate Social Responsibility & Sustainability**	**76**
व्यापार दायित्व रिपोर्ट **Business Responsibility Report**	**94**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां **Significant Accounting Policies**	**125**
तुलन–पत्र **Balance Sheet**	**129**
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट **Independent Auditor's Report**	**169**
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **Comments of C & AG of India**	**178**

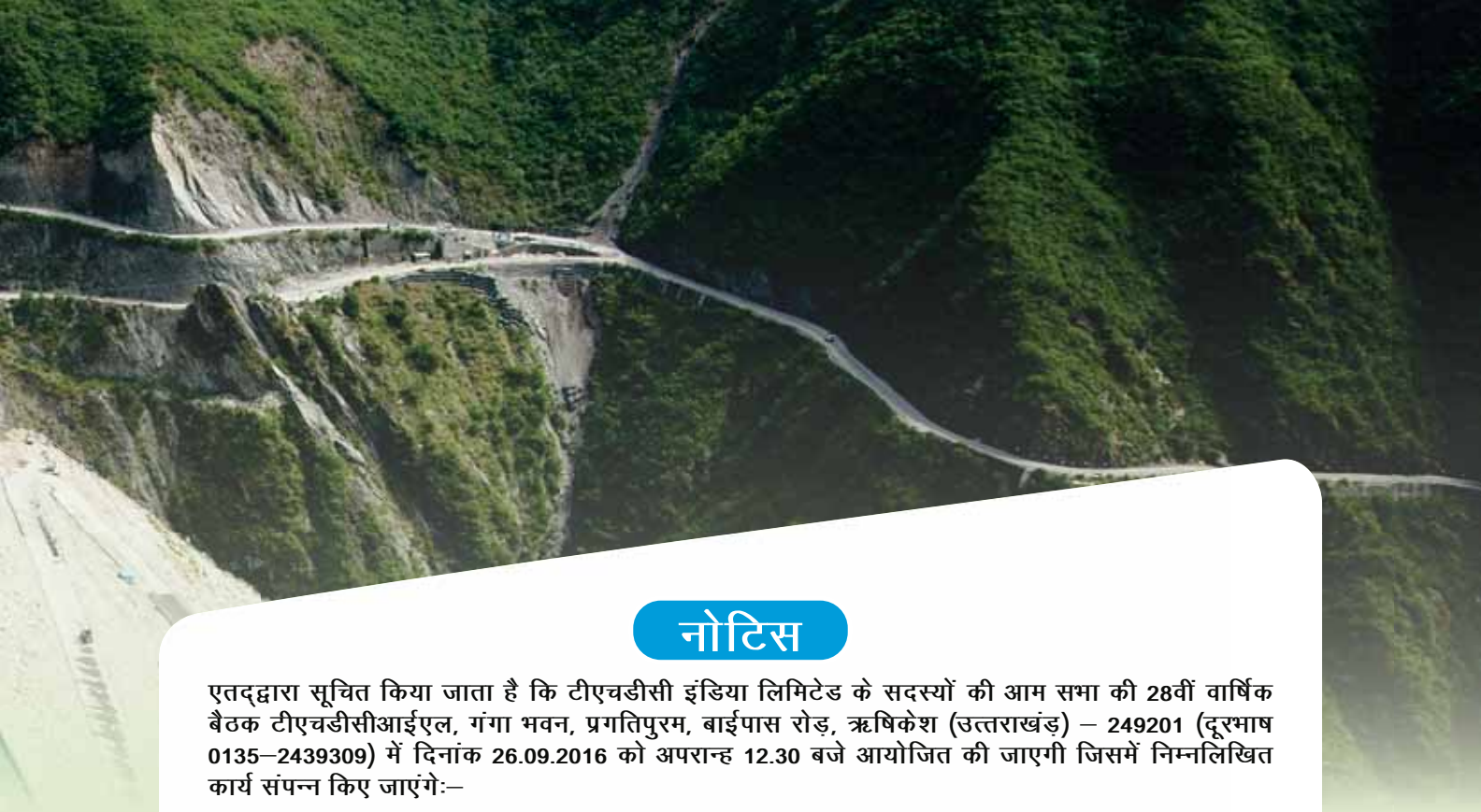

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की आम सभा की 28वीं वार्षिक बैठक टीएचडीसीआईएल, गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड़, ऋषिकेश (उत्तराखंड़) – 249201 (दूरभाष 0135–2439309) में दिनांक 26.09.2016 को अपरान्ह 12.30 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाएंगे:–

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ–साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।
2. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करना।
3. वर्ष 2015–16 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना।

विशेष कार्य

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करना।
4. प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय गैर–संचयी बांड जारी करना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश से

(एस.क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
मो. 9412998458

सेवा में,

- टीएचडीसीआईएल के सभी सदस्य
- श्रीमती रेणुका कुमार, निदेशक (हाईडल), विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001
- श्री एस.के.शर्मा, मुख्य अभियंता (गंगा) उत्तर प्रदेश सरकार
- टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखापरीक्षक– पीडी अग्रवाल एंड कंपनी, 364ए, गोविंदपुरी, हरिद्वार–249403
- सचिवालयी लेखा परीक्षक–श्री पीएसआर मूर्ति

नोट:–

बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार कंपनी का सदस्य प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार होगा जो उसके स्थान पर बैठक में भाग लेकर मत दे सकेगा। प्राक्सी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्राक्सी फार्म और व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 16.09.2016

पंजीकृत कार्यालय

भागीरथी भवन (टॉप टेरिस), भागीरथीपुरम,
टिहरी (गढ़वाल) – 249001 (उत्तराखण्ड)
सीआईएन : यू45203यूआर1988जीओआई009822

अन्य कार्यालय

ऋषिकेश
प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201 (उत्तराखंड)

एनसीआर
प्लाट नं. 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)

देहरादून
26, ईसी रोड, देहरादून–248001 (उत्तराखंड)

लखनऊ
101, राज अपार्टमेंट, 7 जॉपलिंग रोड, लखनऊ – 226001 (उ.प्र.)

पुणे
अरूण प्लाजा, द्वितीय तल, गली नं. 19/3, हिंजेवाडी रोड,
डांगे चौक, तिरगांव, पुणे – 411033 (महाराष्ट्र)

वीपीएचईपी
अलकनंदापुरम, सियासेन, पीपलकोटी, जिला– चमोली (उत्तराखंड)

खुर्जा
गांव एवं पोस्ट – दशहरा, खुर्जा, जिला–बुलंदशहर–203131 (उ.प्र.)

कम्पनी सचिव

श्री एस. क्यू. अहमद

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.डी. अग्रवाल एण्ड कंपनी
चार्टेड एकाउटेंट
364ए, गोविंदपुरी, हरिद्वार–249403

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

यह रिपोर्ट 26.09.2016 को कंपनी की 28वीं वार्षिक आम सभा में पारित की गई।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

निदेशक मंडल

26.09.2016 के अनुसार

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री दीपक सिंघल
प्रमुख सचिव (सिंचाई), उ.प्र. सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव (ऊर्जा), उ.प्र. सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती अंजू भल्ला
संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री डी.वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.के. बिस्वास
निदेशक (कार्मिक)

श्री श्रीधर पात्रा
निदेशक (वित्त)

श्री बची सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री मोहन सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री महाराज के. पंडित
स्वतंत्र निदेशक

हमारी अभिदृष्टि

पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना।

हमारा मिशन

- ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास तथा प्रचालन करना।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करना।
- सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ सतत मूल्य आधारित संबंध स्थापित करना।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पनुर्स्थापन करना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियों और सज्जनों,

मैं आपकी कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ष 2015–16 की लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे पहले से ही आपके पास है और मैं यह मान लेता हूं कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के दोनों प्रचालनात्मक संयंत्रों यथा 1000 मे.वा. टिहरी एचपीपी तथा 400 मे.वा. कोटेश्वर एचईपी ने अच्छे निष्पादन को बनाए रखा है। संयंत्रों से उनके संयुक्त डिजाइन ऊर्जा 3952 मि. यू. के मुकाबले 4348 मि.यू. का उत्पादन किया गया। टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी से क्रमशः 81% तथा 70% से अधिक प्रचालनीय दक्षता प्राप्त हुई जो कि नियामकों द्वारा निर्धारित आंकड़ों 77% तथा 68% से काफी अधिक है। आपकी कंपनी का वर्ष 2015–16 का पंजीकृत टर्नओवर रू. 2479.65 करोड़ तथा करोपरांत लाभ 809.02 करोड़ रहा जबकि यह पिछले वर्ष क्रमशः रू. 2407.93 करोड़ एवं रू.691 करोड़ था। वर्ष के दौरान करोपरांत लाभ 17.08% बढ़ गया। इस वर्ष सहमति ज्ञापन(एमओयू) की रेटिंग 'बहुत अच्छी' अपेक्षित है।

चल रहीं परियोजनाएं

444 मे.वा. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी पर सभी तरह का कार्य प्रगति पर है तथापि ठेकेदार की नकदी प्रवाह तथा कुछ स्थानीय समस्याओं के कारण कार्य की गति मंद रही। 1000 मे.वा. टिहरी पीएसपी का निर्माण कार्य भी ऐसी ही समस्याओं के साथ–साथ विपरीत भू–विज्ञान संबंधी दशाओं के कारण प्रभावित हुआ। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि सभी क्षेत्रों में कार्य–प्रगति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं तथा ठेकेदार की नकदी प्रवाह को सहज करने के लिए भी अनुकूल तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान 1320 मे.वा. खुर्जा एसटीपीपी की प्रगति प्रेरक रही। भूमि के अधिकांश भाग का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है। राइट्स के माध्यम से रेलवे साइडिंग बनाने का कार्य प्रगति पर है। कोयला मंत्रालय ने अमेलिया कोल ब्लाक को जनहित में खुर्जा एसटीपीपी को आबंटित कर दिया है। अमेलिया कोयला खान आबंटन का औपचारिक अनुबंध प्रतीक्षित है।

अक्षय ऊर्जा

सूर्योदय क्षेत्र अक्षय ऊर्जा है तथा भारत सरकार की अनेक नीतियों के निर्णय सौर एवं पवन क्षेत्रों को गति दे रहे हैं। सरकार ने अक्षय ऊर्जा में 175 जीडब्ल्यू क्षमता निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

देवियों और सज्जनों, मैंने पिछले वर्ष आपको यह जानकारी दी थी कि सरकार की नीति के अनुरूप आपकी कंपनी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों यथा पवन एवं सौर जैसे विविध क्षेत्रों में निष्ठा के

साथ प्रयास कर रही है। मुझे आपको यह अवगत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी ने 29 जून, 2016 को गुजरात के पाटन में 50 मे.वा. का पवन ऊर्जा संयंत्र संस्थापित किया है। इससे आपकी कंपनी ने ग्रिड में 50 मे.वा. अक्षय ऊर्जा और जोड़ दी है। इस अनुभव से उत्साहित होकर आपकी कंपनी ने 50–75 मे.वा. क्षमता वाले एक और पवन ऊर्जा फार्म के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

आपकी कंपनी ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ फरवरी, 15 में 250 मे.वा. क्षमता वाले सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना से संबद्ध ग्रिड की स्थापना हेतु एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रारंभिक रूप से 50 मे.वा. हेतु कार्य प्रस्तावित है। एक त्रि–पक्षीय अनुबंध एसईसीआई, केरल राज्य विद्युत बोर्ड तथा टीएचडीसीआईएल ने केरल के कासरगोड

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर–कमलों से प्रतिष्ठित "स्कोप उत्कृष्टता अवार्ड की गोल्ड ट्राफी" प्राप्त करते टीएचडीसीआईएल के अ.प्र.नि., श्री आर.एस.टी.शाई

जिले में 50 मे.वा.सौर परियोजना के विकास के लिए मार्च, 2015 में हस्ताक्षरित किया गया। एसईसीआई भूमि का स्वामित्व पहले ही प्राप्त कर चुका है तथा घरेलू कंटेंट रिक्वायरमेंट आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की 24 मे.वा. ढुकुवां लघु हाइड्रो परियोजना के कार्य की प्रगति संतोषजनक है। आपकी कंपनी को विश्वास है कि यह परियोजना मार्च, 18 तक पूर्ण हो जाएगी। आपकी कंपनी इस परियोजना के खुले चैनलों के ऊपर उपलब्ध स्थान का लाभ उठाते हुए नहर के ऊपर भी सौर परियोजना स्थापित करना चाहती है।

आपकी कंपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने तथा विद्यमान परियोजनाओं से श्रेष्ठतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सततता

हितधारकों के बृहदतम हित में आपकी कंपनी ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत्ता हेतु विविध पहल की हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार आपकी कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के करोपरांत लाभ का औसतन 2% बजट निर्दिष्ट किया है। आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि व्यापारिक गतिविधियां तथा सीएसआर गतिविधियां पर्यावरण, परिस्थितिकी तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति, प्रतिबद्धता के साथ संचालित की जानी चाहिए।

सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत, कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठन (सीओएनजीओ) सेवा (सोसाइटी फॉर इम्पावरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज) सतत जीविका, समग्र विकास तथा लक्ष्य समुदायों की भलाई के लिए आपकी कंपनी के प्रचालनीय क्षेत्र में कार्यरत है। आपकी कंपनी द्वारा प्रायोजित एक अन्य सीओएनजीओ अर्थात टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस) दो विद्यालय संचालित कर रही है, जहां गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी कोटेश्वर परियोजना क्षेत्र में 'ओमकारानंद आश्रम' द्वारा संचालित विद्यालय का भी वित्त पोषण कर रही है। यह विद्यालय पड़ोस के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लाभ हेतु वीपीएचईपी में एक और विद्यालय स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। आपकी कंपनी ने भागीरथीपुरम, टिहरी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज यथा' इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी (आईएचईटी) स्थापित किया है। यह संस्थान उत्तराखंड़ तकनीकी विश्वविद्यालय के एक घटक के रूप में संचालित है। यह पहल मूल इंजीनियरिंग क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा क्षेत्र में हाइड्रोपावर के विकास को बढ़ाने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु की गई है। आईएचईटी से अभी तक दो बैच निकल चुके हैं।

कारपोरेट सुशासन

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुपालनार्थ आपकी कंपनी को प्रारंभ से ही 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई है। आपकी कंपनी

कारपोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सर्जन हेतु व्यावसायिक एवं पारदर्शी तरीकों को जारी रखेगी। आपकी कंपनी इन्हें सुरक्षित, संरक्षित एवं संतुलित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय जीआरआई मानकों को शामिल करते हुए छठी सततता रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। निरंतर सुधार हेतु प्रतिपुष्टि और पारदर्शिता के लिए सततता रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट पर लोड कर दी गई है। आपकी कंपनी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए व्यापार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) तथा प्रबंधन विचार विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) के अध्यायों के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

भावी दृष्टिकोण

आप मुझसे सहमत होंगे कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में विद्युत आपूर्ति एक महत्वपूर्ण अंग है। दोहरे अंकों में जीडीपी वृद्धि पर प्राप्त कर उसे बनाए रखने के लिए हमें विद्युत उत्पादन में आनुपातिक अतिरिक्त क्षमता को सुनिश्चित करना होगा। सरकार ने भी समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 2018–19 तक ''24x7'' सबको विद्युत' का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी को सामर्थ्य के अनुसार विद्युत उपलब्ध कराना समय की मांग है और यह पूंजी के उत्पादक उपयोग से ही संभव है। आपकी कंपनी सतत प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड़ सरकार से टिहरी जलाशय को इसकी पूर्ण क्षमता 830 मी. ईएल तक भरने की दीर्घकालीन अप्राप्य अनुमति प्राप्त हो जाए। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सिंचाई के अतिरिक्त लाभ के साथ–साथ बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन भी मिल सकेगा।

घरेलू बचत स्तर तथा प्रवाही एफडीआई की स्थिति में क्षमता वृद्धि हेतु निधि व्यवस्था इस समय कोई समस्या नहीं है। लेकिन सुशासन के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में यह परियोजनाओं की लागत एवं समय सीमा में वृद्धि तथा विद्युत केंद्रों के सक्षम प्रचालन को प्रभावित करता है।

आपकी कंपनी की क्षमता वृद्धि योजनाओं ने सुशासन के विकास को प्रभावित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित 24 परियोजनाओं की सूची में आपकी कंपनी की उत्तराखंड़ में 5 परियोजनाएं शामिल हैं। हितों के संघर्ष में वनों के स्वामी के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा विकास परियोजनाओं के प्रशासक के रूप में निर्बाधता इस मुद्दे का मूल प्रश्न है। स्वतंत्र अर्द्ध–न्यायिक अधिकरण को निर्बाधता हेतु सौंपना, जो पारदर्शी रूप से सुनवाई कर सके, गतिरोध को हल करने का यही एक मार्ग है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ब्यूरोकेसी को ऐसी कार्य सलाहकार समितियों के कंधों पर डालना ज्यादा सुविधाजनक प्रतीत होता है। इसमें अक्सर अस्पष्ट परिचय वाले आभासी विशेषज्ञ होते हैं जो मनमाने तरीकों से कार्य करते हैं तथा अनेक निर्णीत निर्णयों को पुनः खोलकर बैठ जाते हैं। आपकी कंपनी के वीपीएचईपी के लिए न्यूनतम प्रवाह का निर्धारण ऐसी

वर्ष 2016–17 के लिए एमओयू दस्तावेजों का आदान प्रदान करते श्री पी.के. पुजारी, सचिव (विद्युत) मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री आर.एस.टी.शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल

अत्यवस्थित कार्यप्रणाली का एक उदाहरण है। प्रमुख निणयों को एक बार लेने के बाद उन्हें बदलना नहीं चाहिए। देश में निवेश वातावरण को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है।

आभार

देवियों एवं सज्जनों, आपकी कंपनी की सफलता की कुंजी इसके लगभग 2000 कर्मचारियों के कठोर परिश्रम और ईमानदारी से किए गए प्रयास हैं। आपकी कंपनी के सभी कर्मचारियों को इस क्षेत्र के लिए लाभकारी ज्ञान, कौशल प्राप्त करने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिलाया जाता है। ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार से उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं विद्युत मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, सीईए, सीडब्ल्यूसी को उनकी सहायता और सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी कंपनी के विकास में अपना सहयोग देने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का भी धन्यवाद करता हूं।

कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक का दृश्य

मैं इस अवसर पर अपने सभी हितधारकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम पर विश्वास किया और निरंतर सहायता दी। मैं आपकी कंपनी की प्रगति के लिए वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों के प्रति भी उनके सहयोग और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं बोर्ड के सभी सम्मानित सहयोगियों की उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए सराहना करता हूँ।

देवियों और सज्जनों, आपकी कंपनी की वार्षिक आम सभा को संबोधित करने का यह मेरा 10वां सुअवसर है। मैं शीघ्र ही अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहा हूं। मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी। मैं इस रोमांचक यात्रा में आपका पूर्ण सहयोग और प्रोत्साहन चाहता हूं, जो आगामी वर्ष में और अधिक चुनौतीपूर्ण एवं लाभप्रद होगी

(आर.एस.टी.शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 0171920

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 26.09.2016

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

निदेशकों की रिपोर्ट 2015–16

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य विशेषताएं

- वर्ष 2014–15 के 4214.18 मि.यू. की तुलना में वर्ष 2015–16 में विद्युत उत्पादन बढ़कर 4348.29 मि.यू हो गया।
- डिस्कॉमस से राजस्व वसूली का आंकड़ा चालू वर्ष की बिक्री का 100% था।
- वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी को ''उत्कृष्ट'' एमओयू रेटिंग प्रदान की गई।
- वर्ष 2014–15 के 6300.25 मिलियन रूपए की तुलना में वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (केपेक्स) 10905.91 मिलियन रूपए था।
- वर्ष के दौरान करोपरांत लाभ (पीएटी) में 17.06% की वृद्धि हुई जो 31.03.2016 को 8090 मिलियन रूपए था।
- पाटन पवन फार्म, गुजरात में 50 मेगा वॉट पवन विद्युत परियोजना को अधिसूचित प्रचालन समय सूची से 2 महीने पहले 29 जून, 2016 को चालू किया गया।
- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में स्कूलों में 1188 शौचालयों का निर्माण पूरा किया गया।
- टीएचडीसीआईएल को 11.04.2016 को स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार–2016 प्रदान किया गया।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं:–

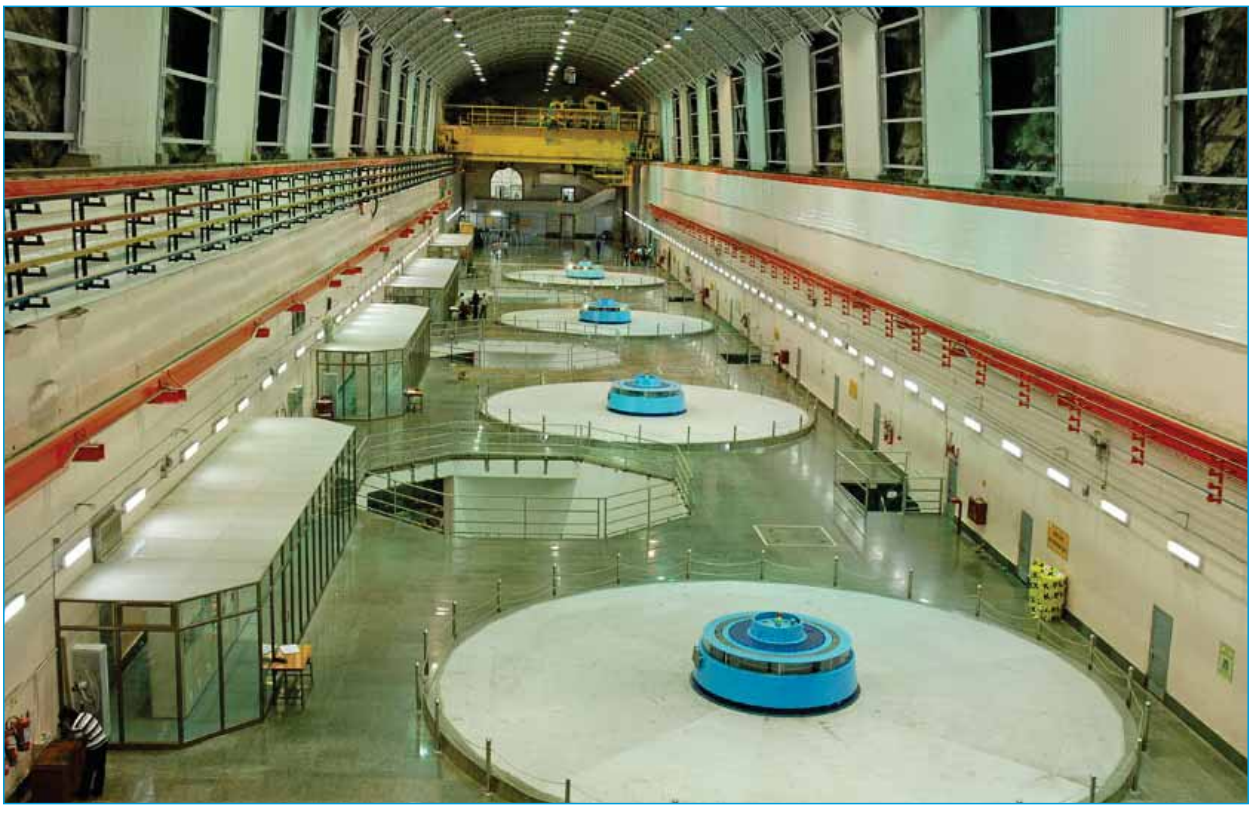

टिहरी एचपीपी 1000 मे.वा. के भूमिगत विद्युत गृह का दृश्य

(₹ मिलियन में)

विवरण	2015-16	2014-15
आय		
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	24665	23971
अन्य आय	132	108
सकल आय (क)	**24797**	**24079**
व्यय		
कर्मचारियों के हितार्थ व्यय	2302	2244
वित्तीय लागत	3289	4388
मूल्यह्रास	4928	4839
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1810	1785
संदिग्ध ऋण प्राप्य, अनुपयोगी सामग्री/बट्टे खाते हेतु प्रावधान	1	2044
प्रशुल्क समायोजन (विनियामक दायित्व)/ पूर्वावधि समायोजन	106	1399
असाधरण मदें – (आय)/व्यय–निवल	3483	0
कुल व्यय (ख)	**15919**	**16699**
कर पूर्व लाभ(पीबीटी) (क–ख)	**8878**	**7380**
कर	788	469
करोपरांत लाभ (पीएटी)	**8090**	**6911**

वित्तीय निष्पादन

सकल राजस्व एवं लाभ

आपकी कंपनी ने गत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2015–16 में करोपरांत लाभ (पीएटी) के साथ–साथ सकल राजस्व अर्जन में वृद्धि दर्ज की है। गत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2015–16 में सकल राजस्व करोपरांत लाभ (पैट) के % में वृद्धि हुई है। सकल राजस्व, करोपरांत लाभ (पीएटी) तथा सकल राजस्व के प्रति करोपरांत लाभ में % में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:

(₹ मिलियन में)

विवरण	2015-16	2014-15	वृद्धि
सकल राजस्व	24797	24079	718
करोपरांत लाभ	8090	6911	1179
सकल राजस्व के प्रति करोपरांत लाभ %	32.62%	28.70%	3-92%

गत पांच वर्षों का निवल लाभ का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण नीचे दर्शाया गया है:

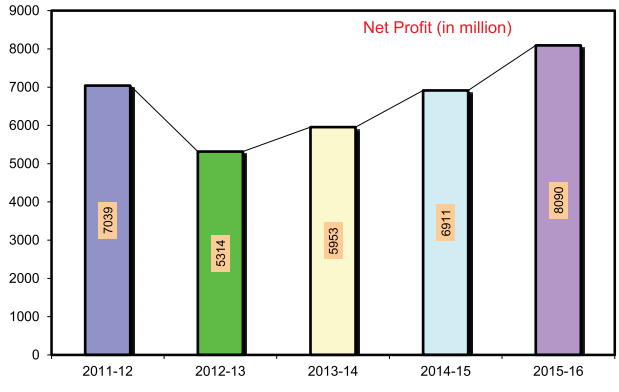

लाभांश

चल रहे केपेक्स कार्यक्रम के वित्त पोषण, डिस्कॉम्स से धीमी वसूली तथा नकदी की स्थिति के लिए प्रतिधारित आय के पुनर्निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपके निदेशकों ने चालू वित्त वर्ष 2015–16 के लिए रू. 45.52 प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश के लिए संस्तुति की है। वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान रू. 1620.00 मिलियन है जो करोपरांत लाभ (पीएटी) का 20% है।

भारत सरकार ने दिनांक 5 जनवरी, 2016 के का.ज्ञा.सं. 3(3)–बी (एस)/2015 द्वारा दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें सुझाव दिया गया है कि लाभांश का भुगतान निवल संपत्ति का 5% या करोपरांत लाभ (पैट) का 30%, जो भी ज्यादा हो, किया जाए। उपर्युक्त दिशानिर्देशों में प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से उपर्युक्त लाभांश के भुगतान संबंधी दिशानिर्देशों में छूट लेने की व्यवस्था का प्रावधान है। तदनुसार विद्युत मंत्रालय से छूट मांगी जाएगी।

पूंजीगत ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 40000 मिलियन रू. है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 35589 मिलियन रू. है। वर्ष के दौरान कंपनी को इक्विटी के लिए भारत सरकार से 300 मिलियन रू. प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2015–16 के लिए केपेक्स 10905.91 मिलियन रूपये था।

प्रचालनात्मक निष्पादन

- **टिहरी तथा कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों से उत्पादन**

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा टिहरी और कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन तथा संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं:–

संयंत्र का नाम	मि.यू. में उत्पादन			पीएएफ की प्रतिशतता		
	एमओयू लक्ष्य (उत्कृष्ट)	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा)	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य (उत्कृष्ट)	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा)	उपलब्धि
टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	3066	2920	3101.08	84	80	81.295
कोटेष्वर एचईपी (400 मेगावाट)	1239	1180	1247.21	70	67	70.134

टिहरी एचपीपी एवं कोटेश्वर एचईपी की अनिवार्य फोर्स्ड आऊटेज वर्ष 2015–16 के दौरान क्रमशः 0.09% एवं 1.856% हो गया है।

वाणिज्यिक निष्पादन

आपकी कंपनी लाभार्थी डिस्कॉमस को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। गत वर्ष की तुलना में आपकी कंपनी के कारोबार से राजस्व के मामले में वाणिज्यिक निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

(मिलियन ₹ में)

विवरण	2015–16	2014–15
प्रचालनों से राजस्व	24665	23971.6
नकदी वसूली(%)	100	83

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने बड़ोदरा में पवन विद्युत परियोजना (50 मेगावाट) के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 15 जून, 2016 को विद्युत क्रय करार किया है। परियोजना शुरू हो गई है और पूर्ण रूप से प्रचालानात्मक है। 2–2 मेगावाट की सभी 25 यूनिटों में उत्पादन हो रहा है।

परियोजना वित्तपोषण

कंपनी ने वीपीएचईपी के लिए विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन यू.एस. डालर का वित्तपोषण सुनिश्चित किया है। टिहरी पीएसपी के लिए एसबीआई के नेतृत्व वाले सहायता संघ के साथ रू.15000 मिलियन का ऋण तथा सोसाइटी जनरल के साथ 83.87 मिलियन यूरो का ऋण सुनिश्चित किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने वीपीएचईपी के लिए विश्व बैंक से 25.71 मिलियन यू.एस. डालर एवं टिहरी पीएसपी के लिए एसबीआई के नेतृत्व वाले सहायता संघ से 4263.30 मिलियन रू. की ऋण राशि का आहरण किया है।

वीपीएचईपी तथा टिहरी पीएसपी हेतु लिए गए ऋण का विवरणः

परियोजना का नाम	ऋणदाता का नाम	ऋण धनराशि	मुद्रा	वर्ष 2015–16 के दौरान आहरित राशि	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण
वीपीएचईपी					
1	विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	648 मिलियन यूएस डॉलर	यूएस डॉलर	₹ 180.23 करोड़	₹ 342.75 करोड़
टिहरी पीएसपी					
1	एसबीआई	₹ 1500 करोड़	₹	₹ 426.33 करोड़	₹ 1166.32 करोड़
2	सोसाइटी जनरल	83.87 मिलियन यूरो	यूरो	0.00	0.00

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

- **टिहरी पीएसपी (4x250 मेगावाट)**

पंप स्टोरेज प्लांट(पीएसपी) पानी के पुनर्चक्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। टिहरी पीएसपी में प्रत्येक 250 मेगावाट की 4रिवर्सिबल इकाईयां होंगी। ये ऑफ पीक ऊर्जा को व्यस्ततम ऊर्जा में परिवर्तित करेंगी। पीक ऑफ आवर के दौरान पंपिंग प्रचालन के लिए 1651.66 मिलियन यूनिट ऊर्जा की जरूरत होगी। व्यस्त समय में यह टरबाइन मोड़ पर कार्य करेगी ताकि उत्तरी क्षेत्र के लिए 1321.82 मि.यू. अतिरिक्त पीकिंग पावर का उत्पादन किया जा सके।

जुलाई, 2011 में ईपीसी संविदा किए जाने के चलते कंपनी को विभिन्न वाह्य कारकों का सामना करना पड़ा जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान से समग्र खनन के लिए अनुमति में देरी, निर्धारित डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने की मनाही तथा सिविल ठेकेदारों इत्यादि के साथ नकदी संकट के चलते कार्य की प्रगति धीमी हुई है। हालांकि, स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार अनुनय और वाह्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के चलते कंपनी निरंतर कार्य करने में सक्षम हुई है। एक साथ सभी मोर्चों पर काम में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों को अस्थाई ब्याज आधारित काम चलाए रखने के पूंजीगत वित्त पोषित किया गया है। विभिन्न अवसंरचनाओं के सभी प्रवेश मार्ग तथा जल निकासी गलियारे का निर्माण पूरा हो चुका है। इस समय अपस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट– 3 व 4 की खुदाई, बटर फ्लाई वाल्व चैम्बर (बीवीसी), बस बार टनल, मशीन हाल, डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट तथा टीआरटी की खुदाई का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। टीआरटी में कंक्रीट लाइनिंग शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 236.46 करोड़ तथा 48.99 मिलियन यूरो (कुल अनुमानित 574.51 करोड़ भारतीय रूपये) की राशि के संयंत्र/सामग्री स्थल पर पहुंच चुके हैं। पावर हाउस में दोनों ईओटी क्रेनों का उत्थापन पूरा हो गया है 600 में से 591 पेन स्टॉक स्टील लाइनर बनाए जा चुके हैं।

परियोजना की अनुमोदित लागत, किए गए व्यय एवं कमीशनिंग की अनुसूची का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(राशि करोड़ में)

लागत (करोड़ ₹ में)		अनुसूची	
अनुमोदित	व्यय (जून,16 तक)	अनुमोदित	प्रत्याशित
₹ 2978.86 (अप्रैल,10 के मूल्य स्तर पर आरसीई के अनुमोदनानुसार)	1786.22 (59.96%)	फर.–16	सित.–16

2015–16 के लिए एमओयू लक्ष्यों की उपलब्धिः 4 लक्ष्यों में से निम्नलिखित 3 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया हैः–

1. लिंक पोर्शन (ईएल 658.65 मी. से ईएल 641.50 मी. तक) सहित डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट टीआरटी–4व टीआरटी–3 के शीर्ष चैम्बर की पूर्ण बैन्च खुदाई का लक्ष्य उत्कृष्ट रेटिंग के अंतर्गत 31 जनवरी, 2016 को पूरा कर लिया गया।
2. अंतःस्थापन सामग्री की फिक्सिंग सहित सर्विस बे में ईओटी क्रेन–1 एवं रेल की पटरियां बिछाने का लक्ष्य बहुत अच्छी रेटिंग के साथ 31 मार्च, 2016 को पूरा कर लिया गया है।

टिहरी बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

3. ईएम कार्यों की 95% ड्राइंग के अनुमोदन का लक्ष्य उत्कृष्ट रेटिंग के अंतर्गत 15.02.2016 को पूरा कर लिया गया है।

- **विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी(वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट)**

वीपीएचईपी रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध की परिकल्पना की गई है ताकि

चमोली जिले की अलकनंदा नदी में कुल 237 मी सकल हेड को गति दी जा सके। इससे प्रति वर्ष 1,674 मि.यू. (90 प्रतिशत आश्रित वर्ष) यूनिट का उत्पादन होगा।

सिविल और एच एम पैकेजों को 54 माह में पूर्ण करने की अवधि के साथ मैसर्स एचसीसी लिमिटेड, मुंबई के साथ दिनांक 17.01.2014 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। ठेकेदार ने अनेक प्रकार के कार्यों से संबंधित सामान जुटा लिया है तथा डाइवर्जन टनल, डी–सिल्टिंग चैम्बर्स, एडिट्स टू इनटेक तथा बांध स्थल पर एचआरटी का गेट प्रचालन एवं पावर हाऊस स्थल तथा ट्रांसफार्मर हाल आदि पर तथा मुख्य एक्सेस टनल पर कार्य प्रगति पर है तथापि, कार्य की प्रगति में स्थानीय निवासियों द्वारा बंद करवाने/व्यवधान पैदा करने, भूवैज्ञानिक विचलन एवं ठेकेदार के साथ नकदी प्रवाह की समस्या के कारण असर पड़ा है। स्थानीय मुद्दों को स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय जिला न्यायालय के साथ सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कार्य पूर्ण कराने हेतु ठेकेदार के नकदी प्रवाह को बेहतर बनाने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

इलैक्ट्रो–मैकेनिकल कार्यों के लिए मैसर्स बीएचईएल, नोएडा के साथ 48 माह की पूर्णता अवधि के लिए दिनांक 18.11.2014 को हस्ताक्षर किए गए। विद्युत गृह स्थल का अभिन्यास अनुमोदित हो चुका है परियोजना के विभिन्न स्थलों पर भूमि प्रतिरोधकता के माप लिए जा चुके हैं। विद्युत गृह, पीएफबी तथा जीआईएस हॉल के लिए ईओटी क्रेन का क्रेन क्लीयरेस आरेख को अंतिम रूप दिया गया है। शेष परिकल्प एवं अभियांत्रिकी कार्य प्रगति पर है। सिविल एवं एचएम तथा ईएम कार्यों के एक साथ पूर्ण होने पर परियोजना को दिसंबर, 2019 तक चालू किए जाने की संभावना है।

परियोजना की अनुमानित लागत, व्यय और कमीशनिंग की अनुसूची नीचे दी गई है–

लागत (करोड़ ₹ में)		अनुसूची	
अनुमोदित	व्यय (जून, 16 तक)	अनुमोदित	प्रत्याशित
₹ 2491.58 (मार्च, 08 मूल्य स्तर) (अगस्त, 08 के निवेश अनुमोदनानुसार)	₹ 849.35 (34%)	जून–2013 (अगस्त, 08 के निवेश अनुमोदनानुसार)	दिसम्बर 2019

कोटेश्वर बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

वर्ष 2015–16 के एमओयू लक्ष्यों की उपलब्धियां: 3 लक्ष्यों में से निम्नलिखित 2 लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं:

1. पावर हाउस टॉप (ईएल 1054) तक एडिट की खुदाई का कार्य अच्छी रेटिंग के अंतर्गत 21.11.2015 को पूर्ण।
2. एडिट 1 से एचआरटी तक खुदाई का कार्य पूर्ण: बहुत अच्छा: 15.03.2016 बहुत अच्छी रेटिंग के अंतर्गत 13.03.2016 को प्राप्त किया गया।

- **ढुकुवां लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)**

  ढुकुवां लघु जल विद्युत परियोजना को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूद ढुकुवां मेशेनरी सह अर्दन बांध के सिरे के अंत में निर्माण करने पर विचार किया गया है। 24 मेगावाट (3 x 8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता से युक्त परियोजना, बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का हिस्सा है। पूरा हो जाने पर परियोजना से प्रति वर्ष 97.82 मि.यू. बिजली का उत्पादन होगा।

  - सिविल पैकेज के लिए करार पर हस्ताक्षर 2 जून,2014 को वन भूमि हस्तांतरण के बाद 24 दिसंबर,2014 को किया गया।
  - आधारभूत कार्य प्रगति पर है। पहुंच चैनल की खुदाई कार्य, इनटेक क्षेत्र एचआरसी और विद्युत गृह कार्य लगभग पूरा हो चुका है। एचआरसी क्षेत्र में 2 जल सेतु का क्रास ड्रेनेन कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त एचआरसी एवं फोरबे क्षेत्रों में कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।

- हाइड्रो – मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रो–मैकेनिकल पैकेज अवार्ड कर दिए गए हैं। डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की लागत, व्यय और कमीशनिंग अनुसूची नीचे दी गई है–

लागत (करोड़ ₹ में)		अनुसूची	
अनुमोदित	व्यय (जून, 16 तक)	अनुमोदित	प्रत्याशित
₹ 195.42 (निवेश अनुमोदन के अनुसार)	₹ 72.20 (36.94%)	फरवरी–14	2018–19

- **मलारी झेलम एवं झेलम तमक**

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 2013 के अपने आदेश द्वारा उत्तराखंड में 23 जल विद्युत परियोजनाओं, जिसमें आपकी कंपनी के मलारी झेलम एवं झेलम तमक परियोजना शामिल हैं, की पर्यावरण स्वीकृति कर रोक लगा दी है। 31 मार्च, 2016 तक 293 मिलियन खर्च हो चुके हैं। इसे सीडब्ल्यूआईपी (पूंजीगत कार्य प्रगति पर) के अंतर्गत दर्शाया गया है क्योंकि मामला विचाराधीन तथा शर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम

आपकी कंपनी ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों में विविधता कर रही है।

- **पवन विद्युत उत्पादन**

पाटन विंड फार्म स्थल, गुजरात में 50 मेगावाट (25x2 मेगावाट) पवन विद्युत परियोजना इसके 20 वर्षों के वृहत प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु 315 करोड़ रूपए की राशि के साथ 30.10.15 को मैसर्स गमेशा रिन्यूऐबल प्राइवेट लिमिटेड चैनई को ईपीसी ठेका अवार्ड किया गया तथा 14.12.2015 को करार पर हस्ताक्षर हुए।

पाटन, गुजरात में 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना अपने कमीशन होने की निर्धारित अवधि से 2 माह पहले चालू हो जाने पर टीएचडीसी ने ग्रिड में 50 मेगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ ली है।

- **सौर विद्युत उत्पादनः**

टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 13.02.2015 को 250 मे.वा. क्षमता तक ग्रिड संयोजित सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें से प्रारंभ में 50 मे.वा. तक सौर विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है।

केरल के जिला कासरगॉड में 50 मे.वा. सौर परियोजना के विकास हेतु दिनांक 31.03.2015 को टीएचडीसीआईएल एवं एसईसीआई, केरल राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य एक त्रिपक्षीय करार किया गया।

जिला कासरगॉड, केरल में 50 मे.वा. सौर पीवी .परियोजना की स्थापना के लिए एसईसीआई/सोलर पार्क द्वारा भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। एसईसीआई द्वारा 28.06.2016 के ईपीसी ठेके के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी कर दी गई है। बोलियां आमंत्रित की गई और 20.09.2016 को खुलेंगी खोले जाने का कार्यक्रम है।

टिहरी पीएसपी (1000 मे.वा.) का भूमिगत निर्माण कार्य प्रगति पर

भूटान में परियोजनाओं का विकास

- **संकोश एचईपी (8 x 312.5 मेगावाट)**

प्रस्तावित परियोजना में रोलर संपीडित कंक्रीट ग्रेविटी 215 मी. ऊंचे बांध का निर्माण तथा दो विद्युत गृह (दांये किनारे तथा बांये किनारे) जो (8 x 312.5 मेगावाट) की संस्थापन के साथ 5,949.05 मि.यू. की ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ

मुख्य बांध के ठीक नीचे तथा 416.34 मियू के ऊर्जा उत्पादन कर मुख्य बांध के अनुप्रवाह पर एक विनियामक बांध (3 x 28.33 मेगावाट) के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

इस समय संकोश (2585 मे.वा.) की डीपीआर सीईए/सीडब्ल्यूसी के पास परीक्षणाधीन है।

- **बुनाखा एचईपी (3 x 60 मेगावाट)**

प्रस्तावित परियोजना में 707.44 मि.यू. ऊर्जा के वार्षिक उत्पादन सहित उर्ध्वाकार फ्रांसिस टर्बाइन (3 x 60 मेगावाट) की स्थापना तथा भंडारण बांध और टो विद्युत गृह निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की निर्माण अवधि 69 माह है। फरवरी, 14 के दौरान, भूटान की शाही सरकार ने बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच कार्यान्वयन के लिए अंतर्सरकारी करार (आईजी) पर अप्रैल, 2014 में हस्ताक्षर किए गए।

स्टैंड एलोन के रूप में इस परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया है। सीईए/सीडब्ल्यूसी ने बांध की लागत को डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं द्वारा शेयर करने के लिए एक सूत्र तैयार किया है। मामले को ईजेजी (इम्पावर्ड ज्वाइंट ग्रुप) को डाउनस्ट्रीम परियोजना के रूप में पुनर्विचार हेतु भेज दिया गया है। लागत अनुमान जो मूलतः 2013 मूल्य स्तर पर तैयार कर अप्रैल, 2015 के मूल्य स्तर में पुनरीक्षित किए गए जो इजेजी द्वारा लागत सांझा तंत्र को निर्णीत करने के लिए लंबित हैं।

अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में विविधीकरणः

- **खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन–(1320 मे.वा.)**

उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में 1320 मे.वा. का सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र से कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन 9828 मि.यू. होगा जो संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के 85% के समनुरूप है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 53 क्यूसेक पानी छोड़े जाने संबंधी वचन–पत्र जारी किया है। परियोजना के ले–आउट और डीपीआर पुनरीक्षित कर दिए गए हैं तथा पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार भी कर लिए हैं, 660 मे.वा. की तीसरी यूनिट के भावी विस्तार के साथ 660–660 मे.वा. की 2 यूनिटों के कार्यान्वयन के लिए 1200 एकड़ भूमि के पूरे प्लॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गुजरात के पाटन में पवन विद्युत परियोजना का विहंगम दृश्य

भूमि अधिग्रहण सहित निवेश पूर्व गतिविधियों के लिए 585.82 करोड़ रूपये की राशि खर्च करने के लिए भारत सरकार ने 20.11.2015 को स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न गतिविधियों की स्थिति निम्नवत है–

- ग्राम सभा सहित कुल 1200.843 एकड़ भूमि का मूल कब्जा ले लिया गया है। टीएचडीसीआईएल द्वारा भूमि के मुआवजे के लिए 310 करोड़ रूपए की राशि जारी कर दी गई है। इसमें से 40 करोड़ रूपए की राशि यूपीएसआईडीसी को तथा 270 करोड़ रूपए एसएलएओ प्रभावित किसानों को संवितरित करने के लिए जारी किए गए।
- भूमि के सुरक्षित कब्जे हेतु घेराबंदी का कार्य प्रगति पर है तथा जुलाई, 2016 के अंत तक पूरा हो जाएगा।
- स्थल कार्यालय (पूर्व फेब्रिकेटिड ढांचा) के जुलाई, 2016 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।
- टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय द्वारा जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश की अमेलिया कोयला खान का आबंटन कर दिया गया है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापनः

टीएचडीसी ने संबंधित हितधारियों के परामर्श से भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति–2007 में सुधार करके आने वाली परियोजनाओं के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति बनाई है। इस नीति में परियोजना निर्माण के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की भूमि, मकानों की हानि, जीविका एवं रोजगार आदि संसाधनों एवं जीविका–तरीकों की समस्या का समाधान किया गया है। इस नीति का उद्देश्य असुरक्षित

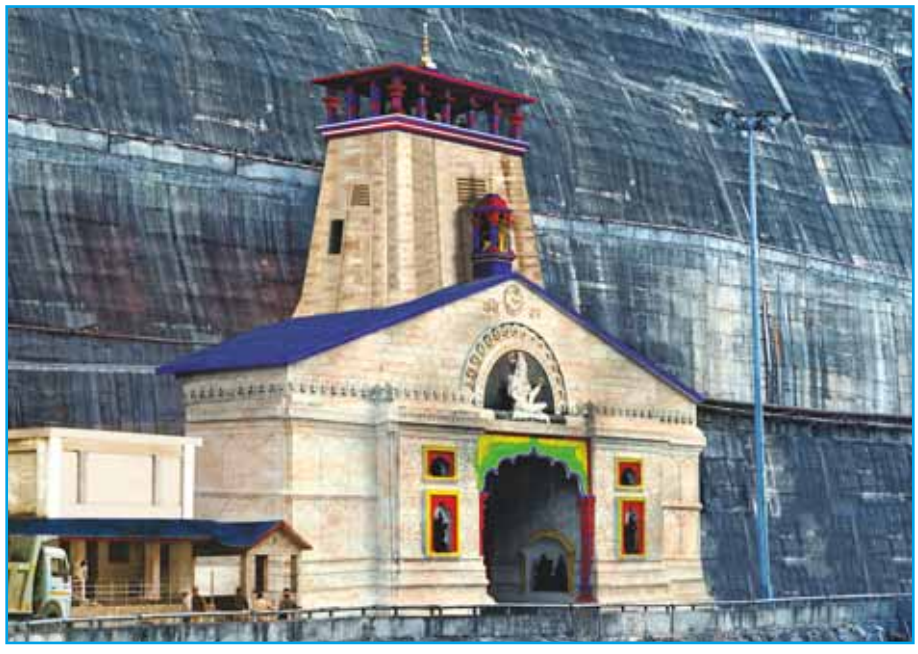

''शक्ति द्वार'' – कोटेश्वर विद्युत गृह का प्रवेश द्वार, 'केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग' की प्रतिकृति

व्यक्तियों की समस्या का समाधान करना है। इसमें परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आर्थिक रूप से मजबूत करने तथा मुख्यतः सतत जीविका उपार्जन के निम्नलिखित तरीकों पर जोर दिया गया।

- परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के क्षमता–निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य विभिन्न आय अर्जन/बहाली, जीविका साधन संवर्धन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना कार्यक्रम एवं योजनाओं के जरिए उनके कौशल विकास का उन्नयन है।
- लड़कियों एवं कमजोर बच्चों के बीच शिक्षा के प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रयासों के साथ–साथ परियोजना क्षेत्र में और उसके आस–पास शिक्षा को प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए इस परियोजना में छात्रवृत्ति योजनाएं बनाई हैं।
- परियोजना के निर्माण/प्रचालन के कारण सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए टीएचडीसी ने अत्यधिक सावधानी बरती है।

इंजीनियरिंग परामर्श

हाइड्रो इंजीनियरिंग एवं अन्य सिविल कार्यों के क्षेत्र में परामर्शी और सलाहकारी सेवा प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने आधुनिक डिजाइन साफ्टवेयर एवं अनुभवी डिजाइन विशेषज्ञों से युक्त इंजीनियरिंग परामर्शी विभाग की स्थापना की है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए थे:

- नैनीताल, उत्तराखंड में माननीय राज्यपाल के निवास ''राज भवन'' के आस–पास ढलान को स्थिरीकृत करने के लिए परामर्श।
- मसूरी, उत्तराखंड में भूमिगत पार्किंग परिसर के विकास के लिए परामर्श।
- श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी), जम्मू कश्मीर ने कटरा तथा श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के बीच के असुरक्षित क्षेत्रों के ढलानों के स्थिरीकरण कार्यों के लिए डिजाइन तथा इंजीनियरी परामर्श कार्य सौंपा है।
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड की विभिन्न सड़कों के बीस पुराने भू–स्खलन क्षेत्रों की रक्षा के लिए परामर्श ।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के लिए समन्वित नदी घाटी संकल्पना पर आधारित इंद्रावती नदी के जल विद्युत संभाव्यता की रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श

अनुसंधान और विकास

आपकी कंपनी ने ऋषिकेश में एक पूर्ण विकसित इन हाउस अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना की है। वर्ष 2015–16 के दौरान अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

लक्ष्य पूरा करने पर भारत सरकार के ''स्वच्छ भारत अभियान'' के अभिनंदन समारोह का ग्रुप फोटोग्राफ

- हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स के लिए सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का विकास।
- टिहरी जलाशय के आवाह क्षेत्र से सेडीमेंट यील्ड का आंकलन।
- ग्रिड विक्षोभ के अंतर्गत जल विद्युत संयंत्रों की परिवर्तनशील गति की गतिशील निष्पादन का विश्लेषण।
- टिहरी एचपीपी के वाल्वों का स्वदेशी विकास।
- केएचईपी की जल संवाहन प्रणाली के लिए सीएफडी मॉडलिंग।
- टिहरी क्षेत्र के चारों और भूकंप निगरानी केंद्रों की मानीटरिंग।
- टिहरी एवं केएचईपी का ईएम उपकरण की अवस्थिति की निगरानी।
- टिहरी क्षेत्र के आस–पास माइक्रो भूकंपी नेटवर्क का विस्तार एवं अद्यतीकरण।
- टिहरी एवं कोटेश्वर के लिए रोटरी मशीनों एवं अनुषंगी मशीनों के कंपन डाटा का विश्लेषण।
- पावर हाऊस के डीपीआर स्तर पर यथास्थान बलाघात मापन को अनिवार्य न बनाया जाए, यह प्रदर्शित करने के लिए जेटीएचईपी की पावर हाऊस केवर्न का द्विआयामी मापदंडात्मक विश्लेषण।
- अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के लिए विद्युत प्रणाली डिजाइन एवं अन्य साफ्टवेयर/हार्डवेयर/संयंत्र हेतु अतिरिक्त सुविधाओं/साफ्टवेयर की खरीद। इन हाउस आर एंड डी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु विशेषज्ञों को परामर्शी शुल्क सहित प्रशिक्षण/ सेमिनार/ कार्यशालाओं/सम्मेलनों/पुस्तकों/जर्नल/मानदेय/व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों की सदस्यता पर खर्च।
- टिहरी कोटेश्वर सड़क के ढ़लान का स्थिरीकरण एवं पुनः संरेखण।
- टिहरी जलाशय के आवाह–क्षेत्र के लिए उपग्रह आधारित वास्तविक समय अन्तप्रर्वाह पुर्वानुमान प्रणाली की स्थापना।

वित्त वर्ष 2015–16 के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु बजट आबंटन 49.62 मिलियन प्रस्तावित था जो वर्ष 2014–15 के लिए कर पश्चात लाभ का 0.72% दर्शाता है। डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक बजट आबंटन गत वर्ष के कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 0.5% होगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर वास्तविक खर्च 34.50 मिलियन रूपए हुए जो वर्ष 2014–15 के कर पश्चात लाभ का 0.5% है।

गुणवत्ता आश्वासन

चालू वित वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण अर्जित किए गए:

नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री के.पी. शर्मा ओली एवं विद्युत, कायेला एवं नवीकरणीय ऊर्जा के माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री पीयूष गोयल को टिहरी परियोजना के बारे में बताते टीएचडीसीआईएल के निदेशक (तकनीकी), श्री डी.वी. सिंह

- कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, पीएसपी,वीपीएचईपी पीपलकोटी एवं केएचईपी कोटेश्वर ने आईएसओ 9001–2008(गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणीकरण अर्जित किए।
- टीएचडीसीआईएल ने एसटीक्यूसी (मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण) नई दिल्ली के जरिए 3 वर्षों के लिए अक्तूबर में आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 27001:2013 का प्रमाणीकरण अर्जित किया।

पर्यावरण प्रबंधन

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी ने सतत विकास के विभिन्न कार्यों को किया है। इस संबंध में किए गए उपायों को नीचे दिए गए हैः

- कंपनी ने प्रमुख संस्थानों जैसे बीएसआई, नीरी, जेडएसआई आदि के माध्यम से टिहरी बांध परियोजना के नकारात्मक प्रभाव के संबंध में विभिन्न अध्ययन किए। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर कंपनी ने पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव में कमी लाने के लिए विस्तृत शमन योजनाएं लागू की हैं।
- पर्यावरण के प्रबंधन के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए पश्च प्रबंधन अध्ययन किए गए।
- औषधीय, अलंकारी, लकड़ी, ईंधन एवं चारा सहित 249 विभिन्न प्रकार की प्रजातियों वाले पौधे कोटी के नजदीक 14.28 हेक्टेयर से अधिक में फैले हुए वानस्पतिक उद्यान का अनुरक्षण।
- टिहरी में किए गए ढलान संरक्षण कार्य– इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से कोटेश्वर सड़क और चक्का पेंदरास अली हॉल्जेंट सड़क। कोटेश्वर में जुरासी और पालम नाला का भी इंजीनियरिंग उपायों द्वारा उपचार किया गया।
- कोटेश्वर बांध परियोजना के जलाशय के चारों और बौने पौधों की प्रजातियों का पौधरोपण टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी के द्वारा किया जा रहा है।
- विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के विकास में शामिल निगरानी और पर्यावरण के मूल्यांकन और सामाजिक मुद्दों के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का पांच सदस्यीय पैनल गठित किया गया है।
- मैसर्स वापकोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून को वीपीएचईपी के पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना के कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष निगरानी के रूप में लगाया गया है।

- कोल्ड वाटर फिशरिज़ रिसर्च, निदेशालय भीमताल, (डीसीएफआर) को, वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन में लगाया गया है।
- लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए 05 जून, 2015 को ऋषिकेश में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया जिसमें जाने माने वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी प्रथम चरण, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी और वीपीएचईपी के लिए सफलतापूर्वक आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त किया है।

श्री भाष्कर चटर्जी, सेवा निवृत्त (आईएएस) एवं डीजी एवं सीईओ, इंडियन इंस्ट्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, भारत सरकार के कर–कमलों से "ग्रीनटेक प्लेटेनियम एचआर लीडर अवार्ड" प्राप्त करते श्री एस.के. बिस्वास, निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

जल विद्युत विकास करने वाली कंपनी के नाते आपकी कंपनी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर विशिष्ट और भौगोलिक स्थान विशिष्ट जोखिमों के अधीन है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अपनाया है जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। इस मैनुअल में जोखिम की पहचान करने, जोखिम को दूर करने और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न जोखिमों, जिसमें दैनिक आधार पर निर्माणाधीन और प्रचालनाधीन परियोजनाएं शामिल हैं, के लिए विस्तृत तंत्र उपलब्ध करवाया है।

आपकी कंपनी ने प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के लिए जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जिसमें चल रही प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना स्थल से जोखिम अधिकारी, परियोजना वित्त एवं कारपोरेट डिजाइन (सिविल एवं एचएम) विभाग के अधिकारियों को सदस्यों के रूप में रखा गया है। परियोजना स्थल से नामित जोखिम अधिकारी समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के लिए आपदा प्रबंधन योजना जनवरी, 2016 में तैयार की गई। जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन की विस्तृत सूचना कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट **(अनुलग्नक– I)** में अलग से दी गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

हम अपनी परियोजनाओं एवं विद्युत स्टेशनों के निष्पादन एवं प्रबंधन के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं। हम समग्र उत्पादकता तथा कुशलता को सुधारने के लिए अपने सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी को एक रणनीतिक उपकरण मानते हैं। हमने सफलतापूर्वक उत्पादन परिसंपत्तियों के इष्टतम प्रयोग निर्माण परियोजना के विकास में सहायता के लिए विभिन्न साफ्टवेयर सोल्यूशंस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है ताकि इससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार आए।

टीएचडीसी के पास अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार अवसंरचना हैं। सुरक्षा नीति भी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से प्रबंधित होती है ताकि टीएचडीसी की अपनी परिसंपत्तियों का इष्टतम एवं सुरक्षित उपयोग हो सके। वित, मानव संसाधन, खरीद एवं संविदा, माल परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन एवं ऊर्जा बिक्री अनुरक्षण एवं लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि सभी मुख्य व्यवसायों के कार्य हेतु कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। ये सभी कंप्यूटराइज्ड प्रणालियां वेब आधारित है तथा इसके द्वारा दूरस्थ सभी स्थानों जैसे कारपोरेट ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों तक पहुंचा जा रहा है, ताकि उपर्युक्त संचार नेटवर्क के माध्यम से आईएफएस एप्लीकेशन चलाई जा सकती है।

टीएचडीसी ने कारपोरेट ऑफिस ऋषिकेश में दिसंबर, 2015 से साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वित कर दी है। कंपनी ने सफलतापूर्वक कागज खपत कम कर दी है तथा डाटा का मानकीकरण प्राप्त कर लिया है एवं सुव्यवस्थित तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ वृहत सीमा तक सूचना की परिशुद्धता प्राप्त कर ली है। भारत सरकार के दिशा–निदेशों के अनुसार ई–प्रापण (इलेक्ट्रानिक टेंडर) प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया है।

ऋषिकोश में टीएचडीसीआईएल के 29वां स्थापना दिवस का समारोह

माइक्रो एवं लघु उद्यमों से खरीद

माइक्रो एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद की जाने वाली वस्तुओं सहित वार्षिक प्रापण योजना एमएसएमईएस के लाभों के लिए टीएचडीसी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। प्रापण नीति के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु टीएचडीसी की ओर से नोडल अधिकारी को नामित कर दिया गया है तथा माइक्रो, लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है।

माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के समन्वय के साथ विशेष वेंडर विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

संविदा एवं संबंधित पार्टियों के साथ व्यवस्था

कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 में किए गए ठेके/व्यवस्था/लेन–देन का कारोबार सामान्य विधि से एवं आर्म लेंथ आधार पर हुआ। कोई भी ठेका/व्यवस्था/लेन–देन का कारोबार किसी संबंधित पक्षकारों से जुड़ी नीति के अनुरूप नहीं किया गया।

आपके निदेशक, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण के नोट नं. 29.8 पर आकृष्ट करते हैं जिसमें लेखांकन मानक–18 के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण किया गया है।

पुरस्कार एवं मान्यता

टीएचडीसी के समग्र विकास के लिए किए प्रयास, प्राप्त पुरस्कार एवं उपलब्धियों की सूची में प्रतिबिम्बित होते हैं:

प्रबंधन एवं नेतृत्व में पुरस्कार

- टीएचडीसीआईएल को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को मान्यता देते हुए दिल्ली में 11.04.2016 को स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार–2016 प्रदान किया गया।
- टीएचडीसीआईएल को नवाचारी मानव संसाधन प्रबंधन के लिए मुंबई में 06.05.2016 को ग्रीन टेक फॉउडेशन द्वारा ''बेस्ट एचआर लीडर अवार्ड'' प्रदान किया गया।
- टीएचडीसीआईएल को मुंबई में 5वां विश्व सीएसआर दिवस मनाते समय 18 फरवरी, 2016 को 'विश्व सीएसआर कांग्रेस द्वारा ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पद्धतियों'' में नवाचार'' के लिए ''ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड'' से नवाजा गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) प्रकार्य में व्यवसायिक आवश्यकताओं एवं व्यक्तिगत अभिलाषाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए अगणित प्रभावशाली परिवर्तन किए। प्रतिस्पर्धा के इस वर्तमान परिदृश्य तथा उत्कृष्टता के प्रयासों में मानव संसाधन संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी में संगठनात्मक विकास पर जोर सफल प्रणाली के प्रोत्साहन पर केंद्रित करना है जिससे वृहत व्यवसाय नीति के भाग के रूप में इष्टतम अन्य संसाधन के साथ मानव संसाधन से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त हो सके। आपकी कंपनी का 31.03.2016 को 1990 की मानव पूंजी है जिसमें 829 कार्यपालक, 104 सुपरवाइजर तथा 1057 कामगार शामिल हैं। आपकी कंपनी ने

इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, जन संचार संवर्ग में जीएटीई (गेट) स्कोर 2015, सीएलएटी(क्लेट) स्कोर 2015 एवं अन्य निधियों के माध्यम से 49 कार्यपालक प्रशिक्षु भर्ती किए। नए भर्ती प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण एवं जानकारी के लिए एक सशक्त कार्यक्रम उनके अभिन्यास ओजेटी के लिए तैयार किया गया। आपकी कंपनी को गर्व है कि उच्च प्रेरणा एवं सक्षम मानव संसाधन ने कंपनी को वर्तमान ऊंचाईयों पर लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रशिक्षण एवं विकास

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों की उत्पादकता एवं कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उनके आधुनिक परिवर्तन एवं संगत ज्ञान को अद्यतन करने के लिए लगातार प्रशिक्षण दे रही है। कंपनी ने अपनी मानव परिसंपत्तियों की निपुणता को उन्नयन करने के लिए अनेक पहल की हैं ताकि वे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना एवं बेहतर कैरियर अवसर प्राप्त कर सके।

आपकी कंपनी ने टीएचडीसीआईएल के लिए ''स्किल गैप एनालाइसिस एंड इनिशियल डायगनॉस्टिक फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिनिंग (सीबीआईएस) हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया है। एसाईनमेंट प्रगति पर है। आपकी कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार ''उत्कृष्टता के लिए स्कोप पुरस्कार'' के अंतर्गत गोल्ड ट्राफी, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

प्रदत्त प्रशिक्षण आवश्यकता तथा चुनौतियों के अनुरूप है। प्रशिक्षण जरूरत मूल्यांकन अपेक्षित योग्यताओं के साथ कर्मचारियों को समृद्ध बनाने के लिए संगठन/कारोबार आवश्यकताओं के साथ जोड़ा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक तथा बाहरी मदद के साथ बहुशाखीय कार्यक्रमों के माध्यम से आंतरिक प्रतिभा विकसित करने तथा बढ़ाने के लिए शुरू किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के अनुरूप दो प्रमाण–पत्र कार्यक्रम 1) एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (21 कार्यपालकों के लिए) 2) सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर एंड आर तथा सीएसआर (15 कार्यपालक) के लिए क्रमशः आईआईटी रूड़की तथा एएससीआई, हैदराबाद के माध्यम से संचालित किए गए।

आपकी कंपनी ने नेतृत्व योग्यता तैयार करने के लिए, कारपोरेट सुशासन आदि के लिए बोर्ड के सदस्यों की जरूरत हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आयोजन किया है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी ने कामगार आदि के लिए प्राइमवीरा ट्रेनिंग, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, ओ एंड एम प्रशिक्षण जैसे तकनीकी तथा व्यवहारजनक पहलुओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृखंला आयोजित की है। वर्ष के दौरान कार्यक्रमों/सम्मेलनों के लिए महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों तथा महिला सशक्तिकरण करने के लिए महिला कर्मचारियों को नामित करने पर विशेष ध्यान दिया है। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ताकि वे आरक्षण नीति की मुख्य–मुख्य बातों और उनके लिए विशेष रूप से किए गए अनिवार्य प्रावधानों को जान सकें।

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए कुल 61 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है तथा 4,000 मानव दिवसों के लक्ष्य की तुलना में 4,299 प्रशिक्षण मानव दिवसों का नामांकन किया है। आंकलित औसत प्रशिक्षण 2.16 प्रति कर्मचारी मानव दिवस हैं। तकनीकी प्रशिक्षण की कुल प्रतिशतता 43% है।

आपकी कंपनी ने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है तथा अब प्रमाणिकृत व्यावसायिक प्रशिक्षक मौजूद हैं जो हमारे मानव संसाधन विकास केंद्र, ऋषिकेश में आंतरिक कार्यक्रमों के लिए संकाय (फैकल्टी) के रूप में डिजाइन, आयोजन तथा प्रशिक्षण प्रभावी ढंग से दे सकते हैं।

कर्मचारी संबंध

कर्मचारी तथा प्रबंधन, दोनों ही कंपनी के हितों के साथ–साथ इसके हितधारकों के हितों को बढ़ाने में एक दूसरे के प्रयासों में सहयोग दे सकते हैं, जिसमें कर्मचारी संबंध में पूर्ण समरसता एवं सौहार्द्रता बनी रहे। प्रबंधन तथा कामगार और कार्यपालकों के शीर्ष संघ के बीच लगातार विचार–विनिमय होता रहा है। वर्ष के दौरान संगठित बैठकें आयोजित की गई थी जिनमें कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श किया गया था। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषदों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी जहां पर कर्मचारियों तथा प्रबंधन मंडल के एक समान संख्या में प्रतिनिधियों ने सकारात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया था। टीएचडीसी से क्वालिटी सर्कल टीम ने पार एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया था, 3 टीमों को एक्सीलेंस अवार्ड मिला तथा एक टीम को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार 18 से 21 दिसंबर, 2015 तक चेन्नई में हुए एनसीक्यूसी 2015 में प्रदान किए गए थे। आपकी कंपनी ने इस वर्ष के दौरान ग्रीष्मकालीन खेल, शीतकालीन खेल तथा अंतर सार्वजनिक उपक्रम खेल आदि का आयोजन करने से लेकर अनेक कल्याणकारी क्रियाकलाप और अनेक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिससे कर्मचारियों को तनाव–मुक्ति मिले। इसके साथ–साथ एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बने।

कार्यपालक विकास कार्यक्रम के प्रतिभागियों का ग्रुप फोटोग्राफ

अ.जा./अ.ज.जा तथा विकलांग व्यक्तियों संबंधी पहल

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रुप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है तथा उनकी शिकायतों का पुर्णरूपेण समाधान किया है। आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अपने अधिकांश भवनों पर रैंप बनवाकर सुगम पहुंच प्रदान की है। आपकी कंपनी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शारिरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को नामित किया है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने राजभाषा के प्रचार के लिए सशक्त प्रयास किए हैं तथा भारत सरकार की राजभाषा नीति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। वर्ष के दौरान परियोजना एवं कारपोरेट कार्यालयों में कई हिंदी कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कर्मचारी प्रोत्साहित हो सकें। सभी कार्यालय आदेश, फार्मेट एवं परिपत्र हिंदी में भी जारी हुए। महत्वपूर्ण विज्ञापन एवं गृह पत्रिकाएं हिंदी एवं अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी हुई। आपकी कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत क्षेत्र 'क' श्रेणी में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2014–15 के लिए प्रतिष्ठित ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' के ''तृतीय पुरस्कार'' से नवाजा गया।

वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा 24 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें विभिन्न हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 519 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्याशालाओं में 12 (बारह) अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। अनुमानतः 4,30,096.00 (चार लाख तीस हजार छियानवे) की हिंदी पुस्तकें खरीदी गई। कंप्यूटरों/लैपटापों में हिंदी में काम करने की सुविधा प्रदान कराने के लिए हिंदी सॉफ्टवेयर/फोंट स्थापित किए गए। कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में आयोजित की गई।

वर्ष 2015 के दौरान हिंदी ''हास्य कवि सम्मेलन'' आयोजित किया गया। हिंदी गृह पत्रिका 'पहल' प्रकाशित की जा रही है। हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के दौरान कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने ठोस प्रयास किए हैं।

टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर वे सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं जो अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। कंपनी के अपीलीय प्राधिकारी, मुख्य लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी के ब्यौरे तथा सूचना मांगने, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से सूचना मांगने से संबंधित सभी प्रपत्र, टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों का निपटान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2015–16 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 143 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की

सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई थीं।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 18 अपीलें प्राप्त की गई। इनमें से 14 अपीलें जांच पड़ताल के बाद अस्वीकृत कर दी गई तथा 4 अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई। इन सभी अपीलों का अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटान किया जा चुका है। 6 अपीलें केन्द्रीय सूचना आयोग (सी आई सी), नई दिल्ली में दायर नहीं की गई। इनमें से 3 अपीलें अस्वीकृत कर दी गई तथा 3 अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं।

महिला कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार ''आंतरिक शिकायत समिति'' बनाई गई है जो महिला कर्मचारियों की सुरक्षित एवं देख–रेख युक्त वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। आपकी कंपनी ने डब्ल्यू आईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिला) समिति भी गठित की है।

सतर्कता

सतर्कता प्रभाग ने भ्रष्टाचार एवं अनाचार रोकने के अपने प्रयासों में निवारक सतर्कता उपायों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है। टीएचडीसीआईएल के स्ट्रेटिजिकली सतर्कता संगठन ने हाल ही में सक्रिय एवं निवारक सतर्कता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया:–

- सतर्कता प्रभाग नियमित, आकस्मिक एवं सीटीई प्रकार के निरीक्षण कार्य कर रहा है ये निवारक निरीक्षण कार्यों के अवार्ड एवं निष्पादन के दौरान विभिन्न अनाचारों एवं अनियमितताओं को रोकने में प्रभावी रहे हैं।
- प्रबंधन की सहमति के साथ सार्वजनिक प्रापण में कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता लाने के लिए जीसीसी, डीओपी एवं आंतरिक अनुदेशों (कोड / मैनुअल के रूप में) के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा शुरू की जा रही है।
- व्यवस्थित सुधारात्मक उपाय सुझाए जा रहे हैं तथा संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के लिए, जब कभी भी नोट किया गया, सूचित कर दिया गया है।
- पूछताछ एवं जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी का कुल मिलाकर पालन किया जा रहा है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कदम के रूप में ऑन लाइन शिकायत प्रणाली विकसित एवं लागू की गई। यूआरएल http:/www.thdc.co.in के माध्यम से सतर्कता एमआईएस प्रणाली एवं शिकायत ट्रेकिंग सिस्टम (जीटीएस) मार्च, 2015 से प्रचालन में है।
- सीवीसी द्वारा इस वर्ष के लिए निर्धारित विषय ''निवारक सतर्कता अच्छे सुशासन का साधन है'' के साथ सतर्कता विभाग द्वारा 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2015 का आयोजन किया गया।
- इस अवसर पर अधिकारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा सीटीई गहन परीक्षा पर आधारित सामान्य अवलोकन पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई।
- कार्यपालकों को संवेदनशील बनाने के लिए सतत जीविका एवं सामुदायिक विकास केंद्र, ऋषिकेश में ''सतर्कता जागरूकता एवं भ्रष्टाचार निरोध'' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जनसंपर्क पहल एवं गतिविधियां

आपके निगम ने अपने हितधारियों तक पहुंचने के लिए संचार के विविध साधन अपनाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कारपोरेट संचार (कारपोरेट कम्यूनिकेशन) विभाग की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत हैं:–

- निगम का सरकारी फेसबुक पृष्ठ एवं ट्वीटर हैंडल जून, 2013 में शुरू किया गया। ये दोनों सामाजिक जनसंचार माध्यम साधन विद्युत मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार की मेरी सरकार (सिटीजन इनगेंजमेंट प्लेटफार्म) के साथ जुड़े हुए हैं।
- विद्युत क्षेत्र में संबंधित मुख्य समाचारों के बारे में वरिष्ठ कार्यपालकों को अवगत कराने के लिए प्रिंट मीडिया के महत्वपूर्ण समाचार अब ईमेल पर प्रेषित किए जाते हैं।
- रोचक सूचनाप्रद एवं कल्पनाशील सारांश के साथ टीएचडीसीआईएल ने ''टीएचडीसीआईएल कम्यूनिकेशन चार्टर'' नामक अपनी तिमाही इलेक्ट्रानिक पत्रिका शुरू की है। इस पहल के पीछे यह उद्देश्य है कि ''यूजर जनरेटेड कान्टेंट'' (यूजीसी) को प्रोत्साहित करना एवं निगम की संचार प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- सहयोगी नॉलेज डेस्क:– ज्ञान, सूचना की लर्निंग, सफलता की कहानियों आदि के आंतरिक आदान–प्रदान को

सुविधाजनक बनाने हेतु टीएचडीसीआईएल ने अपने वेब पोर्टल पर सहयोगी नॉलेज डेस्क शुरू किया है।

- टीएचडीसीआईएल कारपोरेट फिल्मः– कारपोरेट कम्यूनिकेशन विभाग ने 2016 में एक घंटे की कारपोरेट फिल्म का निर्माण किया है अर्थात टीएचडीसीआईएल–उत्कृष्टता की ओर यात्रा जिसमें निगम की 25 वर्ष से अधिक की यात्रा के दृश्यों का विवरण प्रस्तुत करती है।
- कारपोरेट कम्यूनिकेशन विभाग ने वित वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन जारी किएः–
  - गृह पत्रिका ''गंगावतरण'' के चार तिमाही अंक।
  - टीएचडीसी धारणीयता रिपोर्ट 2014–15।
  - विद्युत मंत्रालय एवं टीएचडीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन 2015–16
  - टीएचडीसी हाइड्रो–टेक
  - आईआईटीएफ–2015 के लिए टीएचडीसी विवरणिका

कारपोरेट सुशासन

- **कंपनी का सुशासन दृष्टिकोण**

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम,2013/डीपीई दिषानिर्देशों के तहत आवश्यक अच्छे, कारपोरेट सुशासन की पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। गैर सूचीबद्व होने के बावजूद आपकी कंपनी सूचीबद्व करार के खंड 49 की आवश्यकताओं का अनुपालन भी कर रही है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समय से और संतुलित प्रकटन, मूल्यवर्धन के लिए बोर्ड की संरचना, बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारियां, वित्तीय रिपोर्टिंग करने में निष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, पणधारियों के अधिकार और हित, अनुपालन आदि पर आधारित है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी को डीपीई द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए उत्कृष्ट दर्जा प्रदान किया गया है।

लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और बोर्ड स्तर की अन्य समितियों के कार्य और विस्तार क्षेत्र सहित कारपोरेट सुशासन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट इसके साथ **अनुलग्नक–I** के रुप में संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) और सततता विकास

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीएसआर एवं सततता नीति 2015 प्रारंभ की है। तदनुसार पूर्ववर्ती 3 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है।

सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसी) द्वारा अनुमोदित की जाती है। सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाता है। 5 लाख रू. से अधिक के मूल्य वाली सभी सीएसआर परियोजनाओं का विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा प्रभाव आंकलन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी द्वारा पूर्व वर्ष के रू. 29.09 करोड़ की तुलना में सीएसआर पर 13.35 करोड़ रू. व्यय किया, गया जो शुद्ध लाभ का 2% है।

टीएचडीसीआईएल ने स्वच्छ भारत/स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड (1060) एवं उत्तर प्रदेश (128) राज्य में 1188 शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया है।

सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न है।

प्रबंधन के संबंध में विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार विमर्श और विश्लेषण के बारे में अलग से एक रिपोर्ट **अनुलग्नक–III** के रुप में दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

रिपोर्ट की सूचना **अनुलग्नक–IV** में दी गई है।

व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छे कारपोरेट सुशासन प्रैक्टिस के भाग के रुप में व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट पर **अनुलग्नक–V** के रुप में अलग से एक खंड दिया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के खंड 'ग' के अनुसार आपके निदेशकों का कथन इस प्रकार हैः

टिहरी में टीएचडीसीआईएल हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कियों के दूसरे छात्रावास के उद्घाटन समारोह में
श्री आर.एस.टी. शाई, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल, श्री राजीव शर्मा, अ.प्र.नि., आरईसी एवं श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तक.), टीएचडीसीआईएल

(i) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है तथा जहां कहीं भी उल्लेखनीय विचलन हुआ है वहां उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ii) कंपनी ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों के बारे में सत्य और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके तथा कंपनी के लाभ और हानि लेखे की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डो के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(iv) ये लेखे चालू कारोबार आधार पर तैयार किए गए हैं।

(v) कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और यह प्रणाली पर्याप्त थी।

निदेशक मंडल

पिछली आम सभा के बाद श्री बची सिंह रावत, श्री मोहन सिंह रावत तथा प्रो. महाराज कृष्ण पंडित को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक टीएचडीसीआईएल के बोर्ड निदेशक पद से हट गए हैं।

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत और प्रबंधन लेखाकार कानपुर तथा मैसर्स चंद्र वाध्वा एंड कंपनी, लागत और प्रबंधन लेखाकार नई दिल्ली को भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016–17 के लिए क्रमशः कोटेश्वर ईकाई और टिहरी इकाई के लागत और लेखाकार रिकार्डो की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में मंजूरी दी है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 06.07.2015 के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी–एच (I)/III द्वारा मैसर्स पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 364ए, गोविंद पुरी, हरिद्वार–249403 को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत यथावश्यक सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक के नियतन के लिए एक प्रस्ताव विचार किए जाने के लिए वार्षिक आम सभा की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में संपूर्ण अनापत्तिजनक (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (7) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में शून्य टिप्पणियां दी हैं तदनुसार प्रबंधन का उत्तर 'शून्य' है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

आपकी कंपनी ने वर्ष 2015–16 के लिए लिपिकीय लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स पीएसआर मूर्ति से करवायी है जो प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव है। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुपालन किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। लिपिकीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक–VI** के रुप में संलग्न है।

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों विशेषकर विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य विभाग, विदेश मंत्रालय, भूटान की शाही सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तराखंड सरकार तथा उनके विभिन्न विभागों विशेषकर टिहरी परियोजना के निदेशक पुनर्वास से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक गण इस अवसर पर सांविधिक लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य को वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य सुझाव के लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशक गण कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए समय से दी गई सहायता और संरक्षण देकर निरंतर विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक गण, कंपनी द्वारा विकास और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अनथक प्रयासों तथा उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(आर.एस.टी.शाई)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 0171920

स्थानः ऋषिकेश

दिनांकः 26.09.2016

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

व्यवसाय सिंहावलोकन–
सतत रूप से पूंजी सृजन

विश्व स्तरीय ऊर्जा इकाई बनाने की हमारी चाह, पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों के प्रति वचनबद्धता हेतु हम विभिन्न हितधारकों, अंततः राष्ट्रहित में सतत पूंजी सृजन को संपोषित करते हैं:

पूंजी	हम क्या करते हैं	हम कैसे व्यवस्था करते हैं	हम कैसे मापते हैं	परिणाम
वित्त	–सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाधीन विद्युत उत्पादक कंपनी होने के कारण हमें सरकार से अंशपूंजी तथा वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण पूंजी प्राप्त होती है। –हितग्राहियों से बेची गई पावर के टैरिफ के भाग के रूप में वसूल की गई राशि तथा उत्पादक लागत का शुद्ध लाभ कंपनी के लाभ में योगदान करता है। –कंपनी द्वारा प्रदत्त परामर्शी सेवाओं से भी राजस्व प्राप्त होता है। –अर्जित पूंजी का एक भाग लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है तथा शेष को भावी परियोजनाओं में आंतरिक संसाधन के रूप में पुनर्निवेश किया जाता है।	पावर क्षेत्र के नियामक परिवेश तथा कंपनी की नई परियोजनाओं को लेने की जोखिम प्रवृत्ति के अनुरूप टीएचडीसीआईएल की वित्तीय पूंजी का सृजन होता है। –कारपोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक, नामित एवं स्वतंत्र निदेशकों से बना पूर्ण सुसज्जित बोर्ड है। –टीएचडीसीआईएल की सुदृढ़ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है इसके साथ–साथ सीएंडएजी तथा सीवीसी द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।	सकल आय, शुद्ध लाभ, निवल संपत्ति, नियोजित पूंजी, तुलन पत्र का आकार, सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रमुख मानदंड हैं।	वर्ष 2015–16 के तुलन पत्र में सकल आय 2.97% शुद्ध लाभ 17.14% निवल संपत्ति 9.90% डिविडेंट में 3.60% की वृद्धि हुई।
मानव	–टीएचडीसी अधिगम और नवाचार के माध्यम से कार्य पोषित कर निष्पादन श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। –हितधारकों के साथ आपसी विश्वास के साथ सतत मूल्य–आधारित संबंध बनाए रखना। –टीएचडीसी के पास सभी घरों में बिजली पहुंचाने के भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए	–टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को अपनी वास्तविक परिसंपत्तियां मानती हैं। टीएचडीसीआईएल विभिन्न क्षेत्रों यथा मानव संसाधन, अभियंत्रिकी, वित, विधिक जन संचार आदि क्षेत्रों में गेट स्कोर, परिसर साक्षात्कार, अखिल भारतीय परीक्षा आदि माध्यमों से अपनी आवश्यकतानुसार कार्यपालकों को चुनती है। कंपनी हमेशा यह	–सभी स्तर के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण कक्ष बनाया गया है। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार महिला कर्मचारियों को सुरक्षित एवं गरिमायुक्त परिवेश उपलब्ध कराने तथा सुरक्षा, गरिमा संबंधी	–टीएचडीसी शिक्षण और नवाचार के माध्यम से कार्य संस्कृति का विस्तार कर निष्पादन उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। –हितधारकों के साथ आपसी विश्वास के साथ सतत संबंध–आधारित मूल्य बनाए रखना। – टीएचडीसी सभी घरों में बिजली पहुंचाने के भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए चुनौतीपूर्ण स्थानों पर जटिल पावर परियोजनाओं के प्रचालन एवं निर्माण हेतु ज्ञान में विविधता

पूंजी	हम क्या करते हैं	हम कैसे व्यवस्था करते हैं	हम कैसे मापते हैं	परिणाम
मानव	चुनौतीपूर्ण स्थानों पर जटिल विद्युत परियोजनाओं के प्रचालन एवं निर्माण हेतु ज्ञान में विविधता लाना है। – मानवीय दृष्टिकोण के साथ आर एंड आर गतिविधियों का संचालन करती है।	सुनिश्चित करती है कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा ही सुलभ हो जिसे संगठन के विकास हेतु पोषित एवं स्थाई रूप से रखा जाए। नवांगतुको के लिए परामर्शदाताओं के मार्गदर्शनों में एक वर्ष का संतुलित अभिमुख कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा प्रतिष्ठित संस्थानों में उनके समग्र विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। –टीएचडीसी की मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न पक्षों के संचालन हेतु पारदर्शी नीति है। कंपनी मानव शक्ति की गुणवत्ता में सुधार हेतु कौशल अंतराल विश्लेषण तथा निदान अध्ययन के माध्यम से मानव संसाधन हस्तक्षेप करती है। कंपनी की आर एंड आर नीति सुविचारित है। आर एंड आर गतिविधियों के अतिरिक्त टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) एवं पंजीकृत संस्था द्वारा दो विद्यालय भी संचालित किए जाते हैं। ये विद्यालय सामान्यतया अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि पाठ्य पुस्तकें, विद्यालय यूनीफार्म, अन्य संगत सामान भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं बच्चों को 'नैवैद्यम' के नाम से संतुलित एवं पोषक आहार भी दिया जाने लगा है।	मामले, रोकथाम और निवारण से संबंधित किसी शिकायत के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत डब्ल्यूआईपीएस समिति का गठन किया गया है। –आपसी हित के मुद्दों से संबंधित मामलों की नीतियों पर कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों, कामगारों की एसोसिएशन एवं यूनियनों से फीडबैक प्राप्त करने हेतु प्रबंधन में समुचित व्यवस्था है। संयुक्त प्रबंधन समिति में समान संख्या में कामगार एवं प्रबंधन के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये प्रतिनिधि उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार, अपशिष्ट में कमी, विद्युत उत्पादन से संबंधित अन्य मुद्दे, कर्मचारियों, संयंत्रों आदि से जुड़े मामलों पर सकारात्मक रूप से चर्चा करते हैं। –वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में निष्पादन और उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं की गई।	लाती है। – मानवीय दृष्टिकोण के साथ आर एंड आर गतिविधियां संचालित करती है।

पूंजी	हम क्या करते हैं	हम कैसे व्यवस्था करते हैं	हम कैसे मापते हैं	परिणाम
प्राकृतिक	–टीएचडीसीआईएल प्रारंभिक रूप से जल विद्युत कंपनी के रूप में जल संसाधनों से स्वच्छ और नवीकरणीय विद्युत उत्पादन हेतु निर्मित की गई थी। –टीएचडीसीआईएल ने हाल ही में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश किया है और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। –टीएचडीसीआईएल इस दर्शन में विश्वास रखती है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। –टीएचडीसीआईएल कार्यालयों, अतिथि गृहों, सड़कों की लाइटें, निवास आदि सभी स्थानों पर पर्यावरण हितैषी तथा स्टार युक्त उपकरणों का प्रयोग करती है। पुराने उपकरण जिनमें ऊर्जा की खपत अधिक होती है उन्हें क्रमिक रूप से स्टार रेटेड वाले उपकरणों से बदला जा रहा है। ऋषिकेश के सभी होस्टलों और अतिथि गृहों में सौर ऊर्जा जल हीटर लगाए चुके हैं। पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदला जा रहा है। –जिम्मेदार कारपोरेट सिटीजन होने के नाते टीएचडीसीआईएल पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थिकी संतुलन के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी सतत् विकास के लिए विभिन्न कार्य संचालित करती है। –टीएचडीसीआईएल के पास जल की निगरानी तथा जल के ईष्टतम उपयोग के लिए जल प्रवाह की भविष्यवाणी के लिए प्रभावी जलाशय प्रबंधन प्रणाली है।	–कंपनी ने टिहरी बांध परियोजना के नकारात्मक प्रभाव के आंकलन के लिए बीएसआई,नीरी, जेडएसआई आदि जैसे संस्थानों से अध्ययन कराए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर कंपनी ने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए विस्तृत शमनकारी योजना लागू की है। पर्यावरण पर अवरोधकारी प्रभाव का आंकलन करने के लिए पोस्ट इंपाउन्डमेंट अध्ययन कराया गया। मैसर्स वॉप्कोस लि., गुड़गांव तथा भारतीय वन शोध एवं शिक्षा परिषद देहरादून को थर्ड पार्टी के रूप में वीपीएचईपी, आवाह क्षेत्र उपचार क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना कार्यान्वयन करने के संबंध में, नियोजित किया गया। शीतल जल मत्स्यशोध निदेशालय (डीसीएफआर) भीमताल को वीपीईएचपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास और कार्यान्वयन हेतु नियोजित किया गया।	–अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन निकायों से अधिकारिक मान्यता प्राप्त करना –लक्ष्य प्राप्त कर स्वच्छ और हरित विद्युत का उत्पादन करना। –वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र बढाना। –प्रतिपूरक वृक्षारोपण – ऊर्जा प्रबंधन तथा मानीटरिंग प्रणाली लागू करना। – वनस्पति तथा प्राणि समूह पर प्रभाव की सतत मानीटरिंग –जल को अवरूद्ध किए जाने से पूर्व एवं पश्चात उसकी गुणवत्ता की जांच। – जलाशय में मीथेन गैस के स्तर का मापन। – ऊर्जा बचत करने वाली डिवाइसों को बहुतायत में प्रतिस्थापित करना ।	– जेडएसआई की सिफारिशों के अनुपालनार्थ जुरासी नाला, कोटेश्वर के निकट प्रतिवर्ष 3 लाख बीज वाली महाशीर मत्स्य अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण किया गया। –कोटि के निकट 14.28 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय, सजावटी, इमारती लकडी, ईंधन तथा चारे वाले पौधों सहित 249 विभिन्न प्रणालियों के वृक्षों वाले वनस्पति उद्यान का रखरखाव – टीएचडीसीआईएल ने ऋषिकेश टाउनशिप में कैंटीन और उद्यानिकी अपशिष्ट का उत्पादक उपयोग करने का कार्य प्रारंभ किया है। अपशिष्ट संयंत्र से उत्पादित बायो गैस को किचन में तथा खाद का उपयोग उद्यानिकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। –टीएचडीसीआईएल ने निगम कार्यालय ऋषिकेश टिहरी एचपीपी स्टेज I, कोटेश्वर एचईपी, टिहरी पीएसपी तथा वीएचईपी हेतु आईएसओ 14001–2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रमाण–प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। टीएचडीसीआईएल ऋषिकेश परिसर ने 2015–16 के दौरान परियोजना बाढ़क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 16,326 वृक्ष लगाए। –टिहरी में 2100 हेक्टेयर भूमि (1138 हेक्टेयर वन तथा 962 हे. कृषि भूमि) को हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जा रहा है। –के.डी.डब्ल्यू. में वृक्षारोपण के लिए परिधि परिसर में 450 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई है। – 169 पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलइडी लाइटें लगाई गई है।

पूंजी	हम क्या करते हैं	हम कैसे व्यवस्था करते हैं	हम कैसे मापते हैं	परिणाम
बौद्धिक	टीएचडीसीआईएल निर्माण एवं प्रचालनीय क्षमता बढाने के लिए आंतरिक (इन हाउस) ज्ञान तथा बौद्धिक आधार विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। –आर एंड डी के माध्यम से संगत क्षेत्रों में विकसित प्रणालियों तथा तकनीक का विकास किया है। –मेक इन इंडिया अभियान के भागीदार के रूप में आयातित उत्पादों के स्वदेशी विकल्प –गुणवत्ता में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना	कर्मचारियों को ज्ञान प्रसार हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराना –हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए डिजीटल तकनीक में निवेश करना –आर एंड डी केंद्र तथा अनुसंधान प्रयोगशाला को उपकरण एवं साफ्ट वेयर सुलभ कराना –गुणवत्ता क्षेत्र स्थापित करना –कर्मचारियों का ज्ञान–आधार बढाने हेतु निर्माण, संरक्षा, मानव संसाधन तथा वित्त व्यवहार पर विभिन्न पुस्तकों, जर्नलों, मैनुअलों का प्रकाशन –प्राइमवीरा द्वारा परियोजना की ऑन लाइन मॉनीटरिंग –हाइड्रोटैक, पहल तथा गंगावतरणम जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन	पुरस्कार एवं सम्मान –पत्रिकाओं में आलेखों का प्रकाशन –आर एंड डी तथा नवोन्मेषी ज्ञान प्रबंधन में पहल –विभिन्न सरकारी एजेंसियों को बौद्धिक सहयोग	गुड गर्वनेस को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर विभिन्न पैकेज यथा बिल ट्रेकिंग प्रणाली, सतर्कता, एमआईएस, वाणिज्यिक माड्यूल, वित्त प्रबंधन प्रणाली के साथ इंटीग्रेशन, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली(एचआरएमएस) साफ्टवेयर वित्त प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) एप्लीकेशन, गुणवत्ता आश्वासन हेतु वेब आधारित साफ्टवेयर आन लाइन बिलिंग प्रणाली विकसित की गई। –श्री माता वैष्णो देवी स्राइन बोर्ड(एसएमवीडीएसबी) द्वारा श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ और कटरा के मध्य असुरक्षित ढलान स्थायीकरण कार्य के डिजाइन और इंजीनियरिंग का परामर्श कार्य –पीडब्ल्यूडी के अधीन उत्तराखंड की तीक्ष्ण लैंडस्लाइड जोन की 20 विभिन्न सड़कों के संरक्षण का परामर्शी कार्य –हाइड्रो पावर संरचनाओं हेतु सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का विकास। प्रयोगिक कार्य –टिहरी जलाशय के आवाह क्षेत्र से उत्पन्न सेडीमेंट का आंकलन जीआईए मॉडलिंग तथा विश्लेषण टिहरी एवं केएचईपी के ईएम उपक्रम की कंडीशन मानीटरिंग –अत्याधुनिक भू–तकनीक प्रयोगशाला की स्थापना –टिहरी क्षेत्र में भूकंप मानीटरिंग स्टेशन –टिहरी जलाशय में मीथेन गैस का मापन –टिहरी एचपीपी के वाल्वों का स्वदेशी विकास केएचईपी की जल संवहन प्रणाली की सीएफडी माडलिंग –ग्रिड डिस्टरबेन्स के अंतर्गत चर गतिक हाइड्रोइलैक्ट्रिक संयंत्र के निष्पादन का गतिज विश्लेषण

पूंजी	हम क्या करते हैं	हम कैसे व्यवस्था करते हैं	हम कैसे मापते हैं	परिणाम
बौद्धिक				–चेन्नई में 18–21 दिसंबर, 2015 तक आयोजित एनसीक्यूसी 2015 में टीएचडीसीआईएल की गुणवत्ता सक्रिल टीम ने 'पार एक्सीलेंस अवार्ड, 3 टीमों ने एक्सीलेंस एवार्ड तथा एक टीम ने विशिष्ट अवार्ड प्राप्त किया।
सामाजिक	समाज के प्रति उत्तरदायी कारपोरेट समाज और समुदाय में मूल्य सृजन में निरन्तर वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करता है। प्रारंभ से ही टीएचडीसीआईएल मानवीय दृष्टिकोण से व्यापार कर रहा है और सामाजिक रूप से उत्तरदायी कारपोरेट रहा है।	बोर्ड स्तर पर सीएसआर समिति है जो स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है। –कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 के अनुरूप सीएसआर नीति है। –टीएचडीसीआईएल, टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के निर्देशन में दो विद्यालय चलाता है। यह समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समिति है। एक विद्यालय भागीरथ पुरम तथा दूसरा प्रगति पुरम, ऋषिकेश में संचालित हैं। ये विद्यालय निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अजा/अजजा वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। भागीरथपुरम में (टिहरी बांध तथा एचपीपी के निकट) टीएचडीसीआईएल ने भावी कुशल मानव शक्ति/ तकनीकी स्नातकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सीएसआर पहल के अंतर्गत एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की है। प्रदेश की कुशल मानवशक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान	सीएसआर एवं सतता प्रभारी को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। सभी पूर्ण किए गए सीएसआर कार्यों के प्रभाव का आंकलन किया जाता है तथा रू. 5.00 लाख से अधिक वाले कार्यक्रम बाह्य विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किए जाएंगे तथा उनकी सफलता/असफलता की रिपोर्ट बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति को प्रस्तुत की जाती है।	–बोर्ड ने 2015–16 के लिए रू. 17.19 करोड़ का सीएसआर हेतु बजट अनुमोदित किया है। – विद्युत मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के विभिन्न विद्यालयों के 1093 शौचालयों की मरम्मत का कार्य आबंटित किया। टीएचडीसीआईएल ने 1188 शौचालयों का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया। –टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड प्रदेश में टिहरी में हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान की स्थापना को प्रायोजित किया। जिसमें कुल 1097 विद्यार्थी हैं। –अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के 600 बेरोजगार शिक्षित युवाओं हेतु 6 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। –चंबा टिहरी की सरकारी आईटीआई के माध्यम से 2 वर्षीय कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के चोपडा गांव के 5 युवाओं को फिटर व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जा रहा है। आधार रेखा सर्वेक्षण के बाद 50 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा महिला मंडलों का प्रतापनगर प्रखंड में गठन किया गया। फार्मिंग प्रणाली से जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 10 (दस) ग्रामों की जिससे न्यूनतम 10 महिलाओं की समूह में गतिविधियां प्रारंभ हो सके इनमें से एक कोटेश्वर बांध क्षेत्र तथा दूसरा कांडी सौड क्षेत्र में गोद लिया गया।

पूंजी	हम क्या करते हैं	हम कैसे व्यवस्था करते हैं	हम कैसे मापते हैं	परिणाम
सामाजिक		में रखते हुए टीएचडीसी इंडिया लि. ने चंबा और कोटेश्वर के आईटीआई संस्थानों को गोद लिया। वीपीएचईपी की आर एंड आर नीति, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना (2007) की राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित प्रावधानों से बढ़कर है। • श्री भुवनेश्वरी महिला, आश्रम (एसबीएमए) एवं स्वयं सेवी संगठन को टीएचडीसीआईएल और परियोजना प्रभावित समुदायों के मध्य माध्यम बनाने के रूप में जोड़ा है। • सभी सीएसआर कार्यों का कार्यान्वयन कंपनी द्वारा प्रायोजित स्वयं सेवी संगठन अर्थात सेवा टीएचडीसी को सौंपा गया है जो समर्पित भाव से सीएआर गतिविधियों को व्यावसायिक रूप से संचालित करते हैं केंद्र बिन्दु हैं– (i) टीएचडीसी निरामय(स्वास्थ्य)–पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा पेय जल परियोजना (ii) टीएचडीसी जागृति (उज्जवल भविष्य के लिए पहल)– शैक्षिक पहल (iii) टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – जीविका उत्पत्ति, तथा कौशल विकास पहल (iv) टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) ग्रामीण विकास (v) टीएचडीसी समर्थ (सशक्तिकरण) सशक्तिकरण पहल (vi) टीएचडीसी सक्षम (समर्थ)– वरिष्ठ एवं अन्यथा योग्य व्यक्तियों की देखभाल (vii) टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) पर्यावरण संरक्षण पहल को पहचाना गया।		

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

पूंजी	हम क्या करते हैं	हम कैसे व्यवस्था करते हैं	हम कैसे मापते हैं	परिणाम
मूर्त	जल, पवन, सौर, थर्मल आदि क्षेत्रों में नई विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य करना। –प्रचालनीय परियोजनाओं का उत्कृष्ट दशा में अनुरक्षण तथा पुरानी परियोजनाओं से न्यूनतम अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। विभिन्न स्थानों (लोकेशन) पर समस्त सुविधायुक्त आधुनिक टाउनशिप का निर्माण	–विभिन्न प्रादेशिक सरकारों तथा केंद्रीय एजेंसियों के मध्य नई परियोजनाओं में संकल्पना से लेकर संस्थापना तक सहयोग करना –अनुभवी कार्यबल के साथ अत्याधुनिक तकनीक के साथ परियोजनाओं का निर्माण –परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु भौतिक परिसंपत्तियों तथा आधार रेखा अध्ययन में निवेश उपकरण, परियोजना प्रबंधन औजार –प्रचालनीय परियोजनाओं का योजनाबद्ध अनुरक्षण करना। –हितग्राहियों से देयताओं की वसूली हेतु समुचित संपक्र रखना।	–प्रचालन, निर्माण तथा अन्वेषणाधीन परियोजनाओं की संख्या –प्रचालनीय परियोजनाओं से उत्पादित यूनिटों की संख्या	प्रचालनीय परियोजनाएं– परियोजना 1.टिहरी एचपीपी –1000मेवा. 2.कोटेश्वर एचपीपी –400 मे.वा. 3.पाटन गुजरात– 50 मे.वा. निर्माणाधीन परियोजनाएं 1.टिहरी पीएसपी – 1000 मे.वा. 2.वीपीएचईपी –400मे.वा. 3.ढुकुवां एसएचपी – 24 मे.वा. डीपीआर एवं एस एंड आई स्टेज–उत्तराखंड 1.झेलम तमक एचईपी–108मे.वा. 2.मलारी झेलम एचईपी–65 मे.वा. 3.गोहाना ताल एचईपी–50 मे.वा. 4.करमोली एचईपी–140मे.वा. 5.जडगंगा एचईपी–50 मे.वा. 6.बोकांग बेलिंग एचईपी–330मे.वा. महाराष्ट्र 1.मलशेज घाट पीएसपी–700मे.वा. 2.हुम्बर्ली पीएसपी –400मे.वा. भूटान में बुनाखा–180 मे.वा. थर्मल–खुर्जा एसटीटीपी–1320मे.वा. नवीकरणीय– सौर–बिडिंग (बोली) होनी है –50 मे.वा.

वित्तीय – पूंजी

तुलन पत्र	सकल आय	निवल लाभ	निवल संपत्ति
₹ 13549.14 करोड़	₹ 2479.65 करोड़	₹ 809.02 करोड़	₹ 8416.86 करोड़

टीएचडीसीआईएल अपने समस्त हितधारकों के वित्तीय हितों को सम्मान देता है और लाभ अर्जन को सांविधिक न्यूनतम तक सीमित नहीं करते हुए इसकी वित्तीय पूंजी को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने में जुटा है। इसके साथ–साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहा है। कंपनी परियोजना प्रारंभ होने के समय से ही ऋण इक्विटी मानदंड 70:30 सुनिश्चित करती है, टीएचडीसीआईएल की 31.03.2016 को चुकता इक्विटी पूंजी 3558.88 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण 3497.92 करोड़ है। स्थूल विनियमित मानदंडों की सीमा में हम गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं। वित्तीय पूंजी की दक्ष प्रबंधन व्यवस्था के कारण ही टीएचडीसीआईएल अपनी पहली परियोजना जो 2006 में वाणिज्यिक प्रचालन में आई तबसे यह कभी भी हानि में नहीं रही है।

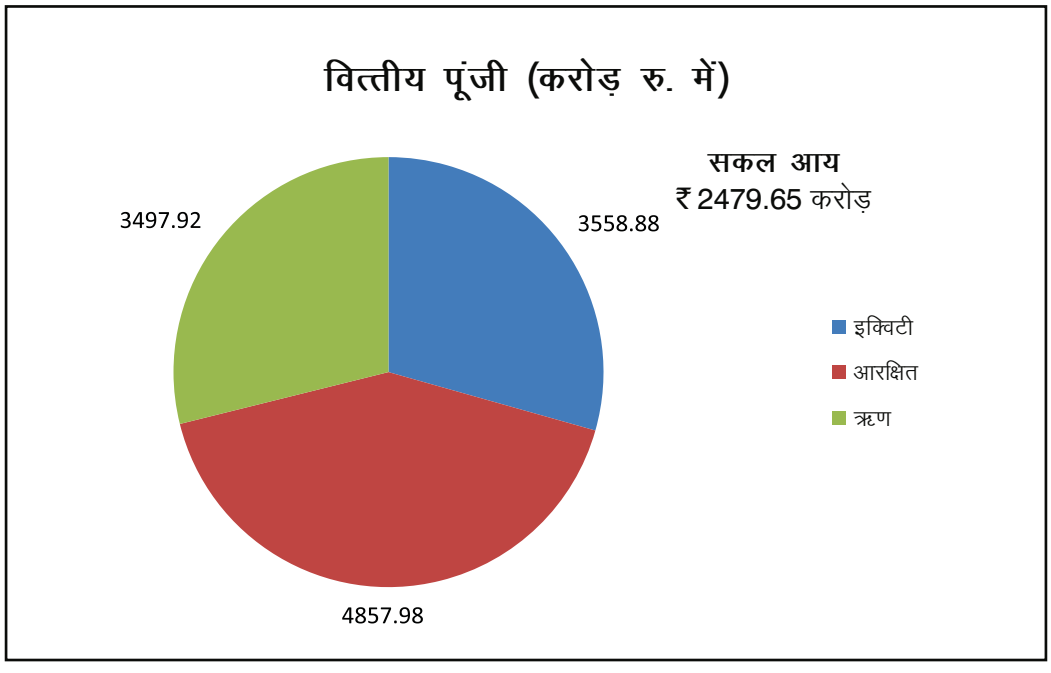

टीएचडीसीआईएल का विश्वास है कि कंपनी की विश्वसनीय और वास्तविक वित्तीय पूर्वानुमानों पर इसकी वृद्धि और सफलता प्रभावित होती है। तद्नुसार दीर्घावधि कारपोरेट योजना के साथ–साथ निवेश निर्णयों की कार्य नीतियों और लाभकारी राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय बजट के माध्यम से वार्षिक योजनाओं को व्यवस्थित तथा मानीटर किया गया।

व्यापारिक प्रचालन के बाद 31.03.2016 तक संचित लाभ रू. 5178.40 करोड़ से वित्तीय पूंजी जुटायी गई इससे 31.03.2016 तक 1035.50 रू. का लाभांश (प्रस्तावित लाभांश सहित) वितरित किया गया तथा पुनर्निवेश के लिए रू. 4142.90 करोड़ आरक्षित किए गए। आंतरिक संसाधनों के बल पर नई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय की व्यवस्था की गई।

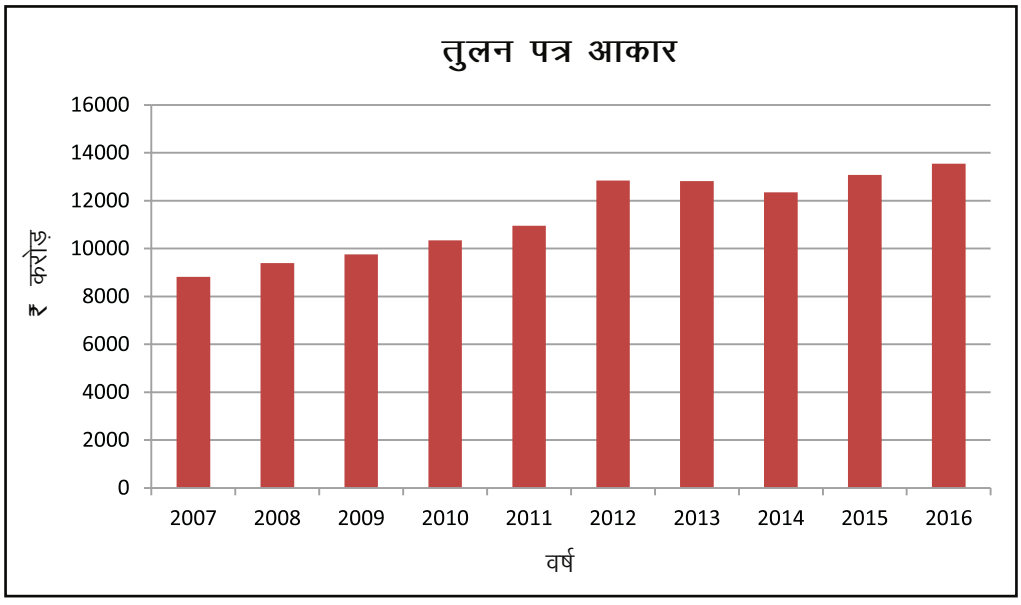

तुरंत और दक्ष निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के पास वास्तविक वित्तीय जानकारियां उपलब्ध होना आवश्यक है। इस दिशा में टीएचडीसीआईएल के पास केंद्रीय सर्वर के साथ, सभी स्थानों से जुड़ी वेब आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सुलभ है।

आंतरिक वित्त नियंत्रण प्रणाली कारपोरेशन को न्यूनतम वित्तीय जोखिम के समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कंपनी की दुर्लभ वित्त पूंजी दक्षता अथवा निर्णय लेने की क्षमता अथवा गति को प्रभावित किए बिना, उनका ध्यान रखती है। वित्तीय प्रबंधन मैनुअलों तथा अन्य नियंत्रण प्रणालियों की परिवर्तनशील इको सिस्टम से संगति बनाए रखने हेतु समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

हितधारकों को समय पर भुगतान करने तथा मानवीय हस्तक्षेप को बचाने के लिए टीएचडीसी ने ई–भुगतान प्रणाली को अपनाया है। ई–भुगतान के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों तथा कर्मचारियों को समस्त भुगतान किया जाता है। हम अपने संविदाकारों तथा हमारे भागीदार आपूर्तिकर्ताओं तथा महत्वपूर्ण हितधारकों की सराहना करते हैं जो हमारे वित्तीय संसाधनों के अभिनियोजन में सहायता करते हैं जिससे आय बढ़ाने में सहायता मिलती है तथा स्वामियों और हितधारकों की गरिमा में वृद्धि होती है।

केयर रेटिंग

टीएचडीसीआईएल ने मैसर्स क्रेडिट एनालाइसिस एंड रिसर्च लि. को टीएचडीसीआईएल की वार्षिक क्रेडिट रेटिंग जानने के लिए वार्षिक निगरानी का कार्य सौंपा है। इससे बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्द्धात्मक ब्याज दरों पर ऋण पूंजी जुटाने तथा हमारे हितधारकों को भी कंपनी की साख जोखिम जानने में सहायता मिलती है।

टीएचडीसीआईएल अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने हेतु प्रयत्नशील है और इसके परिणामस्वरूप इसकी क्रेडिट रेटिंग में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है और यह रेटिंग वित्त वर्ष 2013–14 में "AA-", वित्त वर्ष 2014–15 में "AA" से बढ़कर वित्त वर्ष 2015–16 में "AA+" हो गई है।

मानव–पूँजी

कर्मचारी	प्रशिक्षण मानव–दिवस
1990	4299

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) कार्यों में असंख्य परिवर्तनों ने व्यापारिक आवश्यकताओं तथा व्यक्तिशः आकांक्षाओं के संतुलन पर प्रहार किया है। प्रतिपर्द्धा और श्रेष्ठता की होड़ के वर्तमान परिदृश्य में संस्थानिक सफलता में मानव संसाधन निर्णायक भूमिका निर्वाह करता है। आपकी कंपनी में सांस्थानिक विकास उस सफल प्रणाली के पोषण पर केंद्रित है जो मानव संसाधन के अधिकतम उपयोग, अन्य संसाधनों के साथ समग्र व्यापारिक कार्यनीति के एक भाग के रूप में सहयोग करता है।

सक्षम एवं प्रतिबद्ध कार्य बल

टीएचडीसीआईएल के पास सक्षम एवं प्रतिबद्ध कार्य बल है कार्यपालकों के पास प्रतिस्पर्द्धात्मक परिवेश में कार्य करने हेतु भरपूर अनुभव तथा अपेक्षित कौशल है। टीएचडीसीआईएल में संघर्ष की दर नगण्य है तथा हमारा यह विश्वास है कि हमारे कार्यपालकों के कौशल, उद्योग के ज्ञान, तथा प्रचालन अनुभव से हमें प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ मिलता है क्योंकि हम विद्यमान बाजार को विस्तार एवं विविधता देना तथा नए भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश करना चाहते हैं। हम मानव संसाधनों और विकास हेतु उल्लेखनीय संसाधनों का निवेश करते हैं तथा हमारी समान प्रचालन प्रणाली, प्रक्रियाएं तथा स्टाफ प्रशिक्षण प्रक्रिया हमें सभी परियोजनाओं तथा केंद्रों पर प्रचालन मानक लागू करने पर बल देती है। कंपनी ने अपनी मानव परिसंपत्ति के कौशल उन्नयन हेतु अनेक पहल की हैं जिससे भावी चुनौतियों का सामना किया जा सके तथा बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान किए जा सकें।

परियोजना डिजाइन हेतु हमारे पास अपनी टीम है जिसके पास हमारी परियोजनाओं हेतु संकल्पना से लेकर संस्थापना की इंजीनियरिंग सामर्थ्य है। हमारी टीम आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठित परियोजना परामर्शदाताओं से भी मदद लेती है। हमारी अपनी टीम की इंजीनियरिंग की संगत विविध शाखाओं यथा हाइड्रोलॉजी, विद्युत, सिविल, भूतकनीकी डिजाइन में विशेषज्ञता है।

टीएचडीसीआईएल के पास 31.03.2016 को 1990 कार्मिकों की मानव पूंजी है जिसमें 826 कार्यपालक, 104 पर्यवेक्षक, 1054 कामगार हैं। टीएचडीसीआईएल ने इंजीनियरिंग, वित्त, विधिक, जन संचार, पर्यावरण आदि की विविध शाखाओं में भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 47 कार्यपालक प्रशिक्षुओं को भर्ती किया है। नए प्रशिक्षुओं की अभिमुखता, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए एक संतुलित रूपरेखा बनाई गई। टीएचडीसीआईएल को अपनी उच्च मनोबल एवं सक्षम मानव संसाधन पर गर्व है जिसने कंपनी को वर्तमान ऊंचाइयों पर पहुंचाने हेतु अपना श्रेष्ठतम योगदान किया।

कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास

टीएचडीसीआईएल ने अपने कर्मचारियों के लिए 61 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा वाह्य कार्यक्रमों के लिए 4000 मानव दिवस के लक्ष्य के स्थान पर 4299 मानव दिवस हेतु नामित किए गए। प्रति कर्मचारी यह औसत 2.16 मानव दिवस आता है। तकनीकी प्रशिक्षण का कुल प्रतिशत 43 आता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

1) प्राइमवीरा प्रशिक्षण
2) प्रबंधन विकास कार्यक्रम
3) कामगारों के लिए ओ एंड एम प्रशिक्षण
4) मेंटरिंग कार्यशाला
5) एचआर फार एचआर
6) महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
7) कार्यपालकों (बोर्ड स्तरीय सदस्यों सहित) तथा गैर–कार्यपालकों के लिए अभिप्रेरणा कार्यशालाएं
8) एकीकृत लीड आडीटर

सहमति ज्ञापन (एमओयू) के लक्ष्यानुसार, आईआईटी रूड़की तथा एएससीआई हैदराबाद के माध्यम से क्रमशः (1) उद्यम जोखिम प्रबंधन (21 कार्यपालकों हेतु) (2) सततता विकास, आर एंड आर तथा सीएसआर के (15 कार्यपालकों के लिए) दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किए गए।

वर्ष के दौरान महिला सशक्तिकरण और उनसे जुड़े अन्य विषयों पर आयोजित कार्यक्रमों/संगोष्ठियों में महिला कर्मचारियों को नामित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया।

आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण नीति तथा उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए अनिवार्य प्रावधानों से अवगत कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए।

कौशल अंतर विश्लेषण

टीएचडीसीआईएल ने टीएचडीसीआईएल हेतु ''कौशल अंतर विश्लेषण एवं संस्थानिक सशक्तिकरण हेतु क्षमता निर्माण के लिए प्रारंभिक निदान'' (सीबीआईएस) परामर्शदाता को अनुबंधित किया। क्रिसिल (CRISIL) के कार्य का मुख्य प्रयोजन विजन तथा मिशन, प्रक्रिया, कौशल तथा प्रशिक्षण विकास, मानव संसाधन योजना तथा संगठन की संरचना का पुनरीक्षण शामिल था। टीएचडीसीआईएल को प्रतिष्ठित 'स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार' के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में विशिष्ट योगदान के लिए 'स्वर्ण ट्राफी' एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण

बोर्ड सदस्यों की नेतृत्व क्षमता, विकास कारपोरेट गर्वनेंस आदि हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता हेतु टीएचडीसीआईएल ने आयोजन किया। कारपोरेट गर्वनेंस, कंपनी कानून और वर्तमान में लागू नए अधिनियमों के विषय में आयोजित वाह्य प्रशिक्षण में स्वतंत्र निदेशकों को भी नामित किया गया।

एचआर केवल 'सेवानिवृत्ति तक नियोजन' ही नहीं बल्कि मानवशक्ति को प्रशिक्षत करना, संपोषित कर बनाए रखना भी है। हमारे निगम ने मानव पूंजी के प्रभावी विनियोजन हेतु अनेक मध्यवर्ती कार्यक्रम तैयार किए हैं।

कर्मचारी विनियोजन

सामाजिक मीडिया– टीएचडीसीआईएल ने जनसंपर्क के दैनंदिन मामलों को कुशलता एवं जिम्मेदारी के साथ सुलझाने के लिए एक पीआर(जनसंपर्क) विभाग बनाया है। टीएचडीसीआईएल का फेसबुक पर एक सक्रिय पेज तथा टियूटर हैंडल भी है जो विद्युत मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कारपोरेट संचार विभाग के फेसबुक पेज और टियूटर हैंडल से भी जुड़ा हुआ है। हम समय–समय पर अपने हितधारकों को इन संचार चैनलों के माध्यम से सूचना का प्रसार करते हैं। कर्मचारी इन डिजीटल प्लेटफार्मों पर लगातार अपने विचार और फीडबैक देते रहते हैं।

सामाजिक संपर्क प्लेटफार्म– टीएचडीसीआईएल ने सामाजिक संपर्क, कार्य–जीवन संपर्क में संतुलन तथा आंतरिक संचार को दृढ़ बनाने के लिए अनेक प्लेटफार्म बनाए हैं। टीएचडीसी अधिकारी क्लब, टीएचडीसी महिला कल्याण एसोसिएशन की सामाजिक मीडिया में सक्रिय उपस्थिति है। यहां महिला मंडल दल भी है। क्लब में जिम, पुस्तकालय तथा कैंटीन सुविधाएं हैं। निगम कर्मचारी और उनके परिजन इन प्लेटफार्मों का सामाजिक संपर्क, मनोरंजन तथा पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने में उपयोग करते हैं। सामुदायिक पर्व मनाए जाते हैं। वर्ष में अनेक कल्याणकारी गतिविधियां ग्रीष्म कालीन खेलों से लेकर शीतकालीन खेल, अंतरा पीएसयू खेलों आदि का भी आयोजन होता है।

व्यापार–संचार

टीएचडीसीआईएल के कर्मचारी परियोजना स्तर पर दैनंदिन सूचना के आदान–प्रदान तथा अंतर एवं अंतरा विभागीय कार्यों हेतु वाट्स ऐप से जुड़े हुए हैं जिससे कागज के उपयोग में कमी आ रही है तथा **''कागज रहित कार्य संस्कृति''** की ओर बढ़ने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। उदाहरणार्थ परियोजना तथा अन्य कार्यालयों के जन संपर्क कार्मिक इस माध्यम से जुड़े हुए हैं और गृह पत्रिका, आंतरिक उपयोग, प्रेस विज्ञप्ति के लिए सूचना के आदान–प्रदान हेतु इस माध्यम का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के वीडियों/फोटो का सूचना के विस्तृत आदान–प्रदान हेतु वाट्स एप का इस्तेमाल किया जाता है।

इलैक्ट्रानिक पत्रिका– टीएचडीसीआईएल द्वारा ''टीएचडीसीआईएल कम्युनिकेशन चार्टर'' नामक त्रैमासिक इलैक्ट्रानिक पत्रिका जारी की जाती है इसमें कवर स्टोरी, साक्षात्कार पुस्तक समीक्षा, पहेलियां, पोल, विभिन्न कालम तथा दीर्घायु जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आलेख होते हैं। इस पहल की पृष्ठभूमि में यूजर जेनरेटेड कंटेट (यूजीसी) को बढ़ावा देना तथा कारपोरेशन की संचार प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना है।

टीएचडीसीआईएल एक उत्तरदायी कारपोरेट नागरिक है जिसका यह दृढ़ विश्वास है, कि इसके हितधारकों में सूचना का अबाधित प्रवाह हो। इसके लिए विविध एवं अनुनादी नीति है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक नीतियां हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

नीति रूपरेखा

1. **कारपोरेट आचार नीति**– टीएचडीसीआईएल ने 2012 में कारपोरेट आचार नीति अंगीकृत की। इसका उद्देश्य

व्यवसायिक संव्यवहार में कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को वृहद निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण करना है। यह नीति व्यावसायिक संव्यवहार को निर्देशित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे सभी जो संस्थान के लिए कार्य करेंगे, उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता का पालन करेंगे तथा टीएचडीसीआईएल के सुशासन में योगदान करने के दायित्व का पालन करेंगे और इसकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता की ख्याति को बढ़ाएंगे।

2. **सचेतक नीति/सतर्कता तंत्र**– टीएचडीसीआईएल ने सार्वजनिक जीवन हेतु सचेतक नीति अपनाई है। इसका उद्देश्य हितधारकों को किसी अनैतिक व्यवहार असंगत कार्रवाई के संबंध में बोलने का अधिकार प्रदान करना है।

3. **शिकायत निवारण तंत्र**– टीएचडीसीआईएल ने अपने व्यवसाय संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा अपने हितधारकों की चिन्ताओं और मुद्दों को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सुलझाने हेतु सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र बनाया है। कारपोरेशन के लिए निदेशक (लोक शिकायत) तथा प्रत्येक परियोजना तथा इकाई कार्यालयों के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकारी उपलब्ध है।

4. **सीएसआर एवं सततता नीति**– टीएचडीसीआईएल सीएसआर तथा सततता नीति–2015 कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालनार्थ लागू की गयी। इस नीति ने टीएचडीसीआईएल सीएसआर को प्रशासनिक फ्रेमवर्क और एसडी मध्यस्थता प्रदान की।

5. **सीएसआर संचार कार्य नीति**– सीएसआर तथा सततता पर 1 अप्रैल, 2013 से लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश हितधारकों से सीएसआर एवं सततता गतिविधियों के चयन एवं कार्यान्वयन के संबंध में नियमित संवाद और संचार बनाए रखने के लिए सीपीएसई को एक तंत्र बनाना अपेक्षित है इस परिप्रेक्ष्य में टीएचडीसीआईएल बोर्ड ने सीएसआर संचार कार्यनीति अनुमोदित की।

पुरस्कार

इन मौलिक और नवीन उपायों से आपकी कारपोरेशन को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन हेतु स्कोप गोल्ड ट्राफी तथा ग्रीन टेक एच आर लीडरशिप प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार के क्षेत्र 'क' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वर्ग में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु कंपनी को वर्ष 2014–15 हेतु प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' का तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्राकृतिक–पूँजी

प्राकृतिक पूंजी से तात्पर्य उन प्राकृतिक संसाधनों से है जिन्हें हम अपने आंतरिक और वाह्य हितधारकों और समुदाय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयोग करने के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधन संरक्षण/पर्यावरणीय उपशमन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई करते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने प्रारंभ से ही प्राकृतिक पूंजी को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है। टीएचडीसीआईएल अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को प्रभावित न होने देने के लिए प्रयासरत है जैसे वायुमंडलीय उत्सर्जन (विशेषकर ग्रीन हाउसगैस) में कमी, भूमि और जल संरक्षण के उपाय, जैव विविधता संरक्षण, पास–पड़ौस की सुविधाओं का समेकन, स्रोतों में कमी, पुनर्उपयोग, पुनर्चक्रीकरण, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को घटाने के लिए सभी संभव प्रयास करना। टीएचडीसीआईएल का मानना है कि कंपनी का कारोबार इसके वित्तीय परिणामों के कारण ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर विशेषकर पर्यावरण पर इसके प्रभाव के लिए जाना जाए।

प्राकृतिक संसाधनों की बचत के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान

किसी भी राष्ट्र के विकास की पहली आवश्यकता ऊर्जा (पावर) है। वर्ष 2006–07 से देश की स्थापित निवल क्षमता में टीएचडीसीआईएल का योगदान 0.475% है[1]। टीएचडीसीआईएल का यह भाग हाइड्रो तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का है जो विद्युत का स्वच्छ और हरित स्रोत हैं।

टीएचडीसीआईएल उत्पादन के पहले वर्ष से ही, देश के कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पैट्रोलियम को बचाने में सहायता कर रहा है, जिसे इतनी ही मात्रा में विद्युत उत्पादन हेतु जलाया जाता है। अपने प्रचालन से टीएचडीसीआईएल के क्रमशः 16489063.6 मिलियन टन कोयला, 353384940 एमसीएफ प्राकृतिक गैस तथा 60674842 बैरल पैट्रोलियम की निवल बचत की[2]।

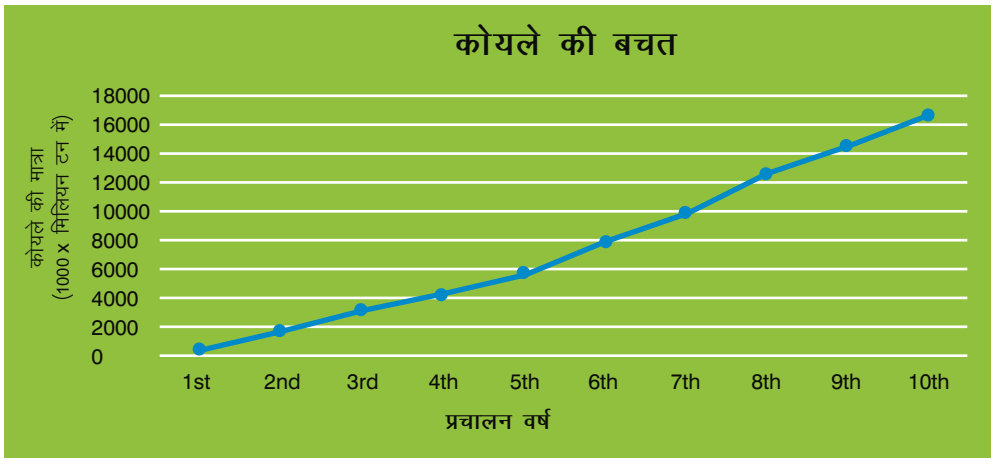

1: http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2016/installed_capacity-07.pdf

2: अमेरिकी ऊर्जा सूचना पशासन के अनुसार 1 कि.वा. ऊर्जा उत्पादन हेतु कोयला = 0.00052 शार्ट टन अथवा 1.04 पौंड अथवा प्राकृतिक गैस =0.01011एमसीएफ (1एमसीएफ 1,000 घन फुट के बराबर है) अथवा पैट्रोलियम =0.00173 बैरल (या 0.07 गैलन) (https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=667&t=2)

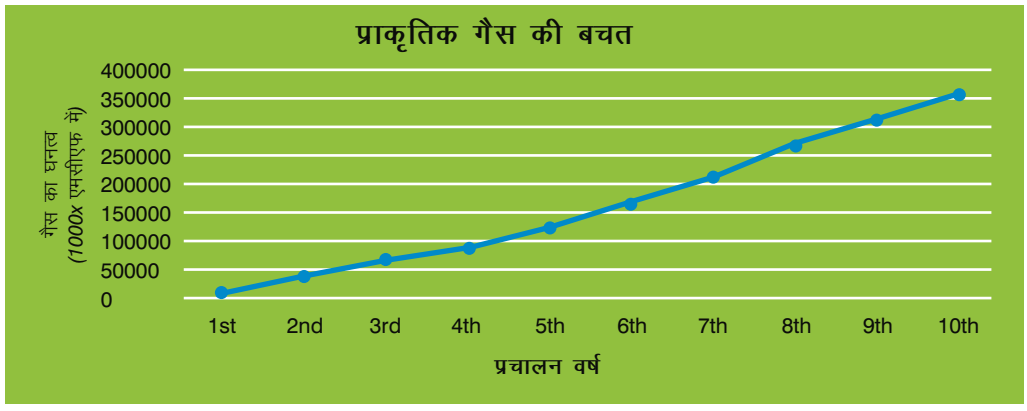

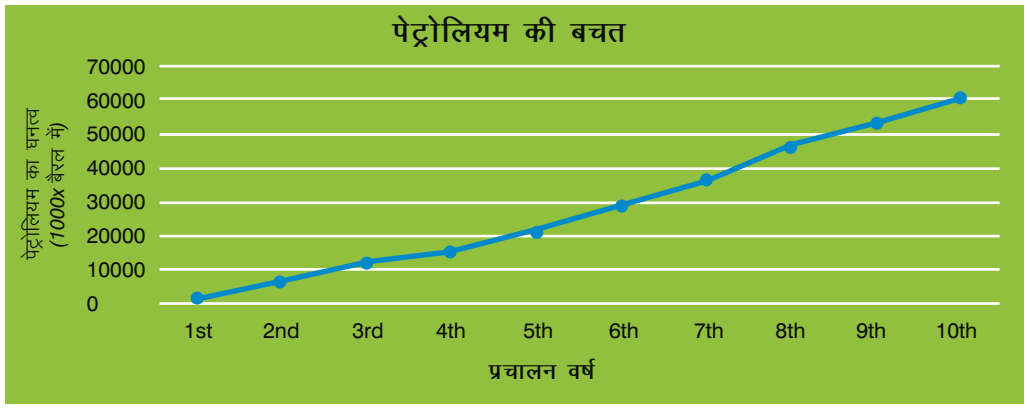

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी

हाइड्रो तथा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन से न केवल प्राकृतिक संसाधनों की बचत की बल्कि इससे टीएचडीसीआईएल जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई का एक सक्रिय सदस्य बन गया। इस प्रचालन से टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2006–07 से 2015–16[3] तक 34954 मि.यू. विद्युत उत्पादन के लिए जलाए जाने वाले कोयले से उत्पन्न होने वाली लगभग 3.00 करोड़ जब tCO_2 ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन को रोका।[3]

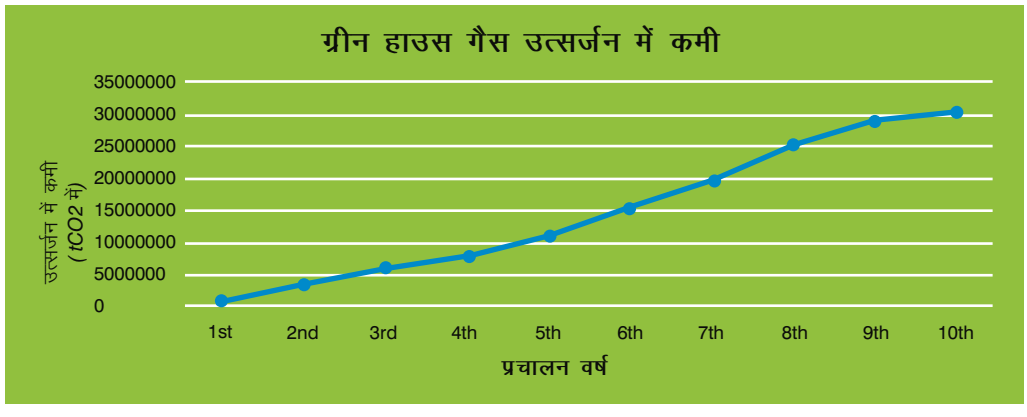

3. एसीएम 0002: जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंवेंशन (यूएनएफसीसीसी)द्वारा जारी नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड कनेक्टेड विद्युत उत्पादन

कार्बन सिंक का सर्जन

समुद्र, भूमि और पौधे मुख्य रूप से कार्बन शोषक (सिंक) हैं। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाई आक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ कार्बन पौधे के मरने और अपघटित होने पर भूमि को अंतरित कर देते हैं। प्रकृति में पौधों के महत्व का संज्ञान लेते हुए टीएचडीसीआईएल वन और पौधों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है तथा जब कभी भी परियोजना हेतु वृक्षों का काटना जरूरी हुआ तब टीएचडीसीआईएल ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निर्दिष्ट अनिवार्य मानदंडों से अधिक पौधे लगाए।

वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक सीएसआर के अंतर्गत 2,25,266 वृक्ष लगाए गए, इनमें से 16,326 वृक्ष पिछले वर्ष लगाए गए।

जैव विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन

टीएचडीसीआईएल द्वारा जैव विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकी संतुलन हेतु प्रतिबद्धता, उनके इस बारे में किए जा रहे कार्यों से स्पष्ट है। टीएचडीसीआईएल द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गई है।

- औषधि (हर्बल) शोध विकास संस्थान (एचआरडीआई), वीपीएचईपी में औषधीय उद्यान विकसित करने का कार्य मंडल, गोपेश्वर, चमोली जिले को सौंपा गया है। एचआरडीआई के सुझावानुसार छतों के विकास का सिविल कार्य, भूमि तैयार करने का कार्य 2015–16 में पूरा किया जा चुका है तथा सजावटी, औषधीय तथा सौंदर्य बोधी प्रजातियों के वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है।
- शीतल जल मत्स्य शोध निदेशालय (डीसीएफआर) भीमताल को वीपीईएचपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास और कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। डीसीएफआर ने विष्णुप्रयाग से कर्णप्रयाग तक वीपीएचईपी हेतु उपयुक्त मत्स्य प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया हेतु अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में तटवर्ती परिस्थितिकी का गहन सर्वेक्षण किया है।
- वीपीएचईपी परियोजना स्थल पर वन्य जीव संरक्षण तथा मानव–पशु संघर्ष से बचने के लिए उपयुक्त स्थानों पर 4 पहरा मचान/मानीटरिंग इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश में वार्षिक राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्राथमिक दौर में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 1 लाख बच्चे अपने विद्यालयों में इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं पूरे प्रदेश से 100 श्रेष्ठ चित्रकार चुने जाते हैं। इनमें श्रेणी एक में कक्षा 4, 5, 6 के 50 तथा श्रेणी दो में कक्षा 7, 8 एवं 9 के 50 विद्यार्थी होते हैं। सभी सफल बच्चों को दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। उत्तराखंड के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विद्युत मंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करने के अवसर मिले हैं।

ऊर्जा प्रबंधन दक्षता

टीएचडीसीआईएल अपने संज्ञान में ऊर्जा दक्ष तकनीक के प्रयोग का प्रयास करता है तथा पर्यावरणीय हानि को न्यूनतम करने के दायित्व का निर्वाह करता है। टीएचडीसीआईएल कार्यालयों, अतिथि गृहों, स्ट्रीट लाइटों, आवास गृहों आदि में पर्यावरण हितैषी तथा स्टार युक्त उपकरणों का उपयोग कर रहा है। अधिक विद्युत खपत वाले पुराने उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से स्टार युक्त उपकरणों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

टीएचडीसीआईएल का विश्वास है कि विद्युत का दक्षतापूर्वक उपयोग कर विद्युत मांग को कम किया जा सकता है। टीएचडीसीआईएल कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आवासीय एवं कार्यालयीन परिसरों में नियमित अंतराल पर ऊर्जा आडिट किया जाता है। ऊर्जा ऑडिटरों की सिफारिशों को समयबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं –

- केएचईपी का ऊर्जा आडिट केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा किया गया। टीएचडीसीआईएल, सीपीआरआई की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है–

- ऋषिकेश के सभी होस्टलों तथा अतिथि गृहों में सौर वाटर हीटर लगाए जा चुके हैं।
- छतों के पुराने पंखों के स्थान पर पांच सितारा चिन्हित पंखे लगाए जा चुके हैं।
- नए भवनों में ऊर्जा दक्ष उपकरण प्रकाश पुंज लगाए गए हैं तथा दिन के प्रकाश के समुचित उपयोग की व्यवस्था की गई है।
- कार्यालय तथा अतिथिगृहों में एलईडी विद्युत फिटिंग लगाई जा चुकी है।
- कालोनी परिसर में आवासीय उपभोक्ताओं को उनके आवासगृहों में ऊर्जा दक्ष उपकरण/प्रकाश पुंज के उपयोग के लाभ से अवगत कराया गया है।

- पुराने एयर कंडीशनरों के स्थान पर नए स्टार चिन्हित एसी लगाए जा चुके हैं।
- 169 पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं। एलईडी संक्रमण अवधि में उपभोग और लागत में बचत की अपार क्षमता है।
- टीएचडीसीआईएल की कारपोरेट कार्यालय की छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने की योजना है।
- टीएचडीसीआईएल इन सुविधाओं के अतिरिक्त मोशन सेंसर आधारित प्रकाश प्रणाली लगाने की योजना बना रहा है।

पर्यावरण प्रबंधन एवं मॉनीटरिंग

ई–अपशिष्ट– टीएचडीसीआईएल ने उत्तरदायी ढंग से ई–अपशिष्ट के निपटाने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिकृत ई–अपशिष्ट हैंडलर थर्ड पार्टी को सूचीबद्ध किया है।

कचरा प्रबंधन –निर्धारित स्थान पर कचरा डंप किया जाता है तथा यह स्थान बाढ़ स्तर से काफी ऊंचाई पर है। पर्यावरण हितैषी रूप से इंजीनियरिंग तथा जैविकी तरीकों को अपनाकर कचरे की व्यवस्था की जाती है।

वाहित मल उपचार एवं निपटान – वित्त वर्ष 2015–16 में ऋषिकेश की एक टाउनशिप के लिए 1 एमएलडी क्षमता वाले वाहित मल उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वाहित मल उपचार संयंत्र से उपचारित बर्हिस्राव जल को टाउनशिप में उद्यानिकी कार्यों में प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है।

बायोगैस संयंत्र – टीएचडीसीआईएल ने कैंटीन और उद्यानिकी अपशिष्ट को ऋषिकेश टाउनशिप में उपयोग में लाने की पहल की है। इस संबंध में टीएचडीसीआईएल ने सभी उपलब्ध तकनीकों का आंकलन अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। टीएचडीसीआईएल ने टीम (टेरी की बटी हुई एसिडीफिकेशन एंड मीथेनेशन) प्रक्रिया को प्राथमिक आंकलन के बाद अपनाया है। टीएचडीसी ने यह परियोजना टेरी को उसकी पेटेंट तकनीक–टीम प्रक्रिया पर आधारित किचन और उद्यानिकी अपशिष्ट के उपचार हेतु अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए सौंपी है। 500 कि.ग्रा. प्रति दिन क्षमता वाले संयंत्र से उत्पादित बायो गैस किचन में उष्मीय उपयोग तथा खाद उद्यानिकी कार्य हेतु उपयोग में आती है।

पर्यावरण मानीटरिंग

जल विद्युत परियोजनाएं विद्युत के स्वच्छ स्रोत हैं। निर्माणधीन स्तर पर, यदि समुचित सावधानी नहीं रखी जाए तब पर्यावरण को क्षति पहुंच सकती है। पर्यावरण को ऐसी क्षति से बचाने के लिए वीपीएचईपी ने बहु स्तरीय मॉनीटरिंग प्रणाली अपनाई है। परियोजना स्थल पर पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण और मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र एजेंसी हायर की गई है। मैसर्स वापकोस लि., गुड़गांव तथा भारतीय वन शोध एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) देहरादून को तीसरे पक्ष के रूप में ईएमपी कार्यान्वयन तथा आवाह क्षेत्र उपचार योजना के मूल्यांकन एवं निरीक्षण हेतु अनुबंधित किया गया। इसके अतिरिक्त वायु, जल और शोर की गुणवत्ता की आवधिक मानीटरिंग की जाती है। इस समय वायु, जल और शोर की गुणवत्ता के सभी मानदंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्दिष्ट सीमा के अंदर हैं।

गंगा नदी की स्वतः शुद्धिकरण क्षमता पर टिहरी बांध का प्रभाव

टीएचडीसीआईएल ने जलाशय बनने के पूर्व एवं उपरांत जल की गुणवत्ता का नीरी (एनईईआरआई) से अध्ययन कराया। जल गुणवत्ता का विभिन्न मानदंडों पर परीक्षण किया गया। इनका निष्कर्ष था कि भागीरथी/गंगा नदी की विशिष्टता उसके तलछट अंशों में विद्यमान है तथा बैक्टीरिया फैगस उपरिशायी जल कालम से कॉलिफार्म्स को दूर कर देते हैं। अतः टिहरी बांध भागीरथी/गंगा नदी की स्वतः शुद्धिकरण गुणों को प्रभावित नहीं कर रहा है क्योंकि यह स्थैतिक पात्र की अनुकृति है जो जल की गुणवत्ता को अनुरक्षित करने में सहायक है।

कोटि में वनस्पति उद्यान

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुशंसा पर कोटि के निकट 14.28 हेक्टेयर भूमि में वनस्पति उद्यान विकसित किया गया है। जलाशय में जिन प्रजातियों के पौधे डूब में आ गए उन्हें वनस्पति उद्यान में संरक्षित किया गया। इस उद्यान में औषधीय, सजावटी, इमारती लकड़ी, ईंधन और चारे की 249 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए हैं। इस वनस्पति उद्यान में लगभग 12000 पौधे

लगाए जा चुके हैं। उत्तराखंड सरकार का वन विभाग 2011 से इस वनस्पति उद्यान का रख–रखाव कर रहा है।

महाशीर मत्स्य अंडज उत्पत्तिशाला

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की शर्तानुसार, टीडीसीआईएल ने क्षेत्रीय वनस्पति एवं प्राणियों का सर्वेक्षण कराया। भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण ने संबंधित नदियों के प्राणियों का गहन अध्ययन कर यह सिफारिश की गई थी कि महाशीर मत्स्य के संरक्षण की योजना बनाई जाए। भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण की सिफारिशों के अनुपालनार्थ 3 लाख बीज वार्षिक क्षमता वाली महाशीर मत्स्य अंडज उत्पत्तिशाला जुरासीनाला, कोटेश्वर के निकट बनाई गई। मत्स्य अंडज उत्पत्तिशाला के विकास पर 110 लाख रूपए व्यय किए गए।

अंडज उत्पत्तिशाला में दो बार कृत्रिम प्रजनन आपरेशन सफलतापूर्वक चलाया गया जिसमें टिहरी बांध जलाशय के पश्च जल में 60000 फिंगर लिंगस डाले गए।

टिहरी परियोजना क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास

हनुमंत राव समिति (एचआरसी) की सिफारिश पर उत्तराखंड सरकार का राज्य वन विभाग द्वारा जलाशय के किनारे 200 मीटर चौड़ी (840 एमएसएल से 1040 एमएसएल) 2100 हे. भूमि (1138 हे.वन भूमि तथा 962 हे. कृषि भूमि) पर 820 लाख की अनुमानित लागत से हरित पट्टी का विकास किया जा रहा है। 2100 हे. भूमि में से 1138 हे. वन भूमि पर कार्य पूर्ण हो गया है तथा 962 हे.कृषि भूमि का विकास कार्य शेष है। मार्च 2015 तक वन विभाग को 476 लाख रूपए जारी किए जा चुके हैं।

टिहरी जलाशय में मीथेन का मापन

ग्रीष्म के दौरान टिहरी जलाशय से मीथेन उत्पादन क्षमता की गणना करने के लिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) गोवा (वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद की संघटक प्रयोगशाला) के माध्यम से वर्ष 2014 में टिहरी जलाशय से उत्सर्जित मीथेन की माप हेतु अध्ययन कराया गया।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि विघटित आक्सीजन हमेशा, 4 मिग्रा/ली. से अधिक की थी, संपूर्ण जल स्तंभ में हर समय आक्सिक पाया गया। जलाशय में वायु जीवि स्थितियों की अनुपस्थिति के कारण जलाशय मीथेन उत्पादन हेतु सहायक नहीं था और तलछट के ऑक्सिक जल स्तंभ में किसी भी मीथेन उत्पाद का आक्सीकरण हो जाएगा।

बौद्धिक पूँजी

बौद्धिक पूंजी ज्ञान परिसंपत्तियों का समूह है जो किसी संस्थान की विशेषता है और संस्थान की विकसित प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति को विशिष्ट रूप से व्यक्त करता है तथा प्रमुख हितधारकों का मूल्य संवंर्धन करता है।

परियोजनाओं में नवोन्मेष

- **कोटेश्वर में बस रिएक्टर की स्थापना**

  टिहरी व कोटेश्वर की पारेषण प्रणाली में अक्सर वोल्टेज की अधिकता से टिहरी और कोटेश्वर इकाईयों में व्यवधान आ जाता था। अधिक वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन केपीएस–पीजीसीआईएल में स्थान की समस्या के कारण कोटेश्वर स्विच यार्ड में 125 एमबीएआर बस रिएक्टर लगाने की सहमति हुई।

- कोटेश्वर स्विच यार्ड में पावर ग्रिड द्वारा बस रिएक्टर लगाया गया। इस प्रणाली से अधिक वोल्टेज की समस्या हल हो जाएगी तथा इकाईयों के विश्वसनीय प्रचालन के साथ–साथ ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित हो जाएगी।

  ओपीजीडब्ल्यू (ऑप्टीकल ग्राउण्ड वायर) नेटवर्क द्वारा वि्दयुत उत्पादन के आंकडों का प्रेषण

  पावर ग्रिड द्वारा कोटेश्वर में स्थापित पीएलसीसी द्वारा एनआरएलडीसी को आंकडे भेजने का कार्य निरंतर नहीं हो रहा था। माननीय सीईआरसी के आदेश तथा ग्रिड कोड के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तपावर ग्रिड ने टिहरी और कोटेश्वर परियोजना हेतु ओपीपी नेटवर्क बिछाया तथा हमारे उपकरणों को इंटरफेस किया। अब एनआरएलडीसी को ओपीजीडब्ल्यू द्वारा आंकडे भेजे जाएंगे। विद्युत नेटवर्क स्थान विज्ञान पर आधारित ब्राडबैंड आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विकास किया गया।

  पारेषण प्रणाली के स्थान पर टेलीकाम नेटवर्क विश्वसनीय आंकडा पारेषण हेतु बहुत उच्च स्तरीय टेलीकाम नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

- **टिहरी में जेनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए ऑनलाइन ड्राई आउट यूनिटों की स्थापना**

  सेवाकाल के दौरान जेनरेटर ट्रांसफार्मरों पर वायुमंडलीय स्थितियों यथा अत्याधिक आर्द्रता, जो तैलीय पेपर इनसुलेशन को बाह्य पर्यावरण से नमी सोखने में सहायक है, का प्रभाव पड़ता है। यह देखा गया कि जीटी नं. 1 का बीडीवी 45के.वी पर आ गया जबकि मशीन वार्षिक अनुरक्षण हेतु 24 दिनों के लिए ठप्प (ब्रेक डाउन) थी। मानदंडों को सुधार कर ट्रांसमीटर को सेवा में लाने से पूर्व 3 दिनों तक लगातार तेल निस्पंदन कराया गया। ऑनलाइन ड्राई आउट यूनिट का इस्तेमाल कर जीटी ऑयल की नमी को काफी कम किया गया। इस अनुभव के आधार पर टिहरी एचपीपी की सभी इकाईयों में इस प्रणाली को स्थापित किया गया। कोटेश्वर में भी इसी प्रणाली को स्थापित करने की योजना है।

- **वेब आधारित साफ्टवेयर प्रणाली 'गुणवत्ता' का गुणवत्ता आश्वासन तथा निरीक्षण संबंधी गतिविधियों हेतु विकास**

  गुणवत्ता आश्वासन तथा निरीक्षण संबंधी गतिविधियों के ऑन लाइन प्रबंधन हेतु 'गुणवत्ता' साफ्टवेयर विकसित किया गया। यह विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के मध्य ऑन लाइन परस्पर–विनिमय द्वारा गुणवत्ता प्रक्रिया निष्पादन का एक औजार है। इसके मुख्य लक्षण निम्नानुसार है–

  1. संविदा का पंजीकरण तथा कार्य पूर्ण होने पर संविदा बंद करना।
  2. उप–संविदाकार की अनुमोदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है।
  3. अनुमोदित प्रलेख विश्व में ऑनलाइन सुलभ है।
  4. निरीक्षित मात्रा तथा जिस मात्रा के लिए एमडीसीसी जारी किया गया है, उसकी जांच

सभी माडूल्य श्रेणीबद्ध है जैसे उप–विक्रेता के अनुमोदन के बिना मुख्य संविदाकार गुणवत्ता योजना प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, डिजाइन/ड्राइंग/डाटाशीट के अनुमोदन के बिना गुणवत्ता योजना अनुमोदित नहीं हो सकती, डिजाइन/ड्राइंग/डाटाशीट और गुणवत्ता योजना के निरीक्षण हेतु अनुरोध नहीं किया जा सकता। कुल निरीक्षित मदें तथा एमडीसीसी अनुमोदित मदें संविदा की एलओए मात्रा से अधिक नहीं हो सकतीं।

- **अनुसंधान एवं विकास**

परियोजनाओं की आवर्ती समस्याओं का हल तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों, अकादमिक संस्थानों से दक्ष एवं विश्वसनीय प्रचालन तथा जल विद्युत केंद्रों के अनुरक्षण हेतु संपर्क बढ़ाने, तकनीकी समावेशन के लिए इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास किया जाता है। आर एंड डी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में अलग से एक अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ(सैल) स्थापित किया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को भूगर्भीय विज्ञान के बारे में बोध और ज्ञान कराने के लिए ऋषिकेश में टीएचडीसीआईएल द्वारा एक भू विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया है। इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की चट्टानों,खनिजों और जीवाश्मों के नमूनों को प्रदर्शित किया गया है ! संग्रहालय में विभिन्न भूगर्भीय संरचनात्मक लक्षण 3डी मॉडल, नक्शे आदि के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। टीएचडीसीआईएल की परियोजना की भूगर्भीय घटनाओं तथा इतिहास का पुस्तकालय भी स्थापित किया जा रहा है।

परामर्शदायी सेवाएं

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास कारपोरेट एवं परियोजना नियोजन, डिजाइन इंजीनियरिंग, निर्माण प्रबंधन, संस्थापन एवं कमीशनिंग, संविदा प्रबंधन परियोजना प्रबंधन, मानव–संसाधन प्रबंधन, वित प्रबंधन, वाणिज्यिक प्रबंधन तथा 2400 मे.वा. के विशाल टिहरी जल विद्युत परिसर के निर्माण के दौरान आई समस्याओं से निपटने का अनुभव है। आंतरिक विशिष्टता और प्राप्त अनुभव को इस्तेमाल करने के लिए टीएचडीसीआईएल में परामर्शदायी सेवाओं के लिए अलग से एक डिवीजन बनाया गया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को एकीकृत रूप में संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक हाइड्रो–इलैक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। टीएचडीसीआईएल विभिन्न संस्थानों को चट्टान एवं भू भराव/कंक्रीट ग्रेविटी बांध, सुरंग, सतही और भू–गर्भीय विद्युत संयंत्र, स्लोप स्थिरीकरण, पम्प स्टोरेज योजनाएं, सड़क/हाईवे सुरंग विषयक परामर्श प्रदान कर रही है। इस समय निम्नलिखित परामर्शी कार्य चल रहे हैं–

- भूगढ़ बांध तथा जलाशय हेतु पिंजल लिंक परियोजना – दमन गंगा के नीचे जल विद्युत परियोजना की विद्युत संभावना तथा ई एंड एम अध्ययन
- खारगी हिल बांध तथा जलाशय हेतु पिंजल लिंक परियोजना – दमन गंगा के नीचे जल विद्युत परियोजना की विद्युत संभावना तथा ई एंड एम अध्ययन
- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा विकसित डीपीआर की तैयारी के लिए पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 6 हाइडिल परियोजना के लिए विद्युत संभाव्यता तथा ई एंड एम अध्ययन (परामर्शी कार्य का अवार्ड प्रक्रियाधीन है।)
- उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत भूस्खलन रोकने हेतु डिजाइन एवं इंजीनियरिंग उपाय।
- कटरा एवं श्री माता वैष्णों देवी धाम के मध्य अति संवेदनशील क्षेत्र के स्थिरीकरण हेतु डिजाइन एवं इंजीनियरिंग उपाय।
- उत्तराखंड राज्य में क्रानिक स्लाइड क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के स्थिरीकरण हेतु इंजीनियरिंग परामर्श
- मसूरी में भूमिगत पार्किंग स्थान हेतु पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
- 20 मे.वा. क्षमता वाली सौर विद्युत परियोजना से जुडे ग्रिड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाना

डीपीआर बनाने के चल रहे कार्य

संकोश एचईपी (8x312.5 मे.वा.)

प्रस्तावित परियोजना में मुख्य बांध के निचली ओर दो पावर हाउस (बायें किनारे एवं दायें किनारे) संस्थापित क्षमता (8x312.5 मे.वा.) तथा 5949.05 मियू. ऊर्जा जेनेरशन के साथ तथा मुख्य बांध की निचली धारा में (3x26.33 मे.वा.) के साथ 416.34 मियू. ऊर्जा उत्पादन वाला नियामक बांध विचाराधीन है। वर्तमान में

संकोश (2585 मे.वा.) अधिकतम ऊंचाई 215 मी आरसीसी (रोलर कंपेंट कंक्रीट) वीडीपीआर सीईए/सीडब्ल्यूसी के पास विचाराधीन है।

बुनाखा एचईपी (3x60 मे.वा.)

वर्तमान प्रस्तावित परियोजना की परिकल्पना में स्टोरेज डैम टो पावर हाउस का निर्माण जिसकी संस्थापित क्षमता (3x60 मे.वा.) है। उर्ध्वाधर फ्रांसिस टरबाइन के साथ 707.44 मियू. वार्षिक ऊर्जा उत्पादन है। इस परियोजना के निर्माण की अवधि एक वर्षीय निर्माण पूर्व चरण के साथ 69 माह है। फरवरी, 14 में भूटान की शाही सरकार की कैबिनेट ने बुनाखा एचईपी कार्यान्वयन का अनुमोदन प्रदान कर दिया था। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के मध्य अप्रैल 2014 में दोनों सरकारों के मध्य कार्यान्वयन हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए थे।

सहयोगी ज्ञान डैस्क

ज्ञान प्रबंधन आंतरिक अद्भूत ज्ञान के अभिग्रहण, संरक्षण तथा प्रचार–प्रसार का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ज्ञान प्रबंधन के प्रभावी प्लेटफार्म के अभाव में निर्माण और प्रचालन के दौरान उद्भूत ज्ञान भावी संदर्भों हेतु संभल नहीं पाता। सूचना महत्वपूर्ण अधिगम, सफलता की कहानियां आदि के आंतरिक ज्ञान विनिमय, हेतु टीएचडीसीआईएल ने अपने वेब पोर्टल पर सहयोग ज्ञान डैस्क प्रारंभ किया है जिस पर कर्मचारी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं जो कर्मचारियों को उनके ज्ञान संवर्द्धन तथा प्रक्रिया उन्नयन में सहायता कर सकते हैं।

गुणवत्ता सक्रिल

टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को गुणवत्ता सक्रिल हेतु प्रोत्साहित करती है यह ऐसी संकल्पना है जिसमें कर्मचारी अपने संबंधित कार्यक्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर स्वयं उनका हल प्रस्तावित करते हैं और कार्यान्वित भी करते हैं इससे कर्मचारियों में कौशल विकास, विश्वास, मनोबल, टीमवर्क मूल्य में वृद्धि होती है। वार्षिक गुणवत्ता सक्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तथा चुने हुए गुणवत्ता कार्यक्रम राष्ट्रीय अवसरों पर कारपोरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

टीएचडीसीआईएल की टीमों ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय

भारतीय गुणवत्ता सक्रिल फोरम द्वारा पुणे में आयोजित 29वीं एनसीक्यूसी 2015 में गुणवत्ता सक्रिल ऊर्जा टीम (ओ एंड एम, टिहरी) ने "उच्च उत्कृष्टता" सम्मान प्राप्त किया।

गुणवत्ता सक्रिल फोरम के अनेक कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व कर विभिन्न श्रेणियों में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए।

चेन्नई में गुणवत्ता कन्वेंशन के दौरान टीएचडीसीआईएल की टीम

प्रश्नोत्तरी (क्विज)

कारपोरेट प्रश्नोत्तरी – कारपोरेट मानव संसाधन विभाग प्रतिवर्ष व्यापार, सामान्य ज्ञान, वर्तमान कारपोरेट तथा विद्युत क्षेत्र के विषयों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजित करता है। इनके विजेता विभिन्न स्तरों पर कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अंतर विद्युत क्षेत्र प्लेटफार्म यथा उत्कृष्टता हेतु प्रश्नोत्तरी (क्यू 4 ई)

पावर एचआर फोरम द्वारा पावर प्रबंधन संस्थान एनटीपीसी–नोएडा में प्रतिवर्ष आयोजित उत्कृष्टता हेतु प्रश्नोत्तरी (क्यू4ई) प्रतियोगिता में टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों की टीमें भेजता है। पिछले दो वर्षों से हमारी टीमें विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त कर रही है। क्यू 4 ई–2014 में हमारे कर्मचारियों ने ''मूल्य, नैतिकता और आचार'' विषय पर कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए ''बेस्ट यंग प्रेजेंटर मेल अवार्ड' 'जीता तथा वर्ष क्यू4ई–2015 में हमारी टीम ने ''अपने संस्थान को बेहतर कार्य स्थल बनाएं'' विषय पर सर्वश्रेष्ठ उदीयमान टीम का पुरस्कार जीता।

स्पेयर्स का स्वदेशीकरण

मेक इन इंडिया की संकल्पना को बढ़ावा देने हेतु मैसर्स पावर मशीन, रूस द्वारा टिहरी एचपीपी को आपूर्ति किए गए ईएम उपकरण के स्पेयर्स के स्वदेशीकरण के लिए टीएचडीसीआईएल ने पहल शुरू कर दी है। इस बारे में मैसर्स बीएचईएल तथा अन्य वैंडरों के माध्यम से 250 मे.वा. जेनरेटर के स्पेयर्स यथा स्टेटर वाइंडिंग, रोटर पोल्स, मिडिल स्लाट वेजेस का विकास किया गया। इसके अतिरिक्त तेल के लिए डेवलपमेंट टाइप्स हाई प्रेशर वाल्व तथा पानी के लिए न्यून दाब वाल्व (लो प्रेशर वाल्व) का भी विकास किया गया। स्वेदशीकरण के परिणाम इस प्रकार है–

- आयातित स्रोतों/स्पेयर्स पर निर्भरता में कमी
- राष्ट्रनिर्माण में एमएसएमई क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- परियोजनाओं से सतत प्रति–पुष्टि से गुणवत्ता में सुधार आ रहा है
- देश के बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कोष की बचत
- समय सीमा (लीड़ टाइम) कम होने से मांग सूची में कमी

सामाजिक पूँजी

हमारे बाह्य और आंतरिक हितधारकों और समुदाय के साथ हमारे संबंध तथा उत्तरदायी कारपोरेट नागरिक के रूप में सामाजिक मूल्य स्थापना

टीएचडीसीआईएल की सतत विकास हेतु वचनबद्धता इस सामान्य सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी संस्थान अपने हितधारकों को प्रसन्न रखे बिना चल नहीं सकता। समाज के उत्थान हेतु परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीएस) का पुर्नवास और पुनर्स्थापन तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का निष्पादन इस वचनबद्धता का साक्ष्य है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर हेतु आबंटित बजट का पूर्णरूपेण उपयोग किया गया। सीएसआर कार्यों का कार्यान्वयन कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठन अर्थात सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है। टीएचडीसीआईएल के व्यापारिक क्षेत्र विभिन्न परियोजना स्थलों के निकट सीएसआर का अधिकांश बजट व्यय होता है वर्तमान वित्त वर्ष में टिहरी जिले में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा प्रसार, व्यावसायिक कौशल तथा आजीविका संबंधी परियोजना, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सततता एवं पारिस्थितिकी संतुलन पिछडे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, महत्व वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। समाज के वंचित तथा सीमांत वर्ग के समग्र विकास पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया।

टीएचडीसीआईएल द्वारा सीएसआर के अंतर्गत किए गए कुछ प्रमुख उपाय –

शिक्षा विकास (टीएचडीसी जागृति)

क) टीएचडीसी स्कूल ऋषिकेश एवं टिहरी

टीएचडीसीआईएल एक उत्तरदायी कारपोरेट नागरिक के रूप में जरूरतमंद वाह्य हितधारकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगदान करता है। टीएचडीसीआईएल, टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) (सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी) के अंतर्गत दो विद्यालय, संचालित करता है। एक विद्यालय भागीरथपुरम, टिहरी में संचालित है जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक है तथा दूसरा विद्यालय प्रगति पुरम, ऋषिकेश में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक शिक्षा प्रदान करता है। दोनों विद्यालयों में आस–पास के क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग, अजा/अजजा. वर्ग के साथ–साथ आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों के पंजीयन में तेजी से वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2015–16 में 650 से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ । वर्ष 2015–16 में दोनों विद्यालयों के संचालन में लगभग रू. 3.68 करोड़ का व्यय हुआ। विद्यार्थियों को निःशुल्क वस्त्र, पुस्तकें तथा स्टेशनरी, निःशुल्क बस सेवा के साथ–साथ अजा/ अजजा/बीपीएल छात्रों को शुल्क में छूट, अजा/अजजा विद्याार्थियों को 100% छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।

नैवैद्यम– टीईएस द्वारा संचालित विद्यालयों में मधुबन आश्रम के सहयोग से ऋषिकेश एवं टिहरी में नैवैद्यम देने

की पहल की गई। इस योजना के अंतर्गत विद्याार्थियों को पोषक भोजन दिया जाता है। मधुबन आश्रम टीईएस द्वारा उपलब्ध निधि से भोजन तैयार कर वितरित करता है।

(ख) टीएचडीसी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड तकनीकी संस्थान

टीएचडीसीआईएल द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत टिहरी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है जो 2011–12 से शिक्षा प्रदान कर रहा है। यह संस्थान इंजीनियरिंग की 5 शाखाओं अर्थात सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रानिक्स तथा संचार और कंप्यूटर विज्ञान में पूरे भारत वर्ष के छात्रों को इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान

कर रहा है। वर्ष 2015–16 में रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल) तथा टीएचडीसीआईएल के संयुक्त सीएसआर अंशदान से महिला छात्रावास का निर्माण पूर्ण हुआ तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसीएल ने संयुक्त रूप से फरवरी 2016 में इसका उद्घाटन किया। इस संस्थान में परियोजना प्रभावित परिवारों के विद्यार्थियों के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। टीएचडीसी–आईएचईटी की उपस्थिति ने स्थानीय निवासियों को आय का नया स्रोत उपलब्ध करा दिया है।

(ग) जूनियर हाई स्कूल कोटेश्वर पुरम

सेवा–टीएचडीसी के वित्तीय सहयोग से कोटेश्वर जिला टिहरी में ओंकारानंद आश्रम द्वारा ओंकारानंद सरस्वती पब्लिक स्कूल के नाम से अंग्रेजी माध्यम का जूनियर हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। यह विद्यालय मुख्य रूप से केएचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों के साथ–साथ पास–पड़ौस के गांवों के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस विद्यालय में 140 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छी शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2015–16 में विद्यालय का कुल व्यय 21.42 लाख रू. था।

(घ) कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

टिहरी, देहरादून और हरिद्वार जिले में परियोजना प्रभावित एवं पुर्नवास क्षेत्र में बेरोजगार युवकों तथा विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु सेवा–टीएचडीसी ने 16 कंप्यूटर केंद्र स्थापित किए हैं। सभी केन्द्रों में 6 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया और 1300 से अधिक युवा एवं विद्यार्थी इससे लाभांवित हुए।

(च) विभिन्न सरकारी विद्यालयों में पुस्तकें फर्नीचर एवं अन्य वस्तुओं का वितरण

टिहरी परियोजना प्रभावित क्षेत्र की विद्यमान विद्यालय शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु टीएचडीसीआईएल ने परियोजना प्रभावित क्षेत्र के सरकारी और निजी विद्यालयों में फर्नीचर, कंप्यूटर, इनवर्टर, वाटर फिल्टर, अध्ययन सामग्री, स्कूल ड्रेस का वितरण किया। इस योजना से 1000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

स्वास्थ्य देखभाल एवं पशु चिकित्सा (टीएचडीसी निरामय)

- टीएचडीसीआईएल एक उत्तरदायी कारपोरेट नागरिक होने के नाते स्वामी नारायण मिशन सोसाइटी शीशम झाड़ी, मुनि की रेती, ऋषिकेश, मुनि की रेती (नरेन्द्र नगर) पोखरी (प्रताप नगर), धौतरी (उत्तरकाशी) तथा कोटेश्वर पुरम(कोटेश्वर) में पिछले 4 वर्षों से 4 होम्योपैथिक औषधालयों का संचालन कर रहा है। आज की तिथि तक 2.00 लाख से अधिक रोगी इस स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का लाभ उठा चुके हैं।
- टिहरी परियोजना के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सीय जरूरतों को ध्यान में रखकर टीएचडीसीआईएल निर्मल आई संस्थान, ऋषिकेश के माध्यम से 3 बहु विशेषज्ञ स्वास्थ्य कैम्प तथा टिहरी चिकित्सालय, टिहरी के माध्यम से एक चिकित्सा कैंप

आयोजन किया है। इन कैंपों में कुल 762 रोगियों ने भाग लिया तथा 200 रोगियों का मोतियाबिन्द का आपरेशन किया गया।

- दीनगांव, प्रतापनगर, टिहरी में 6 बिस्तरों वाली एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी स्थापित की गई है जिसमें पैथोलॉजिकल टैस्ट, एक्सरे, ईसीजी तथा लघु आपरेशन सुविधा के साथ–साथ निःशुल्क दवाएं और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जून, 14 से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की नियमित देखभाल के लिए एमबीबीएस डाक्टरों, कंपाउंडरों, नर्स तथा चिकित्सा सहयकों की टीम तैनात है। इस औषधालय से लगभग 20 ग्रामों के लगभग 30,000 मरीज लाभान्वित हो रहे हैं।
- कंपनी की टिहरी, कोटेश्वर एवं वीपीएईपी की चिकित्सीय सुविधाएं निकटवर्ती समुदायों को भी निःशुल्क उपलब्ध है।

स्वच्छ भारत अभियान

- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान'के अंतर्गत सरकार के लक्ष्य के अनुसार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विद्यालयों के 1093 शौचालयों का निर्माण/मरम्मत कार्य कराया है। टीएचडीसीआईएल ने यह लक्ष्य यथासमय पूरा कर लिया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल ने कुल 1188 शौचालयों (539 नए तथा 649 डाई फंक्शनल)का निर्माण कराकर उन्हें विद्यालय प्राधिकारियों को सौंप दिया।

- टीएचडीसी कार्यालयों, परियोजना तथा कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, कार्यस्थलों, गलियों, सड़कों तथा बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गंगा नदी के किनारे, पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों सहित यथासंभव अधिकतम स्थानों पर जन जागरूकता तथा घर–घर प्रचार अभियान चलाया गया।

ग्रामीण विकास (टीएचडीसी उत्थान)

- **एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के माध्यम से समग्र विकास कार्यक्रम**– टीएचडीसी ने टिहरी परियोजना के 30 रिम क्षेत्रों के गांवों के लिए समग्र विकास योजना लागू की है और एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को इस कार्य के लिए अनुबंधित किया है, पूरी योजना की संकल्पना का उद्देश्य समुदाय को सतत रोजगार के अवसर, महिला सशक्तिकरण तथा समाज का समग्र विकास करना है।
- **किरोड़ीमल कालेज दिल्ली के माध्यम से दीन गांव में संसाधन प्रबंधन और परिस्थितिकी पुनर्स्थापना तथा सतत जीविको पार्जन के लिए ग्रामीण समुदायों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण**

  कंपनी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल महाविद्यालय के साथ मिलकर ग्रामीण समुदायों के सतत जीविकोपार्जन तथा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के प्रताप नगर ब्लाक के उपाली रमोली में 2011 से परिस्थितिकी एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह टिहरी के प्रतापनगर ब्लाक के 10 दूर दराज ग्रामों के ग्राम्य आधारित समग्र विकास के लिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। वर्ष 2015–16 में परियोजना के चौथे चरण की गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं।
- **टिहरी जिले के बांध प्रभावित क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम जीविकोपार्जन विकास कार्यक्रम**

  सेवा–टीएचडीसी ने टिहरी जिले के बांध प्रभावित क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से जीविकोपार्जन विकास कार्यक्रम का कार्य वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी, वीसीएसजी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, भरसार, रानीचौरी को सौंपा है। यह त्रिवर्षीय दीर्घकालिक कृषि गतिविधियों पर आधारित परियोजना है।

इस परियोजना की गतिविधियां टिहरी जिले के 20 ग्रामों में दो हिस्सों यथा एक कोटेश्वर परियोजना क्षेत्र दूसरा टिहरी जिले के भिलांगना ब्लॉक में चलाई जा रही है। तीन वर्षीय इस परियोजना का कुल बजट 68.00 लाख रू. है।

उक्त परियोजना की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं–

- कंप्यूटर, सिलाई सह स्टिचिंग केंद्र की स्थापना
- स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन
- होटल प्रबंधन में व्यावसायिक प्रशिक्षण
- गैर–मौसमी सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों में संकर बीजों का वितरण
- उद्यानिकी–फलदार वृक्षों का वितरण

- तकनीक आधारित अत्याधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों के दौरे कराना
- किशोरियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा सेनेटरी नेपकिन्स का वितरण
- स्वच्छता कार्यक्रम एवं योग शिविर
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान गोष्ठियों, पॉली हाउस के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम
- अचार, रस (जूस) बनाने तथा मधुमक्खियां पालन को बढ़ावा देने हेतु कृषक स्वयं सहायता समूह (एफएसएचजी) को सशक्त करना
- पेय जल प्रबंधन
- धूएं रहित चूल्हे के वितरण के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- कीटों एवं रोगों पर नियंत्रण हेतु जैविक कीट नाशी उपलब्ध कराना
- फसल बीमा, बैंकिंग और लाइन डिपार्टमेंट सेवाओं (सरकारी योजनाओं के साथ मार्केट लिंकेज) हेतु परस्पर संवाद फोरम

सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट आवंटन

व्यय	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-14
वास्तविक	13.35 करोड़	29.09 करोड़	15.79 करोड़
लक्ष्य	13.34 करोड़	13.77 करोड़	10.63 करोड़

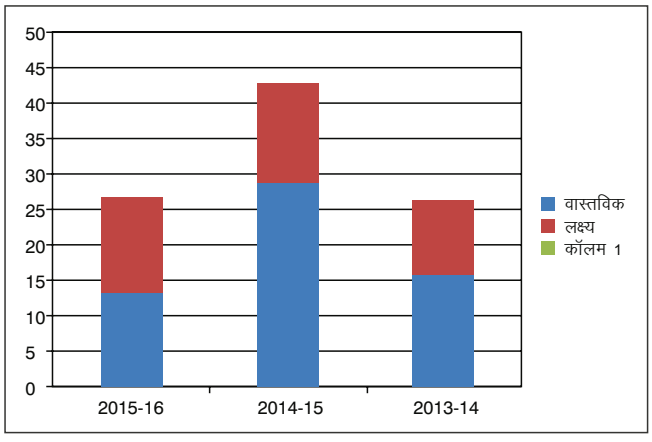

पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास पहल

ग्रामीण विकास के अंतर्गत कृषि विकास एवं जीविकोपार्जन परियोजना

टीएचडीसीआईएल टिहरी परियोजना की पुनर्वास कालोनियों के निवासी परिवारों की पूरी मदद करने के लिए समर्पित है। पटरी पुनर्वास कालोनी में टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी) बनाने की पहल की है। सेवा–टीएचडीसी ऋषिकेश तथा किसानों के आदर्श किसान क्लब स्व सहायता समूह भाग 3 एवं 4, पथरी (नाबार्ड से पंजीकृत) ने क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एडवांस फार्म मशीनरी बनाना शुरू किया है। टीएचडीसीआईएल की इस पहल से लगभग 100 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

सशक्तिकरण पहल (टीएचडीसी समर्थ)

टीएचडीसी समर्थ परियोजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015–16 में ऋषिकेश और टिहरी में सिलाई, ब्यूटीशियन आदि 6 माह के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए इन कार्यक्रमों से अल्पसंख्यकों सहित समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के 300 परिवारों को लाभ मिला।

जीविकोपार्जन तथा कौशल विकास पहल (टीएचडीसी दक्ष)

परियोजना प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में टीएचडीसीआईएल ने टीएचडीसी दक्ष पहल योजना के अंतर्गत आईएल एंड एफएस से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं की गरीबी दूर करने के लिए प्लेसमेंट आधारित कौशल विकास कार्यक्रम हेतु संयुक्त व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम यथा होटल प्रबंधन, बीपीओ, आतिथ्य आदि का प्रशिक्षण, परियोजना प्रभावित क्षेत्र के 100 से अधिक शिक्षित युवाओं को प्रदान किया गया। इस समय विभिन्न कंपनियों और होटलों में विभिन्न स्थितियों में लगभग 75% युवा कार्यरत है।

अपने व्यापार एवं नीतियों के बारे में समुदाय को अवगत कराना (प्राकट्य)

टीएचडीसीआईएल व्यापार एवं नीतियों के बारे में समुदाय को अवगत कराना तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं को स्वीकार करना एक सामान्य व्यवहार है। टीएचडीसीआईएल समुदाय मिलन के अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है जिनमें स्थानीय प्रशासन, टीएचडीसीआईएल, परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत एनजीओ तथा स्थानीय समुदायों आदि के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। वर्ष 2015–16 में वीपीएचईपी स्थल पर ऐसे 28 (प्रति माह 2 से अधिक) संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आर एवं आर के अंतर्गत आजीविका परियोजना

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षमता–निर्माण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, इसका लक्ष्य विभिन्न आय जेनरेशन/स्टोरेशन, जीविका वृद्धि तथा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं योजनाओं के माध्यम से कौशल उन्नयन (ग्रेडेशन) करना है। आर एंड आर नीति में नकद क्षतिपूर्ति के माध्यम से आय में हानि के शमन तथा स्वरोजगार हेतु क्षमता निर्माण के प्रावधान है। विष्णुगाढ़ पीपल कोटी एचईपी के पीएपीएस द्वारा अप्रैल 2015 से मई 2016 तक आयोजित विभिन्न अल्पकालिक कार्यक्रमों में 222 पुरूषों एवं 326 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

भारत सरकार के राष्ट्रीय कौषल विकास मिषन के सहयोग से जीएमआर फाउंडेषन, नई दिल्ली तथा आईटीआई रुद्र प्रयाग द्वारा वीपीएचईपीके परियोजना प्रभावित व्यक्तियों हेतु दीर्घकालिक तकनीकी कौषल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खुर्जा एसटीपीपी में कौषल विकास प्रषिक्षण हेतु युवा पीएपीएस के पहचान की प्रक्रिया चल रही है।

विधवाओं के लिए मासिक सहायता योजना

भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक योजना से प्रेरित होकर, टीएचडीसीआईएल असुरक्षित व्यक्तियों यथा विधवाओं, दिव्यांगों आदि को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल ने परियोजना प्रभावित विधवाओं को मासिक सहायता हेतु पहले से ही एक योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत 18 विधवाएं लाभ पा रही हैं।

आर एंड आर के अंतर्गत विद्वत्ता परियोजना

परियोजना क्षेत्र में तथा इसके आस–पास अतिरिक्त प्रयासें के साथ लड़कियों में शिक्षा को विकास और बढ़ावा देने के लिए परियोजना छात्रवृत्ति/योजना बनाई गई है जिसमें निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं–

- परियोजना प्रभावित क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थी/परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को शैक्षिक सहायता
- परियोजना क्षेत्र में और निकटवर्ती क्षेत्रों में मेघावी विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति
- परियोजना प्रभावित क्षेत्र के निर्धन/असुरक्षित/बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु सहायता

वीपीएचईपी की छात्रवृत्ति नीति शैक्षणिक वर्ष 2011–12 से लागू है। अभी तक परियोजना प्रभावित ग्रामों की 285 लड़कियों सहित 530 विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। शैक्षणिक वर्ष 2015–16 में छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया लागू है और अब तक 25 लड़कियों सहित 54 विद्यार्थी यह सहायता प्राप्त कर चुके हैं।

आर एंड आर के अंतर्गत परियोजना 'विश्वास'–

टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना के प्रचालन/निर्माण के दौरान निजी सार्वजनिक संपत्ति को हानि से बचाने के लिए अधिकतम सावधानी रखी गई। तथापि परियोजना निर्माण/प्रचालन के दौरान किसी भी क्षति के लिए टीएचडीसीआईएल क्षति तथा नवीनीकरण/पुनर्निर्माण की लागत वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वीपीएचईपी, में सुरंग संरेखण के ऊपर जिन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संपत्तियां हैं उन्होंने यह चिंता प्रकट की है कि सुरंग–निर्माण से उनकी संपत्तियों को क्षति पहुंच सकती है। टीएचडीसीआईएल ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की आश्वस्तता हेतु न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से जनवरी 2016 से जनवरी, 2017 की अवधि हेतु सुरंग संरेखण के ऊपर संरचनाओं के लिए रू. 21.27 लाख प्रीमियम वाली रू. 52 करोड़ की लोक दायित्व इंश्योरेंस पालिसी ली है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

मूर्त पूंजी

विद्युत उत्पादन

आज की तारीख में 50 मे.वा. पवन ऊर्जा के योग के टीएचडीसी इंडिया लि., की क्षमता 1400 मे.वा. है जिसमें टिहरी एचपीपी की क्षमता 1000 मे.वा. तथा कोटेश्वर एचईपी परियोजना की क्षमता 400 मे.वा. है।

टिहरी पावर परिसर (2400 मे.वा.)

टिहरी बांध से अधिकतम लाभ उठाने हेतु इसके डाउनस्ट्रीम में कोटेश्वर एचपीपी का निर्माण किया गया है और यह प्रचालनीय है। टिहरी बांध के टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र, निर्माणाधीन है। जिसके लिए टिहरी एवं कोटेश्वर जलाशय अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं। टिहरी परिसर की इन तीनों परियोजनाओं की उच्च विश्वसनीयता तथा सुरक्षा सहित ग्रिड के संभरण की प्रतिबद्धता के साथ प्रचालन सामाजिक और आर्थिक हितों के मध्य तनी हुई रस्सी पर चलने से कम नहीं है।

टिहरी एचपीपी (4 x 250 मे.वा.)

टिहरी एचपीपी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो 260.5 मी. ऊंचा अर्थ एवं रॉकफिल बांध है। मार्च 2007 में 250 मे.वा. की चौथी इकाई के सिक्रोनाइज होने के बाद 1000 मे.वा. की संस्थापित क्षमता के साथ यह पूर्णतया प्रचालनीय हो गया।

टिहरी विद्युत परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे उत्तरी क्षेत्र को विद्युत, उत्तर प्रदेश को सिंचाई तथा एनसीटी दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश को पेय जल का लाभ मिल रहा है। टिहरी भंडारण जलाशय से नियमित जल छोड़ने से इसके डाउनस्ट्रीम की हाइड्रो परियोजनाओं को भी बिना अतिरिक्त धनराशि व्यय किए विद्युत उत्पादन में वृद्धि का लाभ प्राप्त हो रहा है।

टिहरी बांध भंडारण परियोजना होने से बाढ़ का खतरा न्यून हो गया है। वर्ष 2010, 2011 एवं 2013 में बाढ़ के दौरान इसका प्रभाव देखा जा चुका है।

30–31 जुलाई 2012 को 5 में से 3 क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड एकदम बैठ गए और लगभग 670 मिलियन लोग अंधकार में आ गए और इतिहास में यह सबसे बड़ा ब्लैक आउट माह बन गया। टिहरी और कोटेश्वर परियोजना ने ग्रिड को पुनः प्रारंभ करने में प्रमुख भूमिका निभायी/जल विद्युत संयंत्रों की सहायता से आकस्मिक कार्यों यथा रेलवे, मैट्रो, खदानों तथा हवाई अड्डों आदि हेतु विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई। सभी आकस्मिकताओं यथा रेलवे मैट्रो तथा हवाई अड्डों को लगभग 15.30 घंटों तक विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई।

इसके साथ–साथ टिहरी की मशीनों में सिंक्रोनस कंडेसर मोड में प्रचालन का प्रावधान है जिससे आवश्यकता होने पर ग्रिड को रिएक्टिव विद्युत (वोल्टेज में सुधार हेतु) की आपूर्ति की जा सके।

उत्पादक इकाईयों और अनुषंगिकी ईकाईयों का निष्पादन संस्थापना के बाद निर्विघ्न और दोष रहित पाया गया तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक विद्युत उत्पादन हेतु निधारिंत सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है।

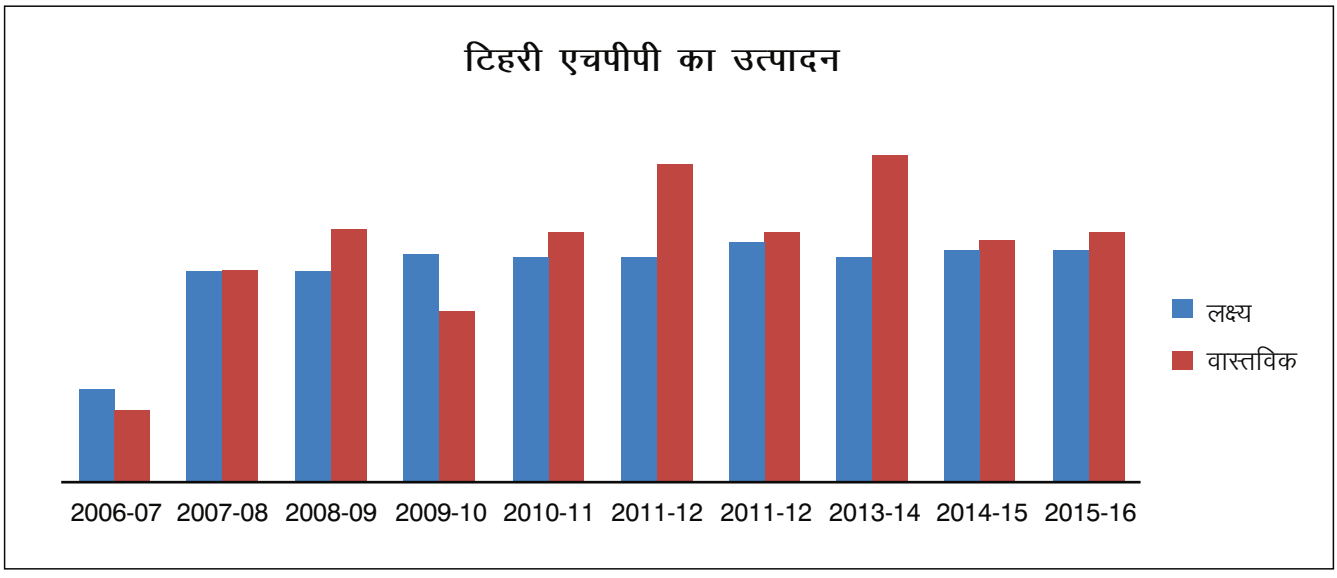

कोटेश्वर एचईपी (4 x 1000 मे.वा.)

400 मे.वा. कोटेश्वर विद्युत गृह टिहरी जलाशय के डाउन स्ट्रीम में स्थित है, जिसे ग्रिड में चौथी इकाई के सिंक्रोनाईजेशन के साथ अप्रैल 2012 में वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किया गया। कोटेश्वर विद्युत संयंत्र में ब्लैक स्टार्ट क्षमता का भी प्रावधान है जो ग्रिड फेल होने पर उसे पुनः चालू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

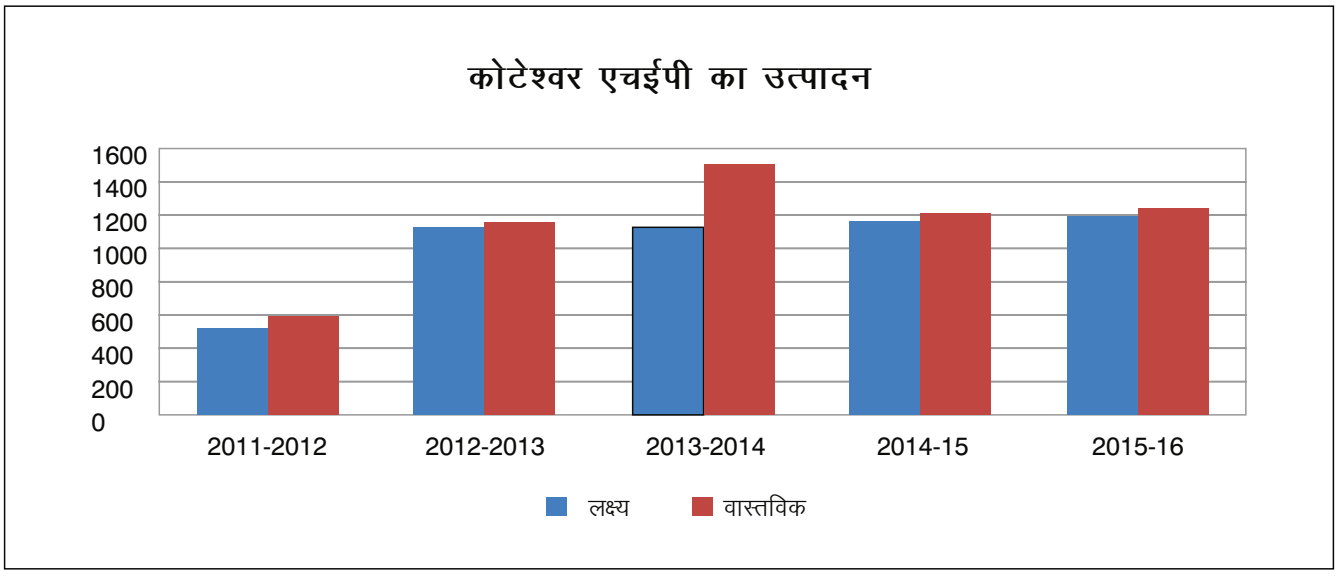

ऊर्जा के अन्य रूपों का पवन ऊर्जा में विविधीकरण

29 जून, 2016 को 25 पवन टरबाईनों के वाणिज्यिक प्रचालन से राष्ट्रीय ग्रिड में 50 मे.वा अक्षय ऊर्जा का योगदान प्रारंभ हो गया। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी उपलब्धियों के मुकुट में एक हीरा और लगा लिया। गुजरात के पाटन जिले में पवन टरबाइनें लगायी गई हैं और मैसर्स गमेसा, अग्रणी पवन ऊर्जा उत्पादक कंपनी ने निर्धारित तिथि से दो माह पूर्व इनकी संस्थापना की और यह सभी टरबाइनें पूर्णतया काम कर रही है। इस संयंत्र से प्रतिवर्ष 110 मि.यू. उत्पादन अपेक्षित है और इससे पश्चिमी ग्रिड मजबूत होगा। इस परियोजना हेतु गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. (जीयूवीएनएल) के साथ विद्युत खरीद अनुबंध (पीपीए) पर हस्ताक्षर हुए हैं।

सौर ऊर्जा

एसईसीआई, केरल राज्य विद्युत बोर्ड तथा टीएचडीसीआईएल के मध्य केरल के कासरगॉड जिले में 50 मे.वा. सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर 31.03.2015 को हस्ताक्षर किए गए।

केरल के कासरगॉड जिले में 50 मे.वा. सौर पीवी परियोजना की संस्थापना हेतु एसईसीआई/सोलर पार्क द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। एसईसीआई द्वारा ईपीसी संविदा हेतु 28.06.2016 को एनआईटी जारी की गई है। अगस्त 2016 तक ईपीसी अनुबंध संभावित है।

थर्मल ऊर्जा

खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (1320 मे.वा.)

यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कोयले पर आधारित 1320 मे.वा. का सुपर थर्मल पावर संयंत्र है। संयंत्र से कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन 9828 मि.यू. होगा जो संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का 85% है। 1200 एकड़ भूमि के पूरे भूखंड को 660 मे.वा. प्रत्येक की 2 इकाईयों के कार्यान्वयन, भविष्य में 660 मे.वा. की, तीसरी इकाई विस्तार के प्रावधान सहित परियोजना के लेआउट और डीपीआर को पुनरीक्षित किया गया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भी किया गया।

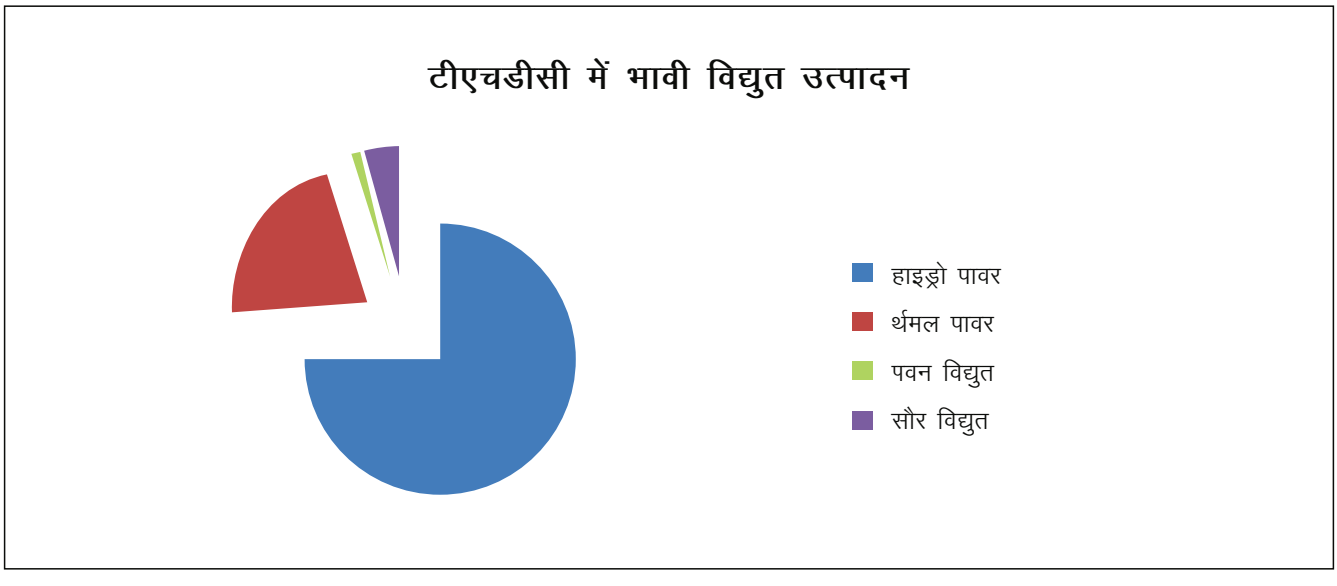

फोर्स्ड आउटेज

2006–07 से 2015–16 तक फोर्स्ड आउटेज में गिरावट का दौर रहा। श्रेष्ठतम अनुरक्षण पद्धतियों, ओईएम द्वारा निर्धारित निवारक अनुरक्षण अनुसूची के पालन से अप्रत्याशित व्यवधानों से मुक्ति मिली। टिहरी और कोटश्वर संयंत्र के आउटेज गिरावट के दौर को ग्राफ में दर्शाया गया है।

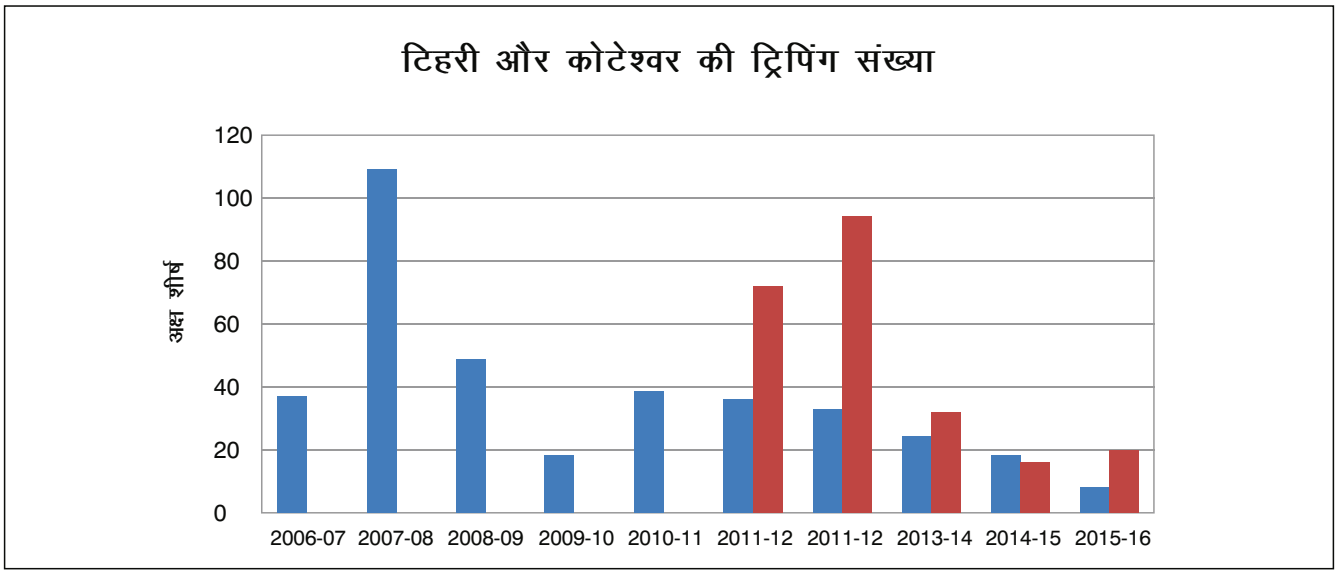

निर्माणाधीन परियोजनाएं

टिहरी पंप संचयन संयंत्र (4x250 मे.वा.)

4x250 मे.वा. का टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र भारत का सबसे बड़ा पीएसपी हैं जो पूर्ण हो जाने पर उत्तरी क्षेत्र में 1000 मे.वा. की उत्पादन क्षमता का योगदान करेगा। यह ऊपरी जलाशय और निचले जलाशय के मध्य जल के पुनचक्रण की संकल्पना पर आधारित है। टिहरी बांध जलाशय ऊपरी जलाशय तथा कोटेश्वर जलाशय निचले संतुलनकारी जलाशय के रूप में कार्य करेंगे। इस समय सिविल, एचएम तथा ईएम कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना की सितंबर 2019 तक चालू होने की आशा है।

विष्णुगाड पीपल कोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मे.वा.)

वीपीएचइपी एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध की परिकल्पना की गई है ताकि अलकनंदा नदी में सकल शीर्ष 237मी. का दोहन किया जा सके। इसमें 1674 मि.यू.(90% निर्भरता वर्ष) उत्पादन होगा। परियोजना के ऋण भाग.(70%) के निधियन हेतु विश्व बैंक के साथ 10 अगस्त 2011 को 648 अमेरिकी डालर के ऋण हेतु अनुबंध किया गया है। सिविल तथा एचएम तथा ईएम कार्यों में सामंजस्य करते हुए, इस परियोजना के दिसंबर 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है।

ढुकवां लघु हाइड्रो परियोजना (3x8 मे.वा.)

ढुकुवां लघु जल विद्युत परियोजना की उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के आर–पार विद्यमान ढुकुवां चिंनाई और मिट्टी पूरित बांध के निचले भाग में निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की संस्थापित क्षमता 24 मे.वा.(3x8 मे.वा.) है जो बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का भाग होगी। परियोजना निर्माणाधीन है तथा फरवरी–2018 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर प्रतिवर्ष 97.82 मि.यू. विद्युत का उत्पादन हो सकेगा।

नए मानदंड और तकनीकी उन्नयन

टिहरी तथा कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपकरणों की कंडीशन मांनीटरिंग

वर्ष 2015–16 में मैसर्स केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर द्वारा टिहरी तथा कोटेश्वर एचईपी के इलैक्ट्रो–मैकेनिकल

उपकरणों की उपलब्धता, विश्वसनीयता और मशीनों के जीवनकाल में सुधार हेतु उनका निदान, कंडीशन मॉनीटरिंग की गई। कंडीशन मॉनीटरिंग ऐसी प्रक्रिया है जिससे मशीनों की स्थिति का उस समय आंकलन किया जाता है जब वे प्रचालन में होती है, उस समय उनकी दशा में गिरावट, क्रियाशीलता में कमी, संरचना, संयंत्र तथा मशीनरी में टूटफूट की जांच, निगरानी, परीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा की जाती है। मैसर्स सीपीआरआई के निष्कर्षो को कार्यान्वित भी किया जा चुका है।

बाढ के सही समय की भविष्यवाणी

टिहरी एचपीपी में बाढ़ का भविष्यवाणी नेटवर्क लगाया गया है जो जलाशय से नियंत्रित जल निकासी हेतु अग्रिम निर्णय लेने में सहयोगी होगा तथा जलाशय में बाढ़ को समायोजित करने हेतु पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करेगा। रियल टाइम इनफ्लो

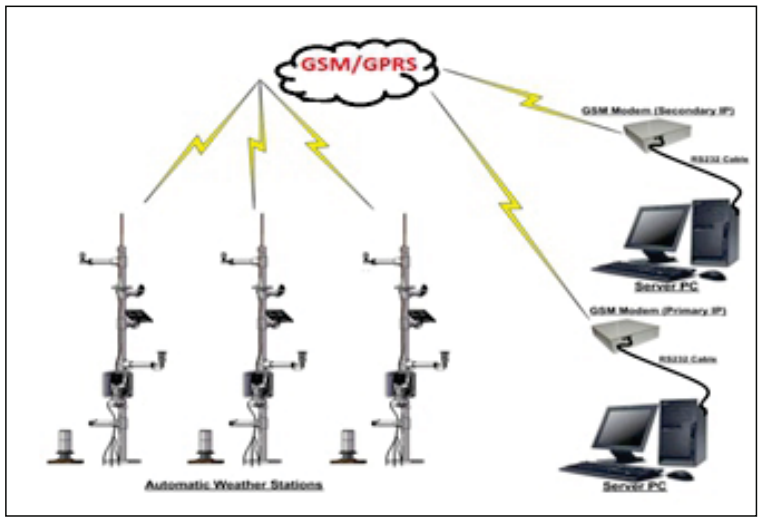

फोरकास्टिम प्रणाली में 11 स्वचालित वैदर स्टेशन, 4 जी एंड डी स्टेशन, जिन्हें टिहरी जलाशय के जल–आवाह क्षेत्र तथा एक सेंट्रल अर्थ स्टेशन टिहरी परियोजना में लगाए गए हैं। यह प्रणाली रियल टाइम मैट्रोलॉजिकल तथा हाइड्रोलॉजिकल आंकडों का प्रेक्षण करने तथा उन्हें टिहरी में स्थापित अर्थ स्टेशन को पारेषण करने में सक्षम है जिससे उनको प्रोसेस कर टिहरी जलाशय के प्रवाह के संबंध में भविष्यवाणी की जा सके। यह आशा की जाती है कि प्रस्तावित प्रणाली से गणितीय मॉडल का वैधीकरण लगभग 90% यथार्थ सूचना 15–16 घंटे पूर्व प्राप्त हो सकेगी। यह प्रणाली 30.06.2016 को स्थापित की जा चुकी है।

सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क

टिहरी बांध के आस–पास के क्षेत्र में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि के दीर्घकालिक आंकडे एकत्र करने के लिए सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क एवं स्ट्रांग मोशन एसीलिरो ग्राफ (एसएमए)लगाया गया है। इस समय नेटवर्क के 12 रिकार्डिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से 9 स्टेशन रेडियो लिंक हैं जो केंद्रीय रिकार्डिंग स्टेशन (सीआरएस) न्यू टिहरी (एनटीटी) से जुड़े हुए हैं तथा 3 स्टेशन स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं।

उन्नत शीघ्र चेतावनी प्रणाली

टिहरी और कोटेश्वर बांध से छोडे जाने वाले पानी की सूचना ऋषिकेश तक शीघ्र पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार के आपदा उपशमन प्रबंधन केंद्र (डीएमएमसी) देहरादून के माध्यम से एक उन्नत चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस प्रणाली में कोटेश्वर के डाउन स्ट्रीम से त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश तथा कोटेश्वर परियोजना में स्थापित दो नियंत्रण कक्ष और डीएमएमसी देहरादून तक 8 स्टेशनों पर सायरन और स्पीकर्स की स्थापना शामिल है।

शीघ्र चेतावनी प्रणाली की स्थापना का कार्य डीएमएमसी द्वारा मैसर्स सोलस मरीन सर्विसेज प्रा. लि. (मैसर्स फैडरल सिग्नल, यूएसए की ओर से) को दिया गया है। इसे 19.07.2017 तक पूर्ण करना होगा।

ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन, यूएसए के साथ अनुबंध

टीएचडीसीआईएल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक विभाग के ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया है यह ब्यूरो निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के बांधों को ओ एंड एम से संबद्ध है। इस समय यूएसबीआर 100 से अधिक बांधों का अनुरक्षण कर रहा है। इनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए टीएचडीसीआईएल ने टिहरी एचपीपी की सिविल संरचना तथा एचएम उपकरणों की स्थिति के निर्धारण हेतु आमंत्रित किया है। इसकी अनुमानित लागत 285000 अमेरिकी डालर है।

वित्तीय विशेषताएं

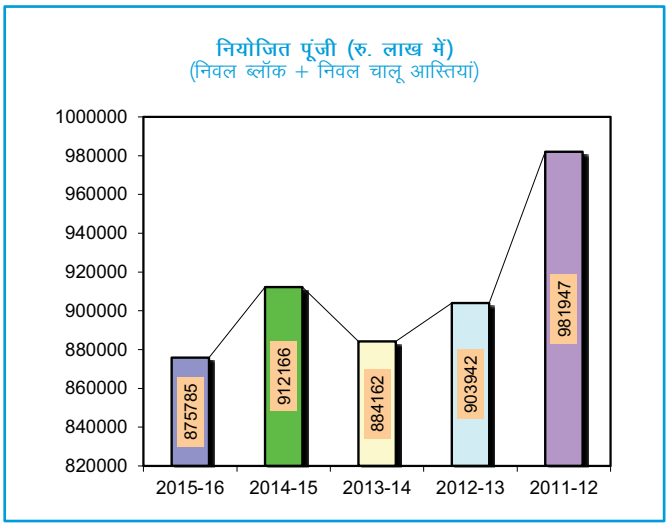
नियोजित पूंजी (रु. लाख में)
(निवल ब्लॉक + निवल चालू आस्तियां)
1000000
980000
960000
940000
920000
900000
880000
860000
840000
820000
875785
912166
884162
903942
981947
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

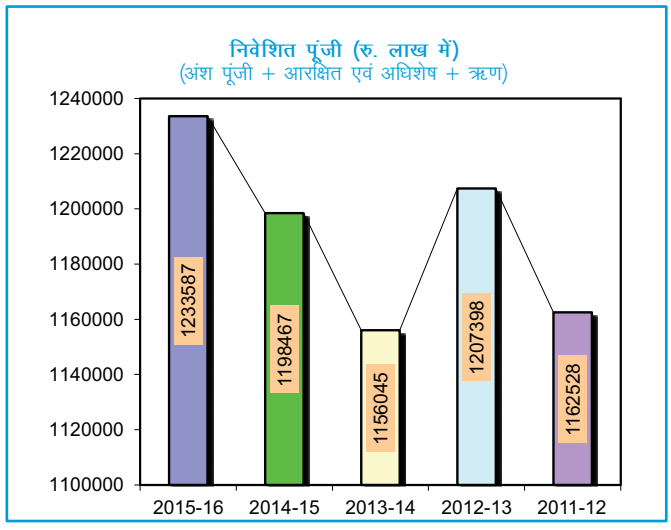
निवेशित पूंजी (रु. लाख में)
(अंश पूंजी + आरक्षित एवं अधिशेष + ऋण)
1240000
1220000
1200000
1180000
1160000
1140000
1120000
1100000
1233587
1198467
1156045
1207398
1162528
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

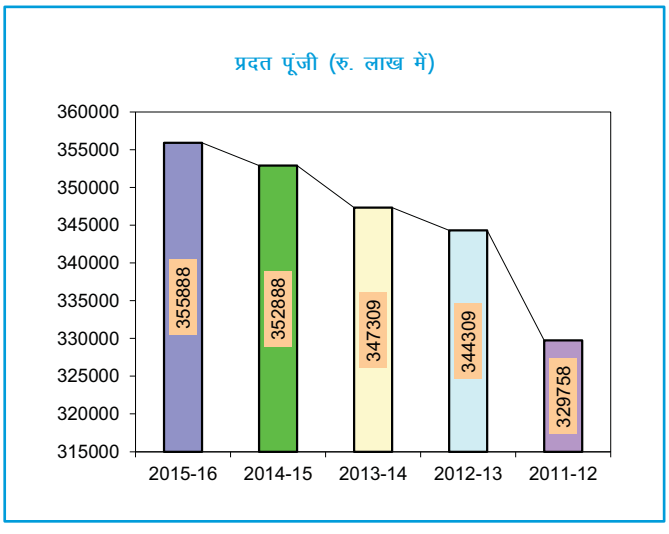
प्रदत पूंजी (रु. लाख में)
360000
355000
350000
345000
340000
335000
330000
325000
320000
315000
355888
352888
347309
344309
329758
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

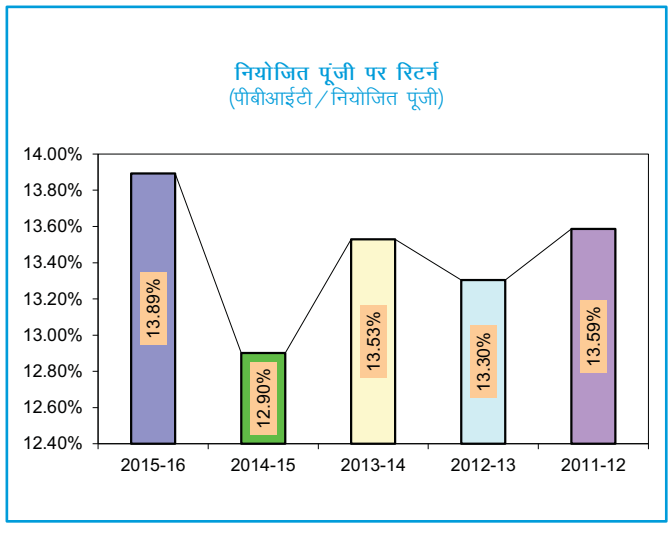
नियोजित पूंजी पर रिटर्न
(पीबीआईटी / नियोजित पूंजी)
14.00%
13.80%
13.60%
13.40%
13.20%
13.00%
12.80%
12.60%
12.40%
13.89%
12.90%
13.53%
13.30%
13.59%
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

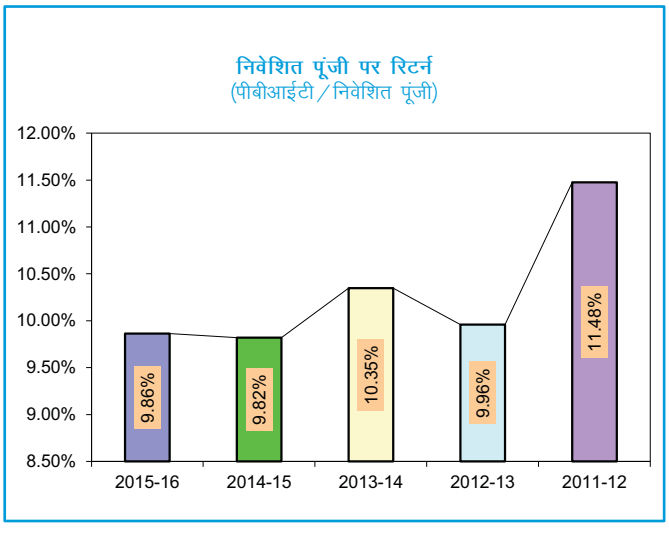
निवेशित पूंजी पर रिटर्न
(पीबीआईटी / निवेशित पूंजी)
12.00%
11.50%
11.00%
10.50%
10.00%
9.50%
9.00%
8.50%
9.86%
9.82%
10.35%
9.96%
11.48%
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

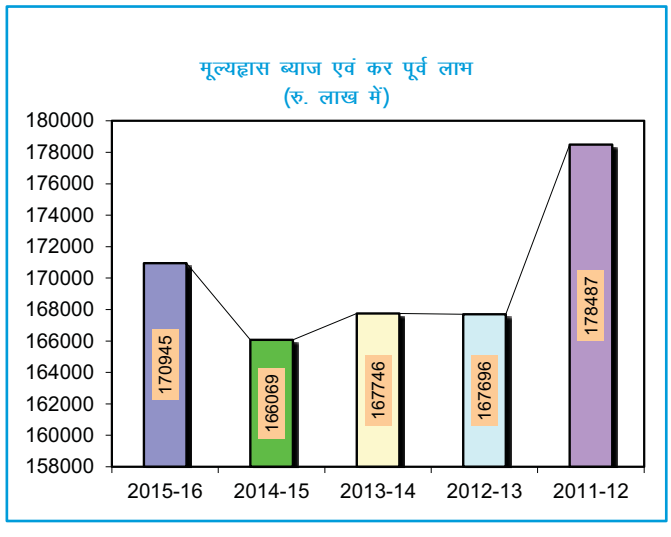
मूल्यह्रास ब्याज एवं कर पूर्व लाभ
(रु. लाख में)
180000
178000
176000
174000
172000
170000
168000
166000
164000
162000
160000
158000
170945
166069
167746
167696
178487
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

वित्तीय विशेषताएं

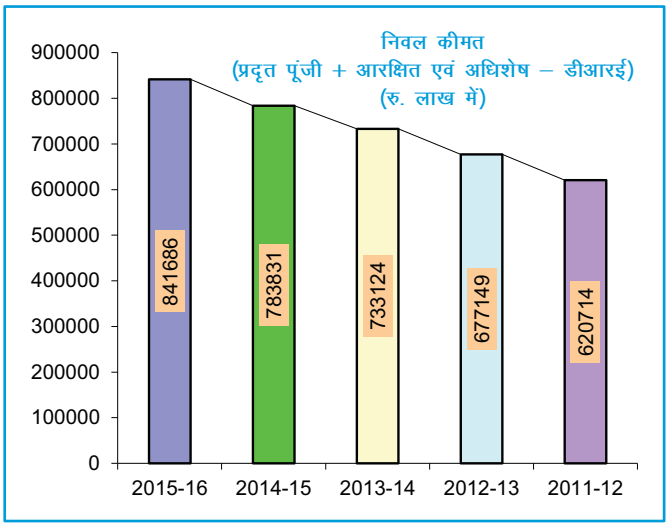
निवल कीमत
(प्रदृत पूंजी + आरक्षित एवं अधिशेष – डीआरई)
(रु. लाख में)
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
841686
783831
733124
677149
620714
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

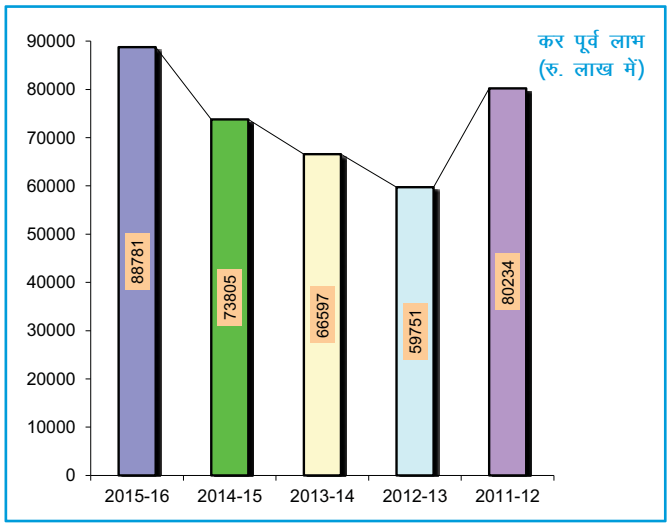
कर पूर्व लाभ
(रु. लाख में)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
88781
73805
66597
59751
80234
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

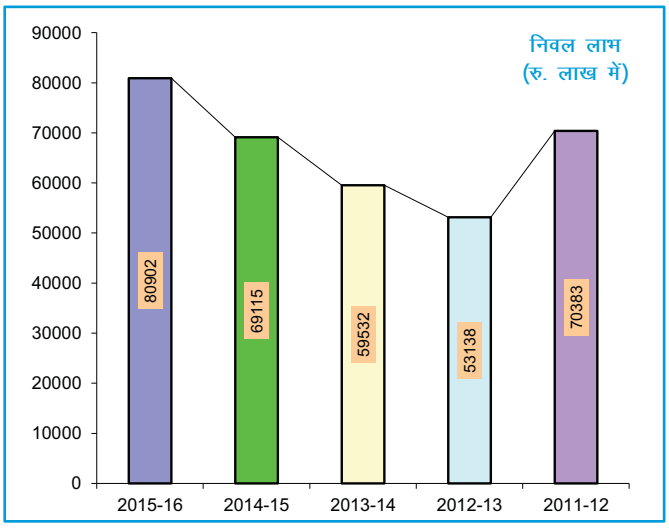
निवल लाभ
(रु. लाख में)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
80902
69115
59532
53138
70383
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

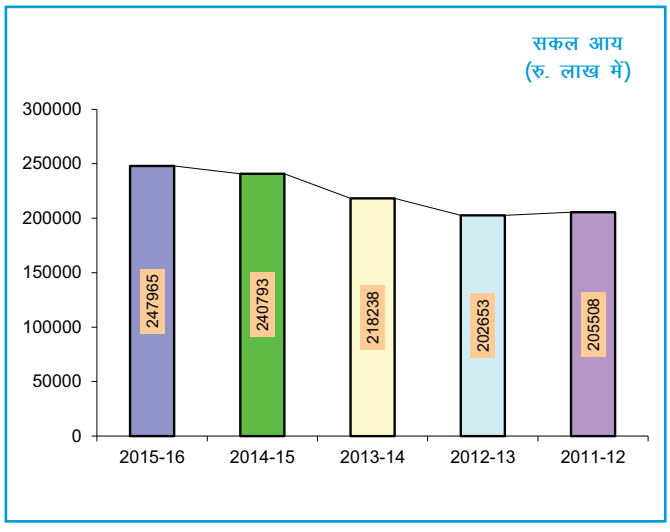
सकल आय
(रु. लाख में)
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
247965
240793
218238
202653
205508
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

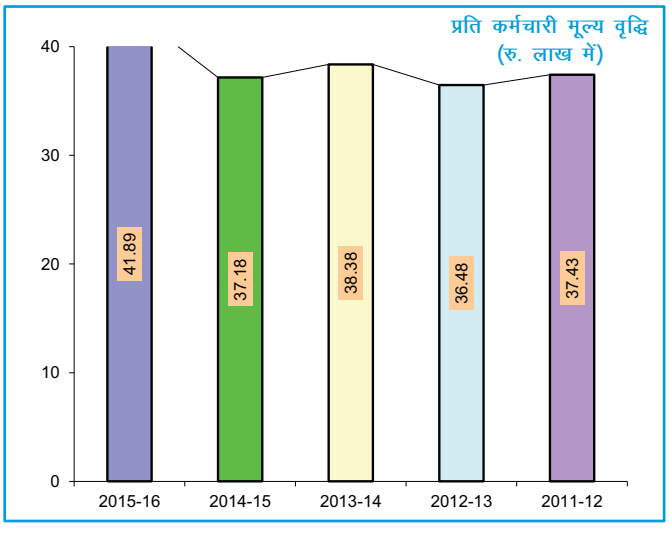
प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि
(रु. लाख में)
40
30
20
10
0
41.89
37.18
38.38
36.48
37.43
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

कारपोरेट सुशासन के संबंध में रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। कंपनी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। कारपोरेट सुशासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश आवश्यक रूप से लागू होते हैं। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 एवं डीपीआई दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन का अच्छा संव्यवहार अंगीकृत करने का प्रयास किया है। आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन पर सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रही है। कंपनी को 2014–15 के लिए कारपोरेट सुशासन पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए डीपीई द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग दी है। डीपीई को प्रस्तुत की गई ग्रेड निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर कंपनी को वर्ष 2015–16 के लिए भी इसी ग्रेड को प्राप्त करने की आशा है।

कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मानकों पर आधारित है:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता।
- समय से और संतुलित प्रकटन।
- मूल्यवर्धन में बोर्ड की भूमिका तथा जिम्मेदारियां।
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा ।
- नीतिपरक तथा उत्तरदायी निर्णय लेने को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण के प्रति दायित्व।
- पणधारियों के अधिकार और हित।
- अनुपालन।

रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाएं और बजट, आंतरिक नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग की सत्यनिष्ठा, कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी पारदर्शिता और पूर्व प्रकटन पर जोर देने सहित संचार नीति, सभी सांविधिक / विनियामक आवश्यकताओं सहित इसका पूर्ण अनुपालन और इनकी वित्तीय तथा समग्र अनुपालन संबंधी प्रणालियां न केवल सैद्धान्तिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी विद्यमान हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 75 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति की हैं तथा 25 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की हैं। कंपनी के कारोबार का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

वर्तमान में बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वंतत्र निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च, 2016 को कंपनी के निदेशक मंडल में दस निदेशक शामिल हैं, जिनमें से अध्यक्ष सहित चार प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित दो निदेशक तथा तीन स्वंतत्र निदेशक हैं। निदेशक, बोर्ड को, व्यापक अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त परिचय वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति

कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के, उनके कार्मिक न रह जाने पर, वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं

निम्नलिखित कार्यसूचियों को बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से रखा जाता है:

- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और कोई अन्य नवीनतम जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा अन्य नवीनतम जानकारी।
- प्रमुख संविदाओं को अवार्ड करना।
- चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जिसमें वे महत्वपूर्ण मुद्दें तथा क्षेत्र शामिल हैं, जिन पर प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, इत्यादि।
- कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- अन्य कंपनियों में निदेशकों द्वारा हासिल निदेशक तथा समिति के पदो ंके बारे में उनके द्वारा हितों का प्रकटन।
- कंपनी के बहिर्नियमों तथा अंतर्नियमों तथा अन्य नीतिपरक मामलों में संशोधन।
- विदेशी मुद्रा के खुलासे पर तिमाही रिपोर्ट।
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे मजदूरी करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इत्यादि का कार्यान्वयन।
- पिछली बैठक से इस बैठक के बीच के प्रमुख कार्यकलापों की मुख्य विषेशताएं।
- संयुक्त उद्यम और सहयोग करार।
- नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा वस्तुस्थिति।
- लघुवधि/दीर्घावधि के ऋण एवं अन्य वित्तीय मुद्दों को उठाना ।
- अंतरिम लाभांश का भुगतान तथा अंतिम लाभांश की घोषणा।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
- मानव संसाधन विकास तथा औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे इत्यादि जिन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना आवश्यक हो।

बैठक पश्चात अनुवर्ती जांच प्रणाली

बोर्ड के निणर्यों तथा निदेशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) भी नियमित रूप से अलग कार्यसूची के रूप में बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

2.4 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के पश्चात समुचित अग्रिम सूचना देकर बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठकों में अर्थपूर्ण, सुविज्ञ और केन्द्रित निर्णय लेने में सहायता के लिए पर्याप्त समय, सामान्यतया 07 दिन पहले, विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट तथा अन्य व्याख्यात्मक ब्यौरा पारिचालित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें हुई थी। बैठकों की तिथि, बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उपस्थित निदेशकों की संख्या का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है:

तालिका 1: वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	बोर्ड की बैठकों की तिथि	बोर्ड की सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	23 मई, 2015	7	5
2.	30 जुलाई, 2015	7	5
3.	22 सितम्बर , 2015	7	6
4.	22 दिसम्बर, 2015	10	6
5.	27 जनवरी, 2016	10	7

वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, बोर्ड की ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित थे, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद / समिति की सदस्यता की संख्या से संबंधित ब्यौरा **तालिका–2** में दिया गया है:

तालिका 2: निदेशकों की श्रेणियां तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति में धारित पद संबंधी विवरण

क्र. सं.	निदेशक गण	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें वे उपस्थित थे	पिछली वार्षिक आम सभा की उपस्थिति	अन्यत्र धारित निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
	प्रकार्यात्मक निदेशक					
1.	श्री आर. एस. टी. शाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	5	उपस्थित	2	1	2
2.	श्री डी. वी. सिंह निदेशक (तकनीकी)	5	उपस्थित	-	-	2
3.	श्री एस. के. बिस्वास निदेशक (कार्मिक)	5	उपस्थित	-	-	-
4.	श्री श्रीधर पात्रा निदेशक (वित्त)	5	उपस्थित	-	-	-
	सरकार द्वारा नामित निदेशक					
5.	श्री राज पाल, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, (30.06.2015 तक)	1	अनुपस्थित	1	-	-
6.	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार (26.08.2014 से)	1	उपस्थित	1	-	-
7.	श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार (26.08.2014 से 20.04.2016 तक)	1	अनुपस्थित	2	4	1
8.	श्रीमती अंजू भल्ला (01.07.2015 से)	2	अनुपस्थित	1	-	-

क्र. सं.	निदेशक गण	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें वे उपस्थित थे	पिछली वार्षिक आम सभा की उपस्थिति	अन्यत्र धारित निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
	स्वतंत्र निदेशक					
9.	श्री ओ पी गहरोत्रा पूर्व–अपर मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई (23.05.2015 तक)	0	अनुपस्थित	6	-	-
10.	श्री बच्ची सिंह रावत (22.12.2015 से)	2	अनुपस्थित	-	-	-
11.	श्री मोहन सिंह रावत गांववासी (22.12.2015 से)	2	अनुपस्थित	-	-	-
12.	प्रो. महाराज कृष्ण पंडित (22.12.2015 से)	0	अनुपस्थित	-	-	-

2.5 निदेशकों का पारिश्रमिक एवं प्रकटन

आपकी कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसलिए बोर्ड पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में निर्णय नहीं लेता है। सरकार द्वारा पदेन हैसियत में नामित अंशकालिक निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वंतत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की बैठकों मे भाग लेने के लिए 20,000 रू. प्रति सीटिंग की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड द्वारा दर नियत की गई।

वर्ष 2015–16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा **तालिका 3** में दिया गया है:

तालिका 3: स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का ब्यौरा

स्वतंत्र निदेशकों का नाम	बैठक शुल्क (रु. में)			सीएसआर एवं सततता विकास समिति	कुल (रु.)
	बोर्ड की बैठक और वार्षिक आम बैठक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रमिक समिति की बैठक		
श्री बच्ची सिंह रावत	40,000	20,000	20,000	20,000	100,000
श्री मोहन सिंह रावत	40,000	20,000	शून्य	20,000	80,000
प्रो. महाराज कृष्ण पंडित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तलिका 4: पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक

टीएचडीसीआईएल सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय सरकार द्वारा किया जाता हैं। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्णकालिक निदेषकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार था।

वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राशि लाख रू. में

निदेशकगण	पदनाम	वेतन/ भत्ते	प्रसुविधाएं संबद्ध प्रोत्साहन *	निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी)	सकल योग
श्री आर.एस.टी.शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4706696	0	3319190	8025886
श्री डी.वी.सिंह	निदेशक(तकनीकी)	3426617	0	1866173	5292790
श्री एस.के.बिस्वास	निदेशक(कार्मिक)	3505828	0	1769292	5275120
श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक(वित्त)	4190639	0	900000	5090639
श्री एस.क्यू. अहमद	कंपनी सचिव	2689086	0	651096	3340182

(1)* इसमे यात्रा खर्च, भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का अंशदान, चिकित्सा पर व्यय, अवकाश नकदीकरण, अन्य व्यय एवं सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ आदि शामिल हैं।

(2) उक्त दर्शायी गई धनराशि में प्रावधान भी शामिल है।

2.6 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित श्रेणी या श्रेणियों की प्रत्येक कंपनी को पूर्णकालिक प्रबंधकीय कार्मिक (के एम पी) रखना होगा। तद्नुसार कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किए हैं:

1. श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री श्रीधर पात्रा, प्रमुख वित्त अधिकारी
3. श्री एस.क्यू. अहमद, कंपनी सचिव

2.7 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां:

i) निर्णय लेने की प्रक्रिया: कंपनी ने दिशानिर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इस दिशानिर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती है। कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्टें तथा अन्य स्पष्टकारी विवरण आमतौर पर सदस्यों में पर्याप्त समय सामान्यतः 07 दिन पूर्व परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।
- अति आवश्यक मामलों में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होने पर अल्पावधि नोटिस पर बैठकें बुलाई जाती हैं एवं परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों को संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रख दिए जाते हैं।

- संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।
- कार्यसूची के मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली मदों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की सभी बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा ई–मेल द्वारा परिचालित किया जाता है जिसके संबंध में 07 दिनों के भीतर बोर्ड के प्रत्येक सदस्य से अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जाता है जिसमें निदेशकों के सुझाव/सलाह शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार अंतिम रूप दिए गए कार्यवृत्त को पुष्टि किए जाने के लिए निदेशक मंडल की अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड/समिति के सदस्यों के निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को प्रस्तुत करने की प्रणाली वित वर्ष 2013–14 से विकसित की गई है। यह बोर्ड के मामलों के संबंध में कारगर अनुवर्ती कार्रवाई, पुनरीक्षण तथा रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में काम करता है।

iii) अनुपालन:

यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास है कि कार्यसूची तैयार करते समय कानून, नियमावली तथा दिशानिर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया जाए।

3. निदेशक मंडल की समितियां:

वर्तमान में कंपनी में बोर्ड की निम्नलिखित तीन उप–समितियां हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति

ii) पारिश्रमिक समिति

iii) सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

कंपनी सचिव, बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति गठित की है। लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति (कोरम), विस्तार क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप होता हैं। लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां तथा विचारार्थ विषय कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.2 और 4.3 तथा कंपनी अधिनियम 2013 में यथाविनिर्दिष्ट हैं।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

दिनांक 31.03.2016 तक की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना **तालिका 5** में दी गई है:

तालिका 5: लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियाँ

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	श्री बच्ची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	श्री मोहन सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	प्रो. महाराज कृष्ण पंडित	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
4.	श्री डी.वी. सिंह	निदेशक तकनीकी – सदस्य

निदेशक (वित्त) और प्रमुख लेखापरीक्षा अधिकारी विशेष स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन का निरीक्षण करना ताकि वित्तीय विवरणों का सत्य, पर्याप्त और विश्वसनीय होना सुनिश्चित किया जा सके।
- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:
  - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों की जिम्मेदारी के वक्तव्य में शामिल किए जाने वाले मामले;
  - लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा उसके कारण;
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय की कवायद पर आधारित मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां जिनमें अनुमान भी शामिल हैं;
  - लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले समायोजनों को वित्तीय विवरणों में शामिल करना;
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
  - किसी भी संबद्ध पार्टी के लेन–देन का प्रकटन; तथा
  - ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्तें।
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए तिमाही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना। प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों का निष्पादन, आंतरिक लेखा–परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर समीक्षा करना ।
- निर्गम (लोक निर्गम, आधिकारिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि) जारी करके एकत्र की गई निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पुस्तिका/नोटिस में बताये गए उद्देश्यों से इतर उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गई निधियों का विवरण, सरकारी अथवा आधिकारिक निर्गमों से प्राप्त आमदनी के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर समीक्षा करना तथा इन मामलों में कदम उठाने के लिए बोर्ड को समुचित सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता तथा कार्य निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की कार्यसाधकता की समीक्षा और निगरानी।
- कंपनी के सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन–देन पर उत्तरवर्ती संशोधन अथवा अनुमोदन।
- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग की अध्यक्षता करने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता तथा स्टाफ व्यवस्था, संरचना कवरेज रिपोर्टिंग तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की बारम्बारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा

प्रकार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

- अन्तर–कारपोरेट ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा।
- कंपनी के दायित्व एवं सम्पत्तियों का, जहां आवश्यक हो, मूल्यन।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा/अथवा लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी उल्लेखनीय निष्कर्ष के बारे में चर्चा करना तथा उस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- जिन मामलों में जालसाजी का संदेह हो, अनियमितता की गई हो या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां उल्लेखनीय ढंग से असफल हुई हों, उन मामलो में आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किए गए आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा बोर्ड को उसकी जानकारी देना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार–विमर्श तथा कोई चिंतनीय क्षेत्र अभिनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा के बाद विचार विमर्ष।
- जमाकर्त्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान के मामलें में हुई गंभीर चूकों के कारणों, यदि कोई हों, का पता लगाना।
- सचेतक तंत्र की कार्यपद्धति की समीक्षा करना।
- उम्मीदवार की अर्हता, अनुभव तथा पृष्ठभूमि, इत्यादि का मूल्यांकन करने के बाद सीएफओ (अर्थात् पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा वित्त का कार्य देखने वाले अथवा निर्वहन करने वाले प्रधान अधिकारी) की नियुक्ति अनुमोदन।
- लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में लिखित अन्य किसी कार्य को करना।
- नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई लेखापरीक्षा टिप्पणी पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- बोर्ड के निदेशकों तथा स्वंतत्र लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों के बीच खुली बातचीत के अवसर की व्यवस्था करना।
- कंपनी में होने वाले सभी सम्बद्ध पार्टी लेन–देनों का पूर्व–अनुमोदन व समीक्षा करना। लेखापरीक्षा समिति ऐसे सदस्य को मनोनीत कर सकती है जो सम्बद्ध पार्टी लेन–देनों के पूर्व अनुमोदन के लिए जिम्मेवार होगा।
- कार्यक्षेत्र व्याप्ति की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रयासों के समन्वय पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
- प्रबंधन तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करनाः
  - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता।
  - प्रबंधन के प्रत्युत्तर सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के सम्बद्ध निष्कर्ष तथा सिफारिशें।
  - प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करनाः
  - पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिशों की प्रस्थिति सहित वर्ष के दौरान के महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
- कार्यक्षेत्र अथवा अपेक्षित सूचना तक पहुंच में किसी प्रकार के प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना होना।

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियांः

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखापरीक्षा समिति शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

- लेखापरीक्षा समिति को यह अधिकारी होगा कि वह ऊपर विनिर्दिष्ट अथवा बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले की जांच कर सकेगा तथा इस उद्देश्य के लिए कंपनी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर उसकी पूरी पहुंच होगी।

- किसी भी कर्मचारी के बारे में तथा उससे सूचना मांगना।
- यदि आवश्यकता पड़े तो बाहर से कानूनी अथवा अन्य वृत्तिक सलाह लेना।
- यदि आवश्यक हो तो, संगत विशेषज्ञता रखने वाली बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुरक्षित करना।
- किसी भी मामले पर लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड विचार करेगा।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

- लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना की समीक्षा करेगी:
  - ➢ प्रबंधन के विचार–विमर्श तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;
- महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी लेन–देन (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित), प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विवरण;
- प्रबंधन के पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमियां संबंधी पत्र;
- आंतरिक नियंत्रण की कमियों से सम्बद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
- प्रमुख आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति तथा पदच्युति तथा मुख्य कार्यपालक/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा लेखा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

3.1.3 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक से संबंधित ब्यौरा **तालिका 6** में दिया गया है:

तलिका 6: वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थिति सदस्यों की संख्या
1.	26 मार्च, 2016	4	3

वर्श 2015–16 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **तालिका 7** में दिया गया है।

तालिका 7: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा:

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थिति सदस्यों की संख्या
1.	श्री बच्ची सिंह रावत	1	1
2.	श्री मोहन सिंह रावत	1	1
3.	प्रो. महाराज कृष्ण पंडित	1	0
4.	श्री डी.वी. सिंह	1	1

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी ने विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखापरीक्षा की बैठकों में निरपवाद रूप से भाग लिया।

3.2 पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर वेतन और भत्तों, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा नीति के बारे में विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया गया था। पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणी **तालिका 8** में दी गई है:

तालिका 8: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां:

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	श्री बच्ची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	प्रो. महाराज कृष्ण पंडित	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	श्रीमती अंजू भल्ला	सरकार द्वारा नामित निदेशक –सदस्य

निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.2.2 बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 27 जनवरी, 2016 को आयोजित की गई। पारिश्रमिक समिति की जिन बैठकों में सदस्य गण शामिल हुए थे, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

तालिका 9: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति

क्र.सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्य	सदस्यों की श्रेणी	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठक	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	श्री बच्ची सिंह रावत	अध्यक्ष	1	1
2.	प्रो. महाराज कृष्ण पंडित	सदस्य	1	0
3.	श्रीमती अंजू भल्ला	सदस्य	1	1

निदेशक (कार्मिक) ने विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

3.3 सीएसआर तथा सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा सीएसआर तथा सततता नीति– 2014 के अनुसार आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति का गठन किया है।

3.3.1 संरचना

दिनांक 31.03.2016 के अनुसार सीएसआर तथा सततता समिति की संरचना **तालिका 10** में दी गई है:

तालिका 10: सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां :

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी		
1.	श्री मोहन सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री बच्ची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री डी.वी. सिंह	प्रकार्यात्मक निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री श्रीधर पात्रा	प्रकार्यात्मक निदेशक	–	सदस्य

महाप्रबंधक (एस एंड ई), सीएसआर तथा सततता के नोडल अधिकारी होने के नाते समिति में स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं। बोर्ड स्तर की यह समिति प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार और वर्ष में चार बार बैठकें करते हैं।

3.3.2 बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2015–16 में सीएसआर तथा सततता समिति की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का ब्यौरा **तालिका 12** में दिया गया है:

तालिका 12: सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक तथा उनकी उपस्थिति:

क्र.सं	सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	27 जनवरी , 2016	4	4

निदेशक (वित्त) ने विशिष्ट आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा एसडी समिति कंपनी के सीएसआर–एसडी कार्यक्रम / गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं / गतिविधियों तथा वार्षिक योजना / बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर–एसडी प्रगति रिपोर्ट / स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर– एसडी गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर–एसडी परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

4. आम सभा की बैठकें

जिस तारीख, समय तथा स्थान पर पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं, उन्हें **तालिका 13** में दर्शाया गया है।

तालिका 13: पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों के ब्यौरे:

वार्षिक आम सभाएं	22 सितम्बर, 2015 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम सभा	27 सितम्बर, 2014 को आयोजित 26वीं वार्षिक आम सभा	25 सितम्बर, 2013 को आयोजित 25वीं वार्षिक आम सभा
समय	अपराह्न 05.00 बजे	अपराह्न 05.00 बजे	अपराह्न 12.30 बजे
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लाट नं.20 सेक्टर नं. 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद (उ. प्र.)
विशेष कार्य व्यवहार	• वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक नियत करना • बाण्ड जारी करके रू. 2500 करोड़ का ऋण लेना।	• वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक नियत करना • प्रदत्त पूंजी तथा स्वतंत्र आरक्षित से अधिक बोर्ड के ऋण लेने की शक्ति को अनुमोदन प्रदान करना।	शून्य

5. प्रकटन

5.1 सम्बद्ध पक्षकारों से लेन–देन: प्रोमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण प्रकृति का कार्य लेन–देन नहीं है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के हित के साथ बड़ा अंतर्विरोध हो। संबंधित पक्षकारों के प्रकटन का ब्यौरा एएस–18 के अनुसार लेखा पर टिप्पणी में शामिल किया गया है।

6. सचेतक नीति

कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सचेतक नीति अपनाई गई है ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या आचरण अथवा आचार नीति संबंधी कंपनी के सामान्य दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी से प्रबंधन को अवगत करा सकें। कर्मचारियों को उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध करवाए गए हैं तथा आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे मुलाकात करने का प्रावधान भी किया गया है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने पर उत्पीड़न से कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझकर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सचेतक नीति की प्रति कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

7. परिवाद निवारण तंत्रः

उत्पादकता और संगठन की दक्षता में सुधार तथा कार्य की संतुष्टि में वृद्धि बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के परिवाद का शीघ्र निपटारा करने के लिए एक आसान और सुलभ व्यवस्था करने के उद्देश्य से दिनांक 05.09.1985 के डीपीई दिशानिर्देश के अनुरूप एक परिवाद निवारण तंत्र गठित किया गया ।

इस योजना में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों, जो बोर्ड स्तर से एक स्तर नीचे, जो निगम की नियमित भूमिका में हैं, शामिल हैं।

इसमें निम्नलिखित को छोड़कर, अवकाश, वेतनवृद्धि, नियमों के तहत प्रसुविधाओं के गैर–विस्तार, सेवा नियमों की व्याख्या शामिल है :

क) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन/गोपनीय रिपोर्ट।

ख) डीपीसी के कार्यवृत निर्णयों सहित, पदोन्नतियां।

ग) जहाँ परिवाद एक व्यक्ति विशेष कर्मचारी से संबंधित नहीं है।

घ) कर्मचारी के विमुक्ति या बर्खास्तगी से उत्पन्न परिवाद।

ड.) चयन/आमेलन/इंडक्शन से संबंधित परिवाद।

च) अदालत में विचाराधीन मामले।

छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश और पहले से पारित सकारण आदेश के अनुपालन के तहत विधिवत विचाराधीन मामले।

शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का निम्नानुसार गठन किया गया है :

1. श्री पी.पी.एस. मान, कार्य. निदेशक (टी.सी), टिहरी – अध्यक्ष
2. श्री आर.एन. सिंह, अपर महाप्रबंधक (एस.पी), कौशाम्बी – सदस्य
3. श्री पी.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक (परियोजना), कोटेश्वर – सदस्य
4. श्री के.एस. पुण्डीर, वरिष्ठ प्रबंधक (विधि), ऋषिकेश – सचिव

वर्ष 2014–15 के दौरान रिकार्ड के अनुसार प्राप्त परिवादों की संख्या शून्य है।

8. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जून, 2012 में "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" अपनाया। इस मैनुअल से यह अभिप्रेत है कि यह निगम में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखे। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन, परिकल्प तथा परियोजना, इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावकारिता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

मैनुअल के अनुरूप जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की गई। "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" में उल्लेख किए गए अनुसार प्रत्येक विभाग ने जोखिम रजिस्टर खोला है और जोखिम वाले कार्यकलापों के समन्वय के लिए जोखिम नोडल अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड 'जोखिम अनुभव रजिस्टर' में रखा जाएगा, जिसमें भविष्य के संदर्भ के लिए जोखिम की घटना तथा उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण दिया जाएगा। कंपनी द्वारा समय–समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा करता है। वर्ष के दौरान जोखिम की कोई बड़ी विशेष घटना नहीं घटी।

9. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है:

- रिकार्डों के उचित संरक्षण तथा भंडारण को सुकर बनाना।
- रिकार्डो को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने हेतु सरल बनाना।

- प्रारंभिक स्तर पर रिकार्डों की वृद्धि को नियंत्रित करना।
- समय से छांटने के लिए रिकार्डों को चिह्नित करना ताकि रिकार्डों के रख–रखाव की लागत को इष्टतम किया जा सके।
- रिकार्डों को बनाए रखने के लिए सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन करना।
- कार्यालय स्थान के उपयोग को इष्टतम करना इत्यादि।

उपरोक्त के अनुपालन में कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी और अपेक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है। सुरक्षित अभिरक्षा के लिए फाइलों/दस्तावेजो को एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उचित कम्प्यूटरीकृत कोडिंग के साथ अभिलेखों को उपलब्ध रैक/ऑप्टीमाइजर्स में रखने हेतु वर्गीकरण कार्य किया गया है।

10. संचार के साधन–अधिकारिक वेबसाइट

कंपनी ने प्रकाशित सामग्री अर्थात वार्षिक रिपोर्ट, गृह पत्रिका, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से प्रभावी संचार प्रणाली को अपनाया है। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ–साथ जनता के लिए व्यापक स्तर पर सामग्री उपलब्ध कराते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। कंपनी के बारे में सभी सामग्री की जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। वेबसाइट को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए नियमित तौर पर अद्यातन किया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट www.thdc.co.in में निम्नलिखित बातें शामिल है:

- कंपनी की प्रोफाइल, अभिदृष्टि, कंपनी के मिशन, संपर्क नंबर।
- निदेशक मण्डल तथा बोर्ड की उप–समितियां।
- संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- कंपनी का निष्पादन तथा वार्षिक रिपोर्ट।
- प्रमुख परियोजनाएं तथा इनकी स्थिति।
- अद्यतन घटनाएं, फोटोग्राफ, सी.एस.आर. पहल।
- कंपनी की विभिन्न नीतियां और मैनुअल।
- कर्मचारी लॉगइन सहित इंटरनेट पर कर्मचारी से संबंधित सूचना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी, आदि।

11. भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करते हैं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश की जाती है।

12. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों में अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक, नैतिकता, सुशासन, ईमानदारी, सत्यानिष्ठा और निष्पक्षता के मानक को स्थापित करना है।

13. निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी के विजन और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए

एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों को संचालित करने में आचार नीति तथा पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है।

निदेशक मण्डल के सदस्यों और निगम के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन के संबंध में वार्षिक अभिवचन प्राप्त किया गया है।

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है'।

(आर.एस.टी. शाई)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

कारपोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

14. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,
ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए है:

कंपनी सचिव	श्री एस.क्यू. अहमद
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2439309, फैक्स–0135–2439442
ई–मेल	thdccs@yahoo.co.in
सार्वजनिक शिकायतों के लिए	श्री आर.एन. सिंह, अपर महाप्रबंधक (एस. पी)/निदेशक, लोक शिकायत
संपर्क	0120-2776490, फैक्स नं. 0120-2776433
ई–मेल	rnsingh@thdc.co.in

पी.एस.आर.मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सी.पी. 13090

कारपोरेट सुशासन के संबंध में प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएडीएस इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–249001

1. मैंने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी)** सीआईएन. यू45203यूआर1988जीओआई009822 द्वारा मई, 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी दिशा–निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है। टीएचडीसी इंडिया लि., भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी अंशभागिता के साथ भारत सरकार का गैर–सूचीबद्ध उपक्रम है।
2. कारपोरेट सुशासन की शर्तो का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।
3. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का नीचे दी गई सीमाओं को छोड़कर अनुपालन किया है।

   क) दिसंबर 2016 और उसके बाद से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के गठन में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या होगी।

   ख) इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की केवल एक बेठक हुई थी ।
4. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही यह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

हस्ता. / –
(पी.एस.आर. मूर्ति)
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 2 सितंबर, 2016

178 आर पी एस फ्लेटस, शेख सराय फेस–I, नई दिल्ली–110017
मोबाइल : 919816010286, दूरभाषः 011–26018714
ई–मेलः pendyala50@yahoo.com

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सततता की रिपोर्ट

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सीएसआर नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित है, निवल संपत्ति, कुल ब्रिकी अथवा लाभ की सीमा रेखा पर आधारित पात्रता के मानदंड के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों को करने के लिए सीएसआर नीति बनानी चाहिए। तदनुसार आपकी कंपनी ने हाल ही में बोर्ड के अनुमोदन से सीएसआर तथा सततता नीति, 2015 का सूत्रपात किया है। आपकी कंपनी की सीएसआर पर अभिदृष्टि है "सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारपोरेट, समाज एवं समुदाय में मूल्य सृजन में निरन्तर वृद्धि तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना"।

सीएसआर और सततता कार्यकलापों की योजना तथा चयन

- कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार सीएसआर परियोजनाओं की योजना बनाई जाती है और चयन किया जाता है।
- सीएसआर कार्यकलाप परियोजना/प्रोग्राम प्रणाली में सम्पन्न किए जाते हैं, जिससे विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थाओं में कार्यनिष्पादन के चरणों, आबंटित बजट के अंदर आवश्यक संसाधनों का लक्ष्य अग्रिम रूप से तय करना तथा वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए निश्चित समय सीमा तय करना आवश्यक हो जाता है।
- टीएचडीसीआईएल सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम अथवा कार्यकलापों को सम्पन्न करने के लिए अन्य कंपनियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से सहयोग स्थापित कर सकती है।
- केवल उन्हीं सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं का चयन किया जाता है जिनकी आंतरिक विशेषज्ञता द्वारा बेहतर तरीके से कार्यान्वित/देख–रेख की जा सके।
- किसी भी सीएसआर कार्यकलाप के चयन से पूर्व आधार रेखा/ आवश्यकतापरक मूल्याकंन को प्राथमिकता दी जाती है।
- सीएसआर समिति की सिफारिशों पर वार्षिक सीएसआर तथा निरन्तरता योजना का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

सीएसआर परियोजना/कार्यकलाप

टीएचडीसीआईएल द्वारा जो सीएसआर कार्य सम्पन्न किया जाता है वह उसके प्रकार्यों तथा कार्यकलापों से सीधे प्रभावित होने वाले पणधारियों की प्राथमिकता पर विशुद्ध रूप से आधारित होता है। टिहरी जिले के परियोजना प्रभावित गांवों की टिकाऊ आजीविका के उन्नयन के लिए दीर्घकालीन परियोजनाओं ने अपने उद्देश्यों को बखूबी पूरा किया है और स्थानीय समुदायों ने इसे खुशी से स्वीकार किया है। पणधारियों को विभिन्न बैठकों, संगोष्ठियों तथा कृषक गोष्ठियों के माध्यम से निरंतर जोड़कर रखा जाता है। हमारी सीएसआर परियोजना से हुए लाभ प्रत्यक्ष हैं। विशेषकर परियोजना प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने क्षेत्र में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सेवा–टीएचडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों से अब समुचित रूप से परिचित हैं और सेवा–टीएचडीसी द्वारा सम्पन्न किए जा रहे विभिन्न सीएसआर कार्यों के लिए सक्रिय रूप से सहयोग दे रहें हैं।

टिहरी परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर

नीति के अनुसार सीएसआर निधि का लगभग 65 प्रतिशत प्रचालन क्षेत्र के आस–पड़ोस में उपयोग में लाया जा रहा है और

शेष निधि उस विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग में लाई जा रही है, जहां हमारा व्यवसाय फैला हुआ है। एकबारगी कार्यक्रम जैसे मैराथन/पुरस्कार/धर्मार्थ अशंदान/विज्ञापन/दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रायोजन इत्यादि को नजरदांज किया गया है क्योंकि यह सीएसआर खर्च के अंश के रूप में स्वीकार्य नहीं होते हैं।

प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में शामिल हैं:

- निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं डिस्पेंसरियो के संचालन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।
- सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- ''स्वच्छ भारत अभियान'' के तहत शौचालयों का निर्माण।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देना।
- परियोजना क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।
- प्रभावित क्षेत्र की आबादी में स्थानीय आईटीआई की सहायता सहित रोजगार सृजन करने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण।
- पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति और जीव रक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और जल की गुणवत्ता बनाए रखने को सुनिश्चित करना।
- परियोजना के आसपास के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आधारित समग्र विकास।
- महिला सशक्तिकरण, आदि।

विस्तृत सीएसआर गतिविधियां परिशिष्ट – I में दी गई हैं।

सीएसआर बजट

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार अपने औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना होगा। तदनुसार वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर बजट रू. 13.34 करोड़ का बनता है। कंपनी के सभी सीएसआर कार्यों के कार्यान्वयन का काम कंपनी प्रायोजित एनजीओ अर्थात सेवा–टीएचडीसी तथा टीईएस को सौंपा गया है। 01 अप्रैल, 2014 से लागू सीएसआर तथा सततता 2014 पर डीपीई के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर के बजट का उपयोग मुख्यतः टीएचडीसीआईएल के विविध परियोजना स्थानों/व्यवसाय स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में किया गया है।

कार्यान्वयन तंत्र

साझेदार गैर–सरकारी संगठनों, सोसायटियों, न्यासों, सरकारी एजेंसियों तथा विश्वविद्यालयों, इत्यादि के सहयोग से कंपनी प्रायोजित सोसायटियों अर्थात सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं।

निगरानी, मूल्यांकन और प्रभाव आकंलन

क) कारपोरेट सीएसआर और सततता विभाग अभिज्ञात मुख्य निष्पादन सूचक की सहायता से आवधिक रूप से कार्यक्रमों/कार्यकलापों की निगरानी करेगा, आवधिकता का निर्धारण मुख्य रूप से सूचकों के निष्पादन और परियोजना चक्र की प्रकृति के अनुसार होता है। निरंतर प्रतिपुष्टि तंत्र के साथ कार्यान्वयन निगरानी भी परियोजना मोड में की जानी चाहिए तथा कार्यान्वयन में, जब कभी भी आवश्यक हो मध्य कोर्स सुधार के लिए उपाय उपलब्ध होना चाहिए।

ख) सीएसआर और निरन्तरता के प्रभारी निदेशक को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। सीएसआर समिति के द्वारा सोच–विचार के पश्चात सीएसआर और सततता पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

ग) रू. 5.0 लाख या उससे अधिक की सीएसआर परियोजनाओं का स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों/विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रभाव आंकलन के आधार पर भावी सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाई जाती है।

सीएसआर परियोजनाओं की लेखा–परीक्षा

सेवा–टीएचडीसी, टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस) एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के खातों की वार्षिक लेखा–परीक्षा संबंधित सोसाइटियों के उप–नियमों के अनुसार प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करायी जाती है।

सीएसआर समिति की संरचना:

बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) एवं बोर्ड स्तर की समिति (बीएलसी)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन किया है, जिसमें स्वतंत्र निदेशक तथा निदेशक (प्रभारी) सदस्य होते हैं। बीएलसी के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक हैं। वार्षिक सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा, कार्यान्वयन तंत्र आदि पर विचार करने के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की नियमित बैठकें बुलाई जाती हैं।

इसके अलावा, सीएसआर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोर्ड स्तर के नीचे की सीएसआर समिति (बीबीएलसी) का भी गठन किया गया है, जिसके सदस्य कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 बनने के और इसके 01.04.2014 से लागू होने के बाद नीचे दिए गए अनुसार बोर्ड स्तर की एक नई सीएसआर समिति पुनर्गठित की गई है:

- श्री मोहन सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक — अध्यक्ष
- श्री बच्ची सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक — सदस्य
- श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी) — सदस्य
- श्री श्रीधर पात्रा, निदेशक (वित्त) — सदस्य

गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	:	667.17 करोड़ रुपए
निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के रूप में राशि का 2 प्रतिशत)।	:	गत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत अर्थात 13.34 करोड़ रुपए ।
वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर की राशि के व्यय का विवरण :		
(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	:	कुल 13.35 करोड़ रुपए व्यय किए गए जो पिछले तीन साल से ठीक पहले के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक है।
(ख) खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो।	:	शून्य
(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि को खर्च करने के तरीके।	:	**परिशिष्ट – I** के रूप में संलग्न।
यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को खर्च करने में नाकाम रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के लिए कारण देगी।	:	टीएचडीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर पर पूर्ववर्ती तीन साल के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक खर्च किया है।

सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर के उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है ।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	हस्ताक्षर (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियां

शिक्षा विकास (टीएचडीसी जागृति)

टीएचडीसी विद्यालय ऋषिकेश तथा टिहरी

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में टीएचडीसीआईएल जरूरतमंद बाहरी पणधारियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने तथा योगदान देने के लिए प्रयास करता है। टीएचडीसीआईएल दो विद्यालय चला रहा है, एक विद्यालय टीएचडीसी शिक्षा सोसायटी (टीईएस) (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी) के अधीन भागीरथीपुरम, टिहरी में है, जो छठी से बाहरवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रही है, दूसरा विद्यालय प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जो पहली से दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रही है। इस दोनों विद्यालयों में आसपास के क्षेत्र में पिछड़े तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।

स्कूल फर्नीचर का वितरण

विद्यालय के स्थायी भवन बने हुए हैं, जिनमें रोशनदानों की उपयुक्त व्यवस्था है और लंबे–चौड़े अध्ययन कक्ष हैं तथा इसमें भौतिक, रसायन शास्त्र तथा कम्प्यूटर की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान एवं व्यक्तित्व विकास में वृद्धि के लिए विविध आंतरिक प्रतियोगिताएं, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, जैसे योग, कविता वाचन, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकारी, इत्यादि नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। सैनिक विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय की पृष्ठभूमि वाले अनुभवी प्राचार्यों तथा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग के दल के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। समय–समय पर पाठ्योत्तर कार्यकलाप जैसे ग्रीष्म शिविर, भ्रमण दौरे, इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय उत्सवों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। टीईएस द्वारा उठाए गए कदमों से लाभदायक परिणाम प्राप्त हुए हैं। दोनों विद्यालयों में नाम लिखवाने वालों में तेजी से वृद्धि हुई है। अध्यापकों के कौशल में सुधार के लिए समय–समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाता है। दोनों विद्यालयों को चलाने में वर्ष 2015–16 में लगभग रू. 3.68 करोड़ खर्च किए गए। विद्यार्थियों को निशुल्क ड्रेस, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, बस की सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीब (बीपीएल) विद्यार्थियों को फीस में छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शत प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नैवेद्यम् (मध्याह्न भोजन) देना भी आंरभ किया गया है।

- **जूनियर हाई स्कूल, कोटेश्वरपुरम**

  केएचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए ओमकारानंद तथा सरस्वती पब्लिक विद्यालय, शिक्षा सोसायटी के माध्यम से सेवा–टीएचडीसी द्वारा कोटेश्वर, टिहरी में अंग्रेजी माध्यम का एक जूनियर हाई स्कूल चलाया जा रहा है। इस स्कूल में कुल 140 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। समुचित अर्हता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्यकलापों के बारे में सिखाया जा सके। वर्ष 2015–16 में इस स्कूल पर कुल खर्च रू. 21.42 लाख था।

- **टीएचडीसी इस्टीटयूट ऑफ हाईड्रो पावर तथा टेक्नोलॉजी**

  टीएचडीसीआईएल द्वारा सीएसआर कार्यक्रमों के अंतर्गत भागीरथीपुरम (टिहरी बांध और एचपीपी के पास), टिहरी में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया है ताकि कुशल जनशक्ति /तकनीकी स्नातकों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

  इस संस्थान में प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय, कैंटीन तथा लड़कों

तथा लड़कियों के लिए छात्रावास जैसी अत्याधुनिक और उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाएं विद्यमान हैं। इस कालेज में पांच विषयों अर्थात सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिानिक्स तथा संचार और कम्प्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।

यह संस्थान उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू), देहरादून का संघटक महाविद्यालय है। उत्तराखंड क्षेत्र में यूटीयू द्वारा दो और संघटक महाविद्यालय अर्थात चमोली जिले में गोपेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा पिथौरागढ़ में सीमंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी। टीएचडीसी इस्टीटयूट ऑफ हाईड्रो पावर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान, टिहरी महत्तर सुविधाओं, विद्वान प्राध्यापकों तथा इसकी अवसंरचना के कारण यूटीयू के अन्य संघटक कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। यह इंजीनियरिंग महाविद्यालय वर्ष 2011–12 से चल रहा है।

टीएचडीसी के वर्तमान में लड़कियों के दो छात्रावास हैं, जिनमें से लड़कियों का एक छात्रावास रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल) तथा टीएचडीसीआईएल से संयुक्त सीएसआर अंशदान के द्वारा वर्ष 2015–16 में पूरा हुआ था और इसका उद्घाटन टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और आरईसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से फरवरी, 2016 माह में किया गया।

उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, मुख्यतया राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, इत्यादि जिलों के आदिवासी इलाकों के विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है और वे उच्चतर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को भी उनके घरों के समीप इस संस्थान के खुलने से लाभ हो रहा है, परियोजना प्रभावित परिवारों के विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। टीएचडीसी–आईएचईटी की उपस्थिति से स्थानीय समुदाय के आमदनी के स्तर में वृद्धि हुई है। इसने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा किए हैं। जीविकोपार्जन के विभिन्न कार्यकलापों जैसे दुग्ध आपूर्ति, समाचार पत्र/पत्रिकाएं, किताबों की दुकान, फल एवं सब्जियां, दवाई की दुकान, कैंटीन, वस्त्र धुलाई, इत्यादि कामों में लगे स्थानीय समुदाय के लोग/विक्रेता इससे मुख्य रूप से लाभान्वित हुए हैं।

- **कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  शिक्षा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, सेवा–टीएचडीसी ने टिहरी, देहरादून और हरिद्वार जिलों में परियोजना प्रभावित तथा पुनर्वास क्षेत्र के विद्यार्थियों तथा बेरोजगार युवकों में कौशल विकास के लिए 18 कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए हैं। सभी केन्द्रों में छह महीने का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में 1300 से ज्यादा युवक और विद्यार्थी लाभान्वित हुए। ग्रामीण समुदाय के लोग जिन्हें कम्प्यूटर चलाने की जानकारी नहीं थी और जो कम्प्यूटर चलाने से हिचकते थे, उन्होंने अब कम्प्यूटर प्रचालन अर्थात एमएस वर्ड, एमएस एक्सल, एमएस पावर प्वाइंट तथा इंटरनेट, इत्यादि पर काम करने का कौशल और मूलभूत ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

- **विभिन्न सरकारी विद्यालयों में पुस्तकें, फर्नीचर तथा अन्य सामानों का वितरण**

  - बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल ने भिलंगना ब्लॉक के 12 सरकारी विद्यालयों में 350 फर्नीचर सैट (प्रति सैट तीन सीट) प्रदान किए हैं। प्रत्येक विद्यालय को फर्नीचर के 35 सैट प्रदान किए गए।
  - कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ग्राम –रौसल (भिलंगना), टिहरी को फर्नीचर के 28 सैट, डाइनिंग टेबिल के 04 सैट, 84 कम्बल, 02 कम्प्यूटर तथा 01 इनवर्टर प्रदान किए गए।
  - चोपड़ा गांव, टिहरी जिला के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार के 79 विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री, स्कूल यूनीफार्म, इत्यादि प्रदान किए गए।
  - परियोजना प्रभावित क्षेत्र के विद्यालयों तथा कार्यालयों में रोटेरी फाउण्डेशन के सहयोग से फर्नीचर के 300 सैट (03 सीट प्रति सैट) प्रदान किए गए।
  - चम्बा ब्लॉक, टिहरी जिले के 22 सरकारी विद्यालयों को 40 वाटर फिल्टर प्रदान किए।

स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा देखभाल (टीएचडीसी –निरामय)

- स्वामी नारायण मिशन सोसायटी, शीशमझाड़ी, मुनी की रेती, ऋषिकेश के माध्यम से पिछले चार वर्षों से मुनी–की–रेती (नरेन्द्र नगर), पोखरी में चार होमियोपैथिक औषधालय चलाए जा रहे हैं। प्रति होमियोपैथी औषधालय संचालन खर्च लगभग रू. 5.00 लाख प्रतिवर्ष है और प्रत्येक औशधालय से लगभग 1200 मरीज प्रतिमाह लाभान्वित हो रहे हैं। रिम के क्षेत्र के लगभग 20 गांव इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सभी औषधालयों में बीएचएमएस

वीपीएचईपी के परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

डिग्रीधारी अर्हता प्राप्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। स्थानीय जनता तथा जन प्रतिनिधि अर्थात् एमएलए/एमपी तथा ग्राम प्रधानों ने इन औषधालयों के कार्य की प्रशंसा की है।

- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों तथा पुनर्वास बस्तियों में निर्मल नेत्र संस्थान, ऋषिकेश के माध्यम से तीन बहुविशेषता चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए तथा टीएचडीसी अस्पताल टिहरी के माध्यम से एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सीय उपचार के लिए कुल 762 रोगी शिविर में आए। इनमें से 200 नाजुक रोगियों की मोतियाबिंद के लिए शल्य चिकित्सा की गई। रोगियों को निशुल्क उपचार तथा दवाएं उपलब्ध करायी गई।
- दीनगांव, प्रतापनगर, टिहरी में निशुल्क दवाई वितरण तथा एम्बुलैंस की सुविधा के साथ पैथोलॉजिकल टेस्ट, एक्स–रे, ईसीजी तथा लघु आपरेशन कक्ष की सुविधा के साथ एक 06 बिस्तरों का एलोपैथिक औषधालय बनाया गया है। जन समूह के नियमित स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए जून, 2014 से एमबीबीएस डॉक्टर, फार्मेसिस्ट, नर्स तथा चिकित्सा सहायक की टीम तैनात की गई है। इस औषधालय से लगभग 20 गांवों के निवासी मुख्य रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। औसतन 40 मरीज प्रतिदिन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श तथा निशुल्क दवाईयां ले रहे हैं।

स्वच्छ भारत अभियान

- सरकारी लक्ष्य के अनुसार "स्वच्छ विद्यालय अभियान" के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश राज्य के विभिन्न विद्यालयों में 1093 शौचालयों का निर्माण/मरम्मत का कार्य आंबटित किया था। टीएचडीसीआईएल ने समय पर लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल में कुल 1188 शौचालय (539 नए तथा 649 बेकार पड़े शौचालय) बनाकर विद्यालय प्राधिकारी को सौंप दिए हैं।
- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टीएचडीसी के कार्यालयों, परियोजना तथा कार्यालय क्षेत्र की बस्तियों, विद्यालयों, अस्पतालों, कार्यस्थलों, गलियों, सड़कों तथा बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्र में जन–जागरूकता तथा डोर–टू–डोर अभियान चलाया गया। आवश्यकता के अनुसार स्थानीय क्षेत्रों की सफाई की गई, कूड़ेदान बनवाए गए और उन्हें ऋषिकेश तथा नई टिहरी की नगरपालिका के परामर्श से निर्धारित स्थानों पर रखवाया गया। परिणामस्वरूप, अब स्थानीय क्षेत्रों का सारा कूड़ा करकट पहले कूड़ेदानों में एकत्र किया जाता है फिर इन्हें कूड़ा फेंकने के निर्धारित स्थानो पर डाल दिया जाता है।
- वित्त वर्ष 2015–16 में टिहरी जिले में प्रताप नगर ब्लॉक के दूर–दराज के इलाकों में 25 व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए। दीनगांव पंचायत के साथ एक सार्वजनिक बैठक के बाद गांव के अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए शौचालय बनाए गए थे। इन शौचालयों का लाभ प्राप्त करने वालें परिवारों ने पाया कि उनके परिवार के सदस्यों की बेहतरी, स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन के लिए शौचालयों का बनाया जाना सही दृष्टिकोण था। मुख्यतया महिलाओं ने उनकी प्राईवेसी बनाए रखने तथा उन्हें सुरक्षित तथा सम्मानीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए टीएचडीसीआईएल के प्रयत्नों की सराहना की।

ग्रामीण विकास (टीएचडीसी उत्थान)

- **एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के माध्यम से समग्र विकास कार्यक्रम**

  सेवा–टीएचडीसी तथा एचएनबी गढवाल विश्वविद्यालय समर्पित हैं और परियोजना प्रभावित क्षेत्र के 30 गांवों में सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण तथा रिम क्षेत्र के गांवों में ग्रामीण आधारित समग्र विकास पर कार्य कर रहे हैं। परियोजना के अविरल कार्यकलापों को एचएनबी द्वारा तैनात कर्मचारी देख रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत आंरभ किए गए मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- सीएसआर गतिविधियां करने के लिए साइट (जाखनीधार ब्लॉक के भौनियारा गांव) में परियोजना केन्द्र का परिचालन।
- कम्प्यूटर केन्द्र (2) तथा दर्जी व सिलाई केन्द्र (2) की स्थापना।
- 02 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए (597 लाभग्राही)।
- होटल प्रबंधन में व्यावसायिक प्रशिक्षण (10 विद्यार्थी)।
- लगभग 1000 किसानों को संकर बीजों का वितरण कर बेमौसमी सब्जियों को बढ़ावा देना।
- बागवानी – 10 गांवों में फलों के पौधों का वितरण।
- जागरूकता कार्यक्रम – सरकारी योजनाओं (अर्थात आरकेवीवाई, मनरेगा, इत्यादि) की और अभिमुखता के लिए 02 किसान गोष्ठियां तथा 02 ब्लॉक स्तर की बैठकें।
- कृषि आधारित नवीनतम तकनीकों की प्रोन्नति के लिए 30 किसानों से प्रदर्शन मुलाकात।

- **किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली के माध्यम से दीनगांव में पर्यावरणीय पुनर्स्थापन तथा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्रामीण समुदाय का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण**

  कंपनी किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर ब्लॉक में, उपली रमोली में, टिकाऊ आजीविका एवं संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों की पर्यावरणीय पुनःस्थापन और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2011 से एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के 10 दूरदराज के गांवों के ग्रामीण आधारित समग्र विकास के लिए यह एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। वित्त वर्ष 2015–16 में परियोजना के चौथे चरण के कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया है। दीनगांव केन्द्र में आरंभ की गई प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

  - सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए साइट (प्रतापनगर ब्लॉक के दीनगांव) में केन्द्र का परिचालन।
  - किशोर लड़कियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और उन्हें सेनेटरी नैपकिन का वितरण।
  - चार गांवों में स्वच्छता कार्यक्रम।
  - तीन योग शिविर।

टिहरी गढ़वाल में महिला सशक्तिकरण केंद्र

  - प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग कार्यक्रम।
  - आठ गांवों में फलों के 5000 पौधों का वितरण।
  - चारे की पौध – पशुचारा (नेपियर) घास का 04 गांवों में रोपण।
  - उत्पादकता में वृद्धि के लिए पोली हाउस (दो)।
  - बेमौसमी सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए संकर बीजों का वितरण।
  - किसान गोष्ठियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।
  - कृमि कम्पोस्ट खाद के गढ्ढ़ों का निर्माण (पांच प्रदर्शनार्थ)।
  - अचार, जूस बनाने तथा मधुमक्खी पालन के लिए कृषक स्वयं सहायता ग्रुपों (एफएसएचजी) को बढ़ावा देना तथा सुदृढ़ करना।
  - पीने के पानी की व्यवस्था (झरनों का प्रबंधन तथा वाटर फिल्टरों का वितरण)।
  - धूम्ररहित चूल्हों के वितरण के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।

- **टिहरी जिले के बांध प्रभावित क्षेत्र में एकीकृत खेती पद्धति के द्वारा आजीविका विकास कार्यक्रम**

  टिहरी जिले के बांध प्रभावित क्षेत्र में एकीकृत खेती पद्धति प्रणाली के माध्यम से आजीविका विकास कार्यक्रम की एक परियोजना का कार्य सेवा–टीएचडीसी ने फोरेस्ट्री कालेज, रानीचौरी, वीसीएसजी, उत्तराखंड बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय, भरसार, रानीचौरी को सौंपा है। यह परियोजना कृषि कार्यकलापों पर आधारित तीन वर्ष की एक दीर्घकालीन परियोजना है। इस परियोजना की गतिविधियां टिहरी जिले के 20 गांवों में दो समूहों में कार्यान्वित की

जायेंगी, एक कोटेश्वर परियोजना क्षेत्र में स्थापित की जा रही है और दूसरी टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक में स्थापित की जा रही है। 03 वर्षों की इस परियोजना का कुल बजट लगभग रू. 68.00 लाख है। इस परियोजना के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैः

- 20 एसएचजी का गठन और प्रत्येक एसएसजी को सहायता के रूप में रू. 20000/– प्रारम्भिक धन प्रदान करना।
- सामुदायिक पौध रोपण।
- पशुचारा (नेपियर) की 03 पौधशालाओं का विकास।
- फलों के पौधों का वितरण।
- किसानों को सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण।
- फोर्टिफाईड कम्पोस्ट और कृषि कम्पोस्ट के रूप में जैविक खाद प्रदान करना।
- ज्वार–बाजरा की खेती के लिए किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करा कर बीज प्रतिस्थापन कराना।
- विशिष्ट सब्जियों की पौधशालाओं के लिए 04 जगहों का विकास।
- प्रदर्षन तथा सरकारी योजना के लिए संरक्षित खेती संबंधी सहायक सामग्री (बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए चार पोली गृह) उपलब्ध कराया जाएगा।
- कृषि एवं बागवानी कार्यकलापों में सुधार के लिए प्रदर्शन दौरे तथा विशेषज्ञों के माध्यम से किसान गोष्ठियों का आयोजन।

- उन्नत कृषि पद्धतियों के लिए तकनीकी प्रदर्शन।
- सरकारी योजनाओं के साथ लिंकेज की सुविधा।
- कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए जैव कीटनाशी दवा प्रदान करना।
- फसल बीमा बैंकिग तथा लाइन डिपार्टमेंट सेवाओं (सरकारी योजनाओं के साथ विपणन लिंकेज) के लिए परस्पर संवादी मंच।
- **टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र, पथरी, हरिद्वार में ग्रामीण विकास के अंतर्गत कृषि विकास तथा आजीविका परियोजना।**

  पथरी पुनर्वास बस्ती में रहने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों के पास छोटे/अत्यन्त छोटे–छोटे खेत हैं, ऐसे विशाल क्षेत्र में खेती की मशीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सीएचसी क्षमता काफी विशाल है। कस्टम हायरिंग केन्द्र (सीएचसी) स्थापित करने के लिए उद्यमियों और कृषि स्नातकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक आर्थिक सहायता योजना भी बनाई गई है। अतएव, कृषि फार्म मशीनरी के महत्व तथा फार्म मशीनरी को लघु/अत्यंत लघु किसानों की पहुंच तक लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग, उत्तराखंड सरकार, हरिद्वार; सेवा–टीएचडीसी, ऋषिकेश तथा कृषकों का स्वयं सहायता ग्रुप आदर्श किसान कलब, भाग 3 तथा 4, पथरी (नाबार्ड में पंजीकृत) के सहयोग से राशि को क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में साझाकरण के लिए संयुक्त प्रयास किया गया था। सीएससी के अंतर्गत 20 किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, दो स्वयं सहायता ग्रुप तथा 50 अन्य परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के किसान सम्बद्ध है; जबकि डेयरी फार्म में एसएचजी के 10 महिला सदस्य सम्बद्ध हैं। सभी लाभग्राही विस्थापित गांव छाम, पथरी, भाग 3 तथा 4, हरिद्वार के हैं। लाभान्वित किसानों के पास 1 से 3 कि.मी. के क्षेत्र में जमीनें हैं।

सशक्तिकरण पहल (टीएचडीसी समर्थ)

- टिहरी तथा ऋषिकेश में सिलाई कार्य पर छह महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों में छह महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए छह प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर एवं गरीब तबकों के 250 परिवार लाभान्वित हुए।
- ऋषिकेश में छह महीने का सौन्दर्य प्रसाधक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गरीब तथा कमजोर तबकों के कुल 51 परिवारों ने इससे लाभ उठाया।
- ऋषिकेश में कागज के कैरी बैग बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आजीविका पैदा करना तथा कौशल विकास पहल (टीएचडीसी दक्ष)

- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के युवकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध नियोजन उपलब्ध कराने के लिए टीएचडीसीआईएल तथा आईएल एंड एफएस परस्पर एकजुट हुए हैं तथा परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए मांग संचालित लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण तथा नियोजन कार्यक्रमों के लिए आईएल एंड आईएफ ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस परियोजना के अंतर्गत परियोजना प्रभावित क्षेत्र के 100 से

अधिक शिक्षित युवकों को विभिन्न उद्योग आधारित कार्यक्रम जैसे होटल प्रबंधन, बीपीओ, अतिथि–सत्कार, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में विभिन्न होटलों तथा कंपनियों में लगभग 75 प्रतिशत युवकों को नौकरी पर लगाया गया है।

पर्यावरण संरक्षण पहल (टीएचडीसी प्रकृति)

- सेवा–टीएचडीसी के माध्यम से टिहरी जलाशय के रिम क्षेत्र में तथा परियोजना प्रभावित अन्य क्षेत्र/पुनर्वास बस्तियों में फलों तथा जड़ी–बूटियों की विविध किस्मों के कुल 15000 पौध लगाए गए।
- टीएचडीसीआईएल परिसर, ऋषिकेश में एलोवेरा, तुलसी, आंवला, इत्यादि जड़ी–बूटी पौधों की पौधशाला विकसित की गई। जरूरतमंद किसानों को पौधे मुफ्त में प्रदान किए गए।
- पौधरोपण के द्वारा बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए ऋषिकेश में पर्यावरण दिवस मनाया गया।

वित्त वर्ष 2015–16 की सीएसआर गतिविधियों का विवरण एवं व्यय

1	2	3	4	5	6	8
क्रम सं.	**सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**सैक्टर**	**स्थानीय क्षेत्र एवं जिला**	**अनुमोदित बजट (रू. लाख में)**	**खर्च की गई राशि (रू. लाख में)**	**व्यय की गई राशिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधी**
1	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि	स्वास्थ्य	उत्तराखंड़ एवं उत्तर प्रदेश	1334.00	556.94	सेवा–टीएचडीसी
2	शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कौशल आदि	शिक्षा	परियोजना प्रभावित क्षेत्र		564.34	सेवा–टीएचडीसी
3	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण			17.95	सेवा–टीएचडीसी
4	पर्यावरण सततता आदि	पर्यावरण			3.68	सेवा–टीएचडीसी
5	राष्ट्रीय विरासत कला संस्कृति को प्रोत्साहन	कल्याण			3.50	सेवा–टीएचडीसी
6	प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष/आपदा /विपत्ति	आपदा प्रबंधन			-	सेवा–टीएचडीसी
7	ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सामाजिक			165.39	सेवा–टीएचडीसी
8	निष्पादित करने वाली एजेंसी के कार्यालय पर व्यय (सेवा–टीएचडीसी)/ बेस लाईन सर्वे/ विषेशज्ञ निरीक्षण आदि				23.20	सेवा–टीएचडीसी
	कुल			**1334.00**	**1335.00**	

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

हमारे वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री आर.एस.टी.शाई ने 08.03.2007 को टीएचडीसी इंडिया लि. (टीएचडीसीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य भार संभाला था। इससे पूर्व आप मई, 2005 से टीएचडीसी में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे। इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री शाई इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सदस्य हैं। आपने आईआईएम, बंगलौर से प्रबंधन में डिप्लोमा किया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। आपको बैंकिंग, वित्त, वाणिज्यिक, ईपीसी संविदा और संविदा प्रबंधन का 36 वर्ष का व्यापक अनुभव है। आपने आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट के मूल्यांकन हेतु पारदर्शी निविदा प्रलेखन विकसित किया है तथा दिल्ली मेट्रो में परियोजना के शीघ्र पूरा होने के संबंध में बोनस संबंधी अभिनव प्रकिया भी प्रारंभ की थी। निदेशक (वित्त) के रूप में टीएचडीसी में कार्यभार संभालने के पहले श्री शाई ने क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, पावरग्रिड और दिल्ली मेट्रो में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इस समय वे यूजेवीएनएल में अशंकालिक निदेशक और आईआईटी, रुड़की के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं।

श्री दीपक सिंघल को 26 अगस्त, 2014 से टीएचडीसी इंडिया लि. में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आप 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आप उत्तर प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों जैसे– प्रबंध निदेशक, गढ़वाल मंडल विकास निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण में प्रशासक एवं उपाध्यक्ष, कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विशेष सचिव, इलाहाबाद राजस्व बोर्ड के सदस्य, तथा जुलाई, 1997 से अगस्त, 2000 तक बरेली प्रभाग के आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे।

आप फरवरी, 2005 से सितंबर, 2005 तक उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि. और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। आप भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग के संयुक्त सचिव थे। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव, सिंचाई के पद पर कार्यरत हैं।

श्री सुरेश कुमार शर्मा 01 जून, 2016 से टीएचडीसी इंडिया लि. के बोर्ड में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। आप उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहें। इस समय श्री शर्मा उ.प्र. सरकार विशेष सचिव (ऊर्जा) हैं।

श्रीमती अंजू भल्ला को 01 जुलाई 2015 से टीएचडीसी इंडिया लि. में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं। आपने 1990 में केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण किया था, और आप वाणिज्यिक उद्योग संस्कृति व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग में कार्य कर चुकी हैं। आपने मई, 2013 में विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया है। निदेशक (हाइडेल–।) के रूप में आप उत्तर–पूर्व क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की समस्याओं के समन्वयक तथा टीएचडीसी इंडिया लि. और नीपको की प्रशासनिक मुद्धों की प्रभारी थीं। आप मंत्रालय में निदेशक(ट्रांसमिशन) तथा निदेशक(नीति एवं नियोजन) की भी प्रभारी रह चुकी हैं। 14 जुलाई, 2015 को आपने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री डी.वी. सिंह ने दि. 12.05.2010 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व आप टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में बीमार और पटरी से उतर चुकी कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) को वापस पटरी पर लाने हेतु मार्च 2007 से मुख्य परियोजना अधिकारी (सीपीओ) का पद भार संभाल रहे थे। तीन वर्ष की अवधि में रिकॉर्ड प्रगति के साथ अत्यधिक मात्रा में सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल के विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया गया और परियोजना की दो इकाइयों से अप्रैल 2011 से उत्पादन आरम्भ हो गया। परियोजना ने त्वरित क्रियान्वयन एवं परियोजना प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार अर्जित किये हैं। श्री सिंह ने 1983 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला से ऑनर्स के साथ बी.एससी. इंजीनियरिंग (सिविल) की शिक्षा ग्रहण की है। जल विद्युत क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने के लिए श्री सिंह, कैलिफोर्निया (यूएसए) में "हाइड्रो विज़न–2008" पर आयोजित सेमिनार में सम्मिलित हुए तथा आपको मास्को विश्वविद्यालय, रूस के माध्यम से हाइड्रो प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट (एच.पी.आई.) मास्को द्वारा संचालित बांध तथा विद्युत गृह के सिविल कार्यों के डिजाइन में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। श्री सिंह के पास भूमिगत कार्यों, विद्युत गृह कार्यों, स्पिलवे, संविदा, सामग्री प्रबंधन, पुनर्वास तथा भारी सिविल भवन निर्माण में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आप पिछले 24 वर्षों से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। आपके टिहरी विद्युत गृह के प्रभारी इंजीनियर रहने की अवधि में टिहरी एच.पी.पी. (4 x 250 मेगावाट) की प्रत्येक 250 मे.वा.की इकाइयाँ चालू की गई थीं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने एल एंड टी के साथ कार्य करते हुए कोल हैंडलिंग प्रोजेक्ट, उर्वरक परियोजना तथा दिल्ली में बहुमंजिला भवन परियोजना पर कार्य किया। वर्ष 2012 में सिविल इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में आपके कार्य कौशल एवं कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना निष्पादन में आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए "इंस्टीट्यूशन्स ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)" के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में "इमिनेंट इंजीनियर" की उपाधि से विभूषित किया गया था। आपको "इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)" द्वारा "चार्टर्ड इंजीनियर" की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है।

श्री एस.के. बिस्वास ने 01.11.2012 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 32 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री बिस्वास ने 01.11.2007 को महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) के रूप में टीएचडीसीआईएल में कार्यभार संभाला था। इससे पूर्व आपने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों (पीएसयूएस) अर्थात सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में विभिन्न पदों पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। श्री बिस्वास साइंस स्ट्रीम में स्नातक हैं एवं एक्सआईएसएस से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर तथा हिमाचल विश्वविद्यालय से एलएलबी और इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से प्रशिक्षण और विकास में डिप्लोमा धारक हैं।

श्री श्रीधर पात्रा ने 02.08.2013 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला है। आपको सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों जैसे ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) में 29 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री पात्रा उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य के स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। आपने विद्यासागर विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (मानव संसाधन विकास) किया है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने व्यावसायिक रोजगार के अतिरिक्त एक शिक्षाविद के रूप में योगदान किया है।

श्री बची सिंह रावत की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्ति की गई है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक हैं। आप उत्तराखंड के अलमोड़ा चुनाव क्षेत्र से 04 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं ।

- आप विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय (1999–2004) में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे हैं ।
- आप केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री (अक्टूबर–नवम्बर 1999) भी रह चुके हैं ।
- आप भारत सरकार की विभिन्न समितियों जैसे रक्षा समिति एवं इसकी उप समिति, सदन में बैठने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति समिति तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं ।

श्री मोहन सिंह रावत की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्ति की गई है। आप मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। आपने 1978 में गावों के पूर्ण विकास के लिए 'गांव बसाओ' अभियान चलाया। 1996 में आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं तत्पश्चात विभागीय सचिव एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए। आपके द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए आपको गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने 2001 में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया।

आपको 1996 में पौड़ी विधानसभा से विधायक चुना गया तथा ग्राम पंचायती राज, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा मंत्री के रूप में नामित किया गया तथा जलागम प्रबंधन के केबिनेट मंत्री के रूप में भी चुना गया।

आपने कई कार्यशालाएं आयोजित कर मौसम परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए अभियान चलाया तथा वर्ष 2014 में भारत सरकार के राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रुप में कार्य किया ।

श्री महाराज के. पंडित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त किए गए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन विभाग में प्रोफेसर तथा माउंटेन एण्ड हिल डेवलपमेंट के अंतर कार्यक्षेत्र अध्ययन केन्द्र के निदेशक हैं ।

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी एवं पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में एक दशक से अनुसंधान अध्ययन करने के पश्चात वहीं प्रोफसर के पद पर कार्यरत हैं। आप सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययेता हैं जहां आप विश्वविद्यालय के अध्ययेता कार्यक्रम के विजिटिंग वरिष्ठ सदस्य के रुप में कार्यरत रहे हैं और भूगोल विभाग में अनुबद्व नियुक्ति पर हैं। आप 2014 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए भी चुने गए हैं ।

आप अपनी पुस्तक लाइफ इन द हिमालय के लिए अनुसंधानरत हैं जिसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित किए जाना है। आप जेपी एसोशिएट, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी, रिलायंस पावर इत्यादि के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अध्ययन और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के जैव विविधता अध्ययनों का एक हिस्सा बन चुके हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

पृष्ठभूमिः

बिजली किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता है। भारत में बढ़ती आबादी और औद्योगिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर विद्युत क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है । भारत सरकार ने 2018–19 तक सभी उपभोक्ताओं को अबाध विद्युत प्रदान करने एवं सभी के लिए 24 x 7 विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की है। 12वीं योजना के दौरान 88537 मेगावाट (जल विद्युत–10897 मेगावाट) क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जबकि, अभी भी वृद्धि लक्ष्य से पीछे है, परियोजनाओं के विरोध एवं विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने में देरी के कारण जल–विद्युत क्षेत्र की प्रगति धीमी है।

एक मिनी रत्न केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के रुप में कंपनी विद्युत परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति वचनबद्ध है जिसका उद्देश्य सरकार के लक्ष्यों को सुगम बनाना तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान करना है। कंपनी का फोकस सतत विकास पर है जैसा कि इसके अभिदृष्टि (विजन) कथन में कहा गया है ''पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय की ऊर्जा इकाई स्थापित करना''।

टीएचडीसीआईएल ने 50 मेगावाट पवन विद्युत सहित 1450 मेगावाट क्षमता संस्थापित की है। कंपनी की 6311 मेगावाट कुल परिकल्पित क्षमता की 17 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं ।

हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक बल दिया जा रहा है, जीवाश्म आधारित बिजली निकट भविष्य में प्रमुख स्रोत बने रहेंगे। इस दिशा में कंपनी ने उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट तथा विभिन्न परंपरागत/गैर परंपरागत और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए रणनीतिक व्यापारिक विविधीकरण योजना के रुप में कार्रवाई शुरु की है। दिनांक 31.03.2016 के अनुसार भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी सहभागिता 3:1 के अनुपात के साथ कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 4000 करोड़ रु. है और प्रदत्त पूंजी 3558.88 करोड़ रु. है ।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषणः

मजबूती और कमजोरी की तुलना में अवसर तथा कठिनाइयों का अध्ययन विश्लेषण द्वारा किया जाना है। टीएचडीसीआईएल का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण नीचे दिया गया हैः–

मजबूती

- **मजबूत तकनीकी कौशल आधार :**

  टीएचडीसीआईएल ने एशियाई क्षेत्र के सबसे ऊंचे तथा विश्व के पांचवे सबसे ऊंचे अर्थ और रॉकफिल बांध (260.5 मीटर ऊंचा) को शामिल कर तकनीकी रुप से चुनौतीपूर्ण टिहरी जल विद्युत परिसर (2400 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए मजबूत तकनीकी आधार प्राप्त किया है।

- **जटिल हिमालयन भूविज्ञान में भूमिगत कार्यों में इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशलः**

  टिहरी परियोजना में 27 सुरंगे हैं जिनका अधिकतम व्यास 11 मीटर तथा कुल लंबाई लगभग 18 कि.मी. है तथा 18 शाफ्ट हैं जिनका अधिकतम व्यास 12 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 220 मीटर है और कुल लंबाई लगभग 2. 27 कि.मी. है।

- **जल विद्युत उत्पादन संयंत्र के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े जटिल मुद्दों को संभालने की योग्यता :**

  टिहरी परियोजना में लगभग 15,000 परिवारों का सफल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) टिहरी बांध से गंगोत्री तक के जलागम क्षेत्र का उपचार तथा पारिस्थितिकीय सुधार के अतिरिक्त अन्य उपाय शामिल थे।

- **सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल :**

  कंपनी के पास मजबूत और सक्षम प्रबंधन टीम है तथा 826 कार्यपालकों, 104 पर्यवेक्षकों तथा 1057 कामगारों से युक्त सहायक स्टाफ की टीम है।

- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति**

  कंपनी, वित्तीय सुदृढ़ आधार के साथ वित्त वर्ष 2006–07 से लगातार मुनाफा कमा रही है।कंपनी की आरक्षित और

अधिशेष निधि ने पहले से प्रदत्त पूंजी को मात दे दी है भावी क्षमता विस्तार के लिए कंपनी को आर्थिक मजबूत स्थिति प्रदान की है।

(क) कमजोरियां :

- मुख्य रूप से राज्य विशिष्ट परियोजनाएं वर्तमान में जल विद्युत क्षेत्र केवल एक राज्य अर्थात उत्तराखंड तक ही सीमित है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां ।

(ख) अवसर :

- **भारत में अप्रयुक्त जल विद्युत संभाव्यता है:**

  जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभाव्यता है। जल–कोयला मिश्रण से अधिक आवश्यकता वाले समय में बिजली की कमी बढ़ने के कारण स्थिति बदतर हुई है जिससे नीति निर्माता जल संसाधनों पर अपना ध्यान देने तथा जल विद्युत विकसित करने के लिए बाध्य हुए हैं।

- **पड़ोसी देशों में जल विद्युत संभाव्यता:**

  भारत के बाहर विषेशकर नेपाल और भूटान जैसे क्षेत्र में व्यापार के विकास की संभाव्यता है जहां भारत सरकार द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती है।

- **अन्य परंपरागत/गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विविधीकरण के लिए संभावनाएं प्रदान करते हैं। जैसे –**

- **सौर ऊर्जा**

  देश में सौर ऊर्जा के विकास की भारी संभावनाएं हैं। भारत सरकार ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। गहन प्रतिस्पर्धा के कारण हाल ही में सौर उत्पादन संयंत्रों की पूंजीगत लागत में कमी आई है जिससे प्रचालकों को विशाल अवसर प्राप्त हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए टीएचडीसीआईएल ने 250 मेगावाट क्षमता तक की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए फरवरी, 2015 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से शुरू में 50 मेगावाट संचालित करने का प्रस्ताव है ।

- **पवन ऊर्जा**

  2022 तक भारत सरकार के 75 जीडब्ल्यू क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने पवन ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करके अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण भी किया है।

  पाटन पवन फार्म गुजरात में 29.06.2016 को 50 मे.वा. के पवन ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के साथ टीएचडीसी ने ग्रिड में 50 मे.वा. अक्षय ऊर्जा जोड़ दी।

- **परामर्श:**

  - कंपनी ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों/राज्यों/निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परामर्श/परियोजना कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने की अपनी विशेषज्ञता और कौशल का प्रयोग किया है।

चुनौतियां

- **अनुमति प्राप्त करने में समय लगना**

  पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के कठिन मानदंड और भारी प्रक्रिया होने के कारण परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है।

  पर्यावरण तथा धार्मिक आधार पर गैर–सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किए जाने के कारण परियोजना मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब होता है।

- **भूमि अधिग्रहण**

  अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल है और उसमें काफी समय लगता है।

- **भूवैज्ञानिक अनिश्चितताएं**

  विषेशकर तरूण हिमालय क्षेत्र में भूवैज्ञानिक विषमताओं से समय और लागत में काफी बढ़ोत्तरी हो जाती है।

- **प्राकृतिक आपदाएं**

  चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए भू–स्खलन, पर्वतीय ढलानों के ढहने और सड़कें अवरुद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा समय और लागत बढ़ जाती है।

- **विनियामक जोखिम**

  इस बात की पूरी संभावना रहती है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में प्रशुल्क के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करते हुए लागत आधारित प्रशुल्क से प्रतिस्पर्धात्मक प्रशुल्क में स्विच कर दें । टैरिफ विनियमों में आगे और परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह प्रचालन परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। वर्ष 2015 से लागू टैरिफ नीति में वितरण संस्थाओं द्वारा प्रतिस्पर्धी आधार पर बिजली खरीदने की अनुमति है। इस प्रकार, कंपनी वर्तमान टैरिफ विनियम के तहत किए गए संरक्षण से वंचित हो जाएगी।

  जल विद्युत तथा पंप भंडारण परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण लाभ अधिक आवश्यकता वाले समय (पीकिंग पावर) में बिजली उपलब्ध करवाने तथा सिस्टम को आनुषंगिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की उनकी क्षमता है। वर्तमान मूल्य निर्धारण व्यवस्था में इन लाभों को भलीभांति मान्यता प्राप्त नहीं है विशेषकर इसलिए कि वितरकों को सेवा की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन बहुत कम है।

भावी दृष्टिकोणः

क्षमता वृद्धि

मानव की समृद्धि का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज सामना की जा रही ऊर्जा संबंधी चुनौतियों को हम कितनी सफलतापूर्वक सुलझाते हैं। कंपनी का भावी दृष्टिकोण सतत विकास पर केन्द्रित है जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है:

- पर्यावरण की रक्षा करने तथा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हरित, नवीकरणीय विद्युत का उत्पादन ;
- मांग में कमी लाने के लिए ऊर्जा का कार्यकुशल ढंग से प्रयोग; और
- कार्यकुशल, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयोग (नवाचार) ।

  परियोजनाओं के विकास के विभिन्न चरणों पर विचार करते हुए 12वीं योजना में कंपनी का संभावित अंशदान 24 मे.वा. (24 मे.वा. ढुकवां एसएचपी) होगा।

  कंपनी स्वयं या राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रमों/भारत और विदेश स्थित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों तथा संगठनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों/देशों में जल संसाधनों के विकास में अपनी क्षमता को प्रयोग में लाने का प्रयास करेगी।

  कंपनी, कोयला तथा नवीकरणीय अर्थात सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अन्य संसाधनों को प्रयोग में लाना चाहती है। कंपनी अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/जल विद्युत विकास के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए विकासकर्ताओं (डेवलपरों) को सर्वेक्षण और अन्वेषण, योजना और विकास परियोजना प्रबंधन तथा प्रचालन और अनुरक्षण में परामर्श देना चाहती है।

क. ऊर्जा संरक्षण के उपाय

आपकी कंपनी द्वारा बिजली के प्रभावी उपयोग के द्वारा मांग कम करने के लिए उपाय किए गए हैं। संयंत्र क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के अध्ययन करने के लिए कंपनी ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली को कार्य दिया है। आवासीय और कार्यालय परिसर की ऊर्जा लेखापरीक्षा मैसर्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोशिएसन के माध्यम से कराई गई थी। ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- सभी हॉस्टल और अतिथि गृहों में सोलर वॉटर हीटर स्थापित किए गए हैं।
- ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए लगभग 231 पुराने एसी नए स्टार रेटेड एसी से बदल दिए गए है।
- ऊर्जा बचाने के लिए परंपरागत स्ट्रीट लाइट्स ऊर्जा कुशल दूधिया लाइट के साथ प्रतिस्थापित की जा रही हैं।
- पहले चरण में छत के पुराने पंखे पांच सितारा रेटेड छत के पंखों से प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं।
- नए बुनियादी ढांचे में दूधिया एलईडी लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी चरणबद्ध तरीके से एलईडी ट्यूब के साथ प्रतिस्थापित की जा रही है।
- ऋषिकेश परिसर में सड़क प्रकाश आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 किलोवाट का सौर स्टैंडअलोन विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
- एलपीजी गैस बचाने के लिए गैस का उत्पादन करने हेतु कार्बनिक अपशिष्ट उपयोग किया जाता है।
- टाउनशिप, ऋषिकेश के लिए 500 केएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र की योजना बनाई गई है जो बागवानी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीवेज जल के उपचार में सक्षम है ।

ख. उन्नत प्रौद्योगिकी आमेलन, अंगीकार और नवाचार

- **टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी**

  टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के विद्युत यांत्रिक उपकरणों की उपलब्धता, विश्वसनीयता और मशीनों के जीवन, स्थिति की निगरानी और जांच मैसर्स केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर द्वारा वर्ष 2015–16 में की गई थी। कंडीशन प्रबोधन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निगरानी, परीक्षण तथा विश्लेषण के जरिए संरचना संयंत्र तथा मशीनरी में ह्रास या दोषपूर्ण क्रियाशीलता, टूट व फूट के प्रारंभिक लक्षणों को दर्शाने के उद्देश्य के साथ प्रचालन स्थिति में मशीनरी की हालत का जायजा लिया जाता है। मैसर्स सीपीआरआई के निष्कर्ष को भी कार्यान्वित किया गया है।

- **गुणवत्ता एश्योरेंस तथा निरीक्षण संबंधी कार्यकलापों के लिए वेब आधारित सिस्टम साफ्टवेयर, 'गुणवत्ता' का विकास**

  ''गुणवत्ता'' साफ्टवेयर को क्यू ए एंड आई संबंधित कार्यकलापों के ऑन–लाइन प्रबंधन हेतु विकसित किया गया है। यह वैंडर और ग्राहकों के मध्य आनलाइन इंटर फेंसिग के माध्यम से गुणवत्ता प्रक्रिया निष्पादन का औजार है। इसकी विशेषताएं निम्नवत हैं:–

  - संविदा का पंजीकरण तथा कार्य पूर्ण हो जाने के बाद संविदा का समापन।
  - उप ठेकेदार अनुमोदन प्रक्रिया ऑन–लाइन की जा सकती है।
  - अनुमोदित दस्तावेजों को विश्वभर में ऑन–लाइन देखा जा सकता है।
  - निरीक्षित मात्रा, जारी की गई एमडीसीसी मात्रा पर निगरानी।

  सभी मॉड्यूल श्रेणीबद्ध है जैसे उपवेंडर के अनुमोदन के बिना मुख्य ठेकेदार गुणवत्ता योजना प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, बिना डिजाइन/ड्राईंग/डाटाशीट के अनुमोदन से गुणवत्ता योजना को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, बिना डिजाइन/ड्राईंग/डाटाशीट तथा गुणवत्ता योजना के अनुमोदन से निरीक्षण के लिए नहीं बुलाया जा सकता

है। कुल निरीक्षित मदें तथा एमडीसीसी संस्तुत मदें संविदा के अनुसार एलओए मात्रा से अधिक नहीं हो सकती है।

- **कोटेश्वर में बस रिएक्टर का प्रतिस्थापन**

  टिहरी क्षेत्र में संचारण प्रणाली को बारंबार उच्च वोल्टता का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण टिहरी तथा कोटेश्वर यूनिटों में ब्रेक डाउन हो रहा था। उच्च वोल्टता की समस्या को समाप्त करने की दृष्टि से यह सहमति हुई थी कि कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन (केपीएस–पीजीसीआईएल) में स्थान समस्या के कारण कोटेश्वर स्विच यार्ड में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा।

  कोटेश्वर स्विच यार्ड में पावर ग्रिड द्वारा बस रिएक्टर संस्थापित किया गया है। इस प्रणाली से उच्च वोल्टता समस्या से छुटकारा मिलेगा तथा ग्रिड स्थिरता के साथ यूनिटों का विश्वसनीय प्रचालन सुनिश्चित होगा।

- **ओपीजीडब्ल्यू (आपटिकल ग्राऊंड वायर) नेटवर्क के जरिए विद्युत केंद्रों के उत्पादन डाटा का पारेषण**

  कोटेश्वर में पावर ग्रिड द्वारा संस्थापित पीएलसीसी उपस्कर के जरिए कोटेश्वर एचईपी से एनआरएलडीसी को डाटा संचारण में अक्सर रूकावट आती थी। ग्रिड कोड तथा माननीय सीईआरसी के आदेशों के अनुपालन में पावर ग्रिड ने टिहरी तथा कोटेश्वर परियोजनाओं में हमारे उपस्कर के सम्मुख ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क बिछाया है। इलेक्ट्रिीसिटी नेटवर्क ऑपोलॉजी पर आधारित ब्रॉड बैंड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क विकसित किया गया है। विश्वसनीय डाटा संचारण के लिए टेलीकॉम नेटवर्क हेतु अति उच्च उपलब्धता संचारण प्रणाली पर टेलीकॉम नेटवर्क सुनिश्चत करता है।

टिहरी में जनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए ऑन लाइन ड्राई आऊट यूनिटों का संस्थापन

जनरेटर ट्रांसफार्मरों के सेवाकाल के दौरान उन पर उच्च आर्द्रता जैसी वातावरणीय स्थितियों का दुष्प्रभाव पड़ता है जिससे ऑयल पेपर इन्सूलेशन के भीतर बाहरी पर्यावरण से नमी चली जाती है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया था कि जीटी नंबर 1 की बीडीवी गिरकर 45 केवी हो गई थी जब मशीन अपने वार्षिक अनुरक्षण के दौरान 24 दिन तक बंद रही थी। इसे बाद में ट्रांसफार्मर को शुरू करने से पूर्व 3 दिन तक तेल डाल डाल कर सुधारा गया था। आन–लाइन ड्राई आउट यूनिट के प्रयोग द्वारा जीटी ऑयल की नमी में महत्वपूर्ण गिरावट आई है तथा उपस्कर की जरूरत तथा निष्पत्ति के आधार पर इसी तरह की प्रणाली को टिहरी एचपीपी की सभी यूनिटों में संस्थापित किया गया है। यह भी योजना है कि कोटेश्वर में इसी प्रकार की प्रणाली संस्थापित की जाए।

- **टिहरी एचपीपी के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क**

  इस प्रणाली से जलाशय से जल को नियंत्रित रूप से छोड़ने के लिए अग्रिम निर्णय लिया जा सकेगा ताकि संभावित बाढ़ को जलाशय में अवशोषित करने के लिए पर्याप्त स्थान सृजित किया जा सके और डाउनस्ट्रीम में रहने वाली जनसंख्या को अग्रिम चेतावनी दी जा सके।

- अग्रिम पूर्व चेतावनी प्रणाली : इस प्रणाली में बड़ी संख्या में बांध के डाउनस्ट्रीम में सायरन/स्पीकर समाविष्ट हैं जिनको कंट्रोल रूम से सक्रिय करके जल की निर्मुक्ति के बारे में सूचना/चेतावनी समय पर दी जा सके तथा प्रभावी रूप से डाउनस्ट्रीम में रह रही जनसंख्या के बीच प्रसारित किया जा सके।

टिहरी पीएसपीः वीएसआई एक्साइटेशन प्रणाली–ए टेक्नोलॉजी अहेडः

टिहरी पम्प स्टोरेज संयंत्र के मोटर जनरेटर की एक्साइटेशन सिस्टम के लिए अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स इनवर्टर टैक्नोलॉजी (वीसीआई) लगाई गई है। इस वीएसआई का डिजाइन अधिक कुशल सिद्ध हुआ है, इसमें उच्च विश्वसनीयता है तथा यह तीव्रतम गतिक अनुक्रिया करता है। वोल्टता सोर्स इनवर्टर (वीसीआई) मेगावाट रेंज में विकसित किया गया है जिसमें इंस्यूलेटेड गेट बाई पोलर ट्रांजिस्टर (आईजीवीटी) सेमी कंडक्टर स्विच लगे हैं। यह इनवर्टर टेक्नोलॉजी मीडियम वोल्टता ग्रिड में अतुल्यकालिक मशीन भरण करके स्लिप विद्युत उत्पादन में निम्न क्षति बहाली को सक्षम बनाती है।

रॉक फॉल प्रोटेक्शन बैरियर्सः

रॉक फॉल प्रोटेक्शन बैरियर्स का डिजाइन टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया तथा इसे बाद में श्री माता वैष्णो देवी, कटरा की पवित्र गुफा के रास्ते के साथ–साथ श्री माता स्राइन बोर्ड के लिए सफलतापूर्वक संस्थापित किया गया है। यह प्रणाली संतोषजनक रूप में कार्य कर रही है तथा हिमालय क्षेत्र में यह अपनी किस्म की पहली प्रणाली है। नम्य रॉक फॉल

प्रोटेशन बैरियर चट्टानों द्वारा ऊर्जा अवशोषण की विशिष्टता के कारण अपने आप उनके गिरने से ऊर्जा प्रभाव को आदर्श रूप में अवशोषित करते हैं तथा चट्टान को और आगे खिसकने से सफलतापूर्वक रोकते हैं।

रॉक फॉल वैरियर का डिजाइन, विन्यास तथा एंकरिंग सरल संस्थापन सुनिश्चित करता है, यह भी ध्यान में रखना होता है कि इस प्रकार के संस्थापन अधिकतर अति विकट, गहराई तथा दूरस्थ तराइयों में ही संस्थापित किए जाने चाहिए।

ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ लाख में)

	विवरण	2015-16	2014-15
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नगद आधार पर)**		
	यात्रा	27	27
	परामर्श एवं पेशेवर व्यय	249	253
	प्रबंधन/प्रतिबद्धता शुल्क	308	257
	ऋण एवं ब्याज की अदायगी	0	0
	वस्तुओं का आयात	8781	17319
	अन्य(अग्रिम)	0	4
	कॉफेंस के लिए नामांकन		
	सॉफ़्टवेयर खरीद		
	अन्य	3746	1271
	कुल	**13111**	**19131**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नगद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य**		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	8809	17336
	ii) पुर्जे		
	कुल	**8809**	**17336**
ग	**खपत किए गए भागों, स्टोर्स एवं पुर्जों का मूल्य**		
	i) आयातित (रू. लाख में)	50	60
	(%)	6	11
	ii) स्वदेशी (रू. लाख में)	749	568
	(%)	94	89
घ	**निर्यात का मूल्य**	**0.00**	**0.00**

अनुलग्नक– V

टीएचडीसीआईएल व्यापार दायित्व रिपोर्ट 2015–16

खंड–क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचनाएं

1. **कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)** : यू45203यूआर1988जीओआई009822
2. **कंपनी का नाम** : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
3. **पंजीकृत पता** : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
4. **वेबसाइट** : www.thdc.co.in
5. **ई मेल आई डी** : cmd@thdc.co.in
6. **जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है** : 2015–16
7. **जिस सेक्टर/जिन सेक्टर के साथ कंपनी जुड़ी हुई है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार)** : विद्युत

*समूह	वर्ग	उप–वर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्गीकरण के अनुसार

8. **उन तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र में दिए गए अनुसार)**

i. जल विद्युत

ii. पवन विद्युत

iii. अभियांत्रिकी परामर्श

9. **उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं**

i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या–1 (बुनाखा एचईपी (182 मे.वा.), भूटान)

ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या–19

क्रम सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजनाएं/गतिविधि
1.	कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश	देहरादून	उत्तराखंड	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाएं
2.	एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	खुरजा एसटीपीपी (1320मेवा) तथा विद्युत मंत्रालय के साथ संपर्क

क्रम सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजनाएं/ गतिविधि
3.	पंजीकृत कार्यालय, भागीरथीपुरम	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	टिहरी एचपीपी (1000 मेवा) तथा, टिहरी पीएसपी (1000 मेवा) तथा कोटेश्वर एचईपी (400 मेवा)
4.	परियोजना कार्यालय, कोटेश्वर पुरम	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	कोटेश्वर एचईपी (400 मेवा)
5.	न्यू परियोजना कार्यालय, न्यू टिहरी शहर (एनटीटी)	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	नई परियोजनाएं– झेलम तमक एचईपी (108 मेवा), मलारी झेलम एचईपी (65 मेवा), करमोली एचईपी (140 मेवा), जडगंगा एचईपी (50 मेवा), बोकांग बेलिंग एचईपी (330 मेवा) तथा गोहाना तल एचईपी (50 मेवा)
6.	परियोजना कार्यालय, अलकनंदा पुरम	चमोली	उत्तराखंड	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मेवा)
7.	संपर्क कार्यालय, देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड	राज्य सरकार के साथ संपर्क एवं आर एंड आर संबंधी कार्य
8.	परियोजना कार्यालय, खुर्जा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेवा)
9.	परियोजना कार्यालय, जोशीमठ	चमोली	उत्तराखंड	मलारी झेलम एचईपी (65 मेवा) झेलम तमक एचईपी (108 मेवा)
10.	परियोजना कार्यालय, धारचुला	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	बोकांग बेलिंग एचईपी (330 मेवा)
11.	संपर्क कार्यालय, पंचकुला	पंचकुला	हरियाणा	चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के साथ संपर्क
12.	परियोजना कार्यालय, पुणे	पूणे	महाराष्ट्र	मलशेज घाट पीएसएस (700 मेवा.) तथा हुम्बर्ली पीएसएस (400 मेवा.)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजनाएं /गतिविधि
13.	परियोजना कार्यालय, नवी मुंबई	नवी मुंबई	महाराष्ट्र	मलशेज घाट पीएसएस (700 मेवा) तथा हुम्बर्ली पीएसएस (400 मेवा)
14.	संपर्क कार्यालय, नैनीताल	नैनीताल	उत्तराखंड	माननीय उच्च न्यायलय, उत्तराखंड में न्यायिक मामले
15.	संपर्क कार्यालय, लखनऊ	लखनउ	उत्तर प्रदेश	ढुकवां एसएचपी (24 मेवा) तथा उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क
16.	परियोजना कार्यालय,बबीना	झांसी	उत्तर प्रदेश	ढुकवां एसएचपी (24 मेवा)
17.	परियोजना कार्यालय, राधनपुर	पाटन	गुजरात	पवन विद्युत परियोजना (50 मेवा)
18.	ट्रांज़िट कैंप, एनबीसीसी टॉवर	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मंत्रालय से संपर्क तथा पाटन विंड पावर परियोजना (50 मेवा)
19.	परामर्शी कार्यालय, कटरा	रियासी	जम्मू–कश्मीर	कटरा तथा वैष्णो देवी के बीच ढाल स्थिरीकरण के लिए परामर्श

10. कंपनी की सेवा प्राप्त करने वाले बाजारः

टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराता है।

i) उत्तराखंड
ii) उत्तर प्रदेश
iii) हरियाणा
iv) पंजाब
v) हिमाचल प्रदेश
vi) जम्मू और कश्मीर
vii) राजस्थान
viii) दिल्ली
ix) चंडीगढ़
x) गुजरात

खंड खः कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. प्रदत्त पूंजी : 3558.88 करोड़
2. कुल कारोबार (सकल आय) : 2479.65 करोड़
3. करोपरांत कुल लाभ (पीएटी) : 809.02 करोड़
4. **करोपरांत लाभ (%) के प्रतिशत के रुप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्चः** कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में लिया जाता है। तदनुसार, वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर बजट 13.34 करोड़ रू. है। वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर पर वास्तव में किया गया व्यय 13.35 करोड़ रू. है।
5. **उन गतिविधियों की सूची जिनके लिए उपरोक्त के संदर्भ में व्यय किया गया है:**

   कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान मोटे तौर पर निम्नलिखित मुख्य शीर्षों पर सीएसआर व्यय किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप है :

   - स्वास्थ्य और स्वच्छता
   - शैक्षिक विकास एवं रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कौशल
   - महिला सशक्तिकरण
   - पर्यावरण स्थिरता
   - राष्ट्रीय विरासत कला संस्कृति को बढ़ावा देना
   - ग्रामीण विकास कार्यक्रम
   - निष्पादन करने वाली एजेंसी सेवा–टीएचडीसी/बेस लाईन सर्वेक्षण/विशेषज्ञ विजिट आदि के लिए कार्यालयीन खर्च

खंड गः अन्य ब्यौरे

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियां हैं ?**

   नहीं
2. **क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बी आर पहलों में भाग लेती है/लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी/कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें**

   लागू नहीं
3. **क्या कोई अन्य इकाई/इकाईयां (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी के बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई/इकाईयों के प्रतिशत का उल्लेख करें (30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)**

   नहीं

खंड घः बी आर संबंधी सूचना

1. **बी आर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकगण**

   क) बी आर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौराः

   - डी आई एन नं. – 00171920
   - नाम – श्री आर.एस.टी. शाई
   - पदनाम – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बीआर शीर्ष का ब्यौरा

1. बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशकगण

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक / निदेशक गण
सिद्धांत 1 (पी 1)	व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ चलाए जाएं	• आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कारपोरेट आचार नीति • व्यापारिक आचार और नैतिक संहिता • सचेतक नीति • सत्यनिष्ठा समझौता	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 2 (पी 2)	व्यापारों द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन काल के दौरान सततता में योगदान करें ।	सुरक्षा नीति, सीएसआर और सततता नीति ओएचएसएएस 18001:2007	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी 3)	व्यापार द्वारा सभी कर्मचारियों के हित को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए	मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी 4)	व्यापारों द्वारा सभी हितधारियों विशेषकर वंचित, कमजोर तथा सीमांत हितधारियों के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	आर एंड आर नीति विजन एवं मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी 5)	व्यापारों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।	विजन, मिशन और मूल्य	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी 6)	व्यापारों द्वारा पर्यावरण का सम्मान और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	पर्यावरण नीति आईएसओ 140001–2004 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति/नीतियां	उत्तरदायी निदेशक/ निदेशक गण
सिद्धांत 7 (पी 7)	व्यापारों में जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों तो उन्हें उत्तरदायी रीति से यह कार्य करना चाहिए।	कोर वैल्यू	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी 8)	व्यापार जगत द्वारा समावेशी विकास तथा समता मूलक विकास का समर्थन किया जाना चाहिए	सीएसआर और सततता नीति, सीएसआर संचार रणनीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी 9)	व्यापार जगत को अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहना चाहिए तथा उन्हें अपने ग्राहकों को उत्तरदायी रुप में महत्व देना चाहिए	उपभोक्ता प्रति–पुष्टि (फीडबैक) तंत्र	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)

सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या......................... के लिए आपकी कोई नीति/नीतियां है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
2.	क्या संगत हितधारियों से परामर्श करने के उपरांत नीति तैयार की गई है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
3.	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप हैं ? यदि हां तो स्पष्ट करें–	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
4.	(i) क्या नीति को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
	(ii) यदि हां, तो क्या प्रबंध निदेशक/ मालिक/सीईओ /यथोचित बोर्ड निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए है ?	नहीं	नहीं			नहीं				नहीं

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी में बोर्ड/निदेशक/ कार्मिकों की विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
6.	नीति (पालिसी) को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें*	*	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	-
7.	क्या सभी संगत आंतरिक और बाहरी हितधारियों को नीति के बारे में औपचारिक रुप से सूचित किया जा चुका है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-
8.	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक ढांचा है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-
9.	क्या नीति/ नीतियों से जुड़ी हितधारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी की नीति/ नीतियों से जुड़ा कोई शिकायत निवारण तंत्र है ।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से इस नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाया है।	हां	हां	हां	हां		हां	हां	हां	-

***पर्यावरण नीति पर उपलब्ध है:**

http://thdc.co.in/English/Scripts/Environment_Policy.aspx

• पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

http://thdc.co.in/writereaddata/English/PDF/NEW_R&R_%20POLICY_OF_%20THDC.pdf

• सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है :

http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/CSR-CD-policy28.05.13.pdf

• टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है :

http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/CSR_CommuStrategy.pdf

कारपोरेट आचार संहिता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है :

http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/corporteETHICSPolicy.pdf

सचेतक नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

सचेतक नीति के लाभग्राही केवल कंपनी के कर्मचारी है। इसलिए सचेतक नीति केवल इंट्रानेट अर्थात कर्मचारियों के लॉग–इन पर उपलब्ध है।

व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार सहिता निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/BusinessConductandEthics.pdf

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/R&D_Policy-Publish.pdf

सुरक्षा नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है

http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/safetymanual.pdf

2. यदि किसी सिद्धांत के लिए क्र.सं. 1 का उत्तर ''नहीं'' है तो कृपया कारण बताएं (दो विकल्पों पर (✓) का निशान लगाएं)।

सिद्धांत 9: टीएचडीसीआईएल द्वारा सिद्धांत–9 के अंतर्गत चिन्हित सभी बातों का अपनी वाणिज्यिक प्रक्रिया के माध्यम से पालन किया जाता है। तथापि, टीएचडीसीआईएल महसूस करती है कि निम्नलिखित कारणों से सिद्धांत 9 पर अलग नीति की आवश्यकता नहीं है:

टीएचडीसीआईएल बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वाले ग्राहकों अर्थात राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत आपूर्ति करती है। इनमें से अधिकांश कंपनियां संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं,

- विद्युत का आबंटन विद्युत मंत्रालय द्वारा निश्चित नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है।
- विद्युत प्रशुल्क (पावर टैरिफ) का निर्धारण सभी हितधारियों को शामिल कर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीआरईसी) द्वारा किया जाता है।
- यदि कोई मुद्दा हो तो उस पर क्षेत्रीय समितियों जैसे सामान्य मंच पर चर्चा कर उसका समाधान किया जाता है जिनमें ग्राहकों के संगठन और उत्पादक सदस्य होते हैं
- ग्राहकों की जरुरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए उनसे (लाभग्राहियों से) अलग से फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

3. बीआर से संबंधित सुशासन

- जिस अंतराल पर निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियां या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंपनी के बी आर निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं, उसका उल्लेख करें :–

छमाही

- क्या कंपनी बीआर या सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? कितने समय के अंतराल पर इसका प्रकाशन किया जाता है?

  हां । टीएचडीसीआईएल वर्ष 2008–09 से हर वर्ष सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। टीएचडीसीआईएल की सततता रिपोर्ट http://thdc.co.in पर उपलब्ध हैं:

खंड ङ: सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी ही आती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों पर लागू है?

कारपोरेट सुशासन में कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके

अंशधारकों और हितधारियों के बीच संबंधों का समुच्च्य शामिल होता है। जिसमें कारपोरेट निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। कारपोरेट सुशासन के संबंध में टीएचडीसीआईएल के दर्शन की बुनियाद निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी सुशासन पद्धतियों की समृद्ध विरासत पर रखी गई है।

टीएचडीसीआईएल ने कंपनी अधिनियम/डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत कारपोरेट सुशासन की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। सुशासन में कंपनी के सभी कार्मिकों की जवाबदेही शामिल होती है तथा यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमादित की गई कंपनी की नीतियों पर आधारित होता है। इन नीतियों में उल्लिखित सिद्धांतों को दिशानिर्देशों और आचार संहिता के माध्यम से परिभाषित किया जाता है।

आचार नीति, सचेतक नीति, कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम तथा कामगारों के लिए स्थायी आदेश पहले ही प्रचलन में है जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिम को कम करना है।

जल विद्युत क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण में कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल होती है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अवार्ड किए गए सभी प्रमुख कार्य अनुबंधों (1000.0 मिलियन से अधिक अनुमानित लागत) तथा आपूर्ति और सेवा कार्यों (500.00 मिलियन से अधिक अनुमानित लागत) के लिए अनिवार्य रूप में सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि प्रापण (खरीददारी) और संविदा प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके और उसे सुदृढ़ किया जा सके।

इस प्रकार यह नीति ठेकेदारों पर भी लागू होती है।

2. गत वित्त वर्ष के दौरान हितधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है तथा प्रबंधन द्वारा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है? यदि हां तो 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

पूर्ववर्ती वर्ष की कोई बकाया शिकायत नहीं है। दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के बीच सचेतक नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धांत 2

1. अपने 03 उत्पादों या सेवाओं की सूची उपलब्ध करवाएं जिनकी डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता जोखिम और/या अवसर उपस्थित हुए हैं।

सभी विद्युत उत्पादन पद्धतियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जल विद्युत क्षेत्र में होने के कारण प्रभाव न्यूनतम है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत हैं। कंपनी, संव्यवहार अपने प्रचालनों का प्रभाव सीमित करने के लिए पर्यावरण का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करती है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। पर्यावरण में उत्सर्जन में कमी लाना (विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसें), मृदा और जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय जैव विविधता संरक्षण, परिवेश के साथ सुविधाओं का समेकन, स्रोत पर कमी लाना, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण आदि ऐसे प्रयास हैं जो पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने वाले सभी पक्षों पर लागू होते हैं।

जिन निर्माण परियोजनाओं से जैव भौतिक और मानवीय पर्यावरण प्रभावित होने की संभावना होती है उनके लिए पर्यावरण प्रभाव अध्ययन किया जाता है। उपशमन, प्रतिपूर्ति और अनुसरण से जुड़े उपाय भी विकसित किए जाते हैं। टीएचडीसीआईएल अपनी कार्रवाई कारगर के सुनिश्चित करने के लिए ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों पर निर्भर करता है। टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचईपी, टिहरी पीएसपी तथा विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी नामक चार परियोजनाओं के लिए आईएसओ 14001:2004 (ईएमएस) प्राप्त किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष मानीटरिंग भी लागू की गई है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। उत्पाद की प्रति ईकाई (वैकल्पिक):

क. पिछले वर्ष की तुलना में पूरी वैल्यू चेन के दौरान स्रोत/उत्पादन/वितरण में प्राप्त की गई कमी कितनी है?

ख. पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा प्रयोग में की गई कमी क्या है?

टीएचडीसीआईएल जल विद्युत और पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा कर रही है। जल विद्युत परियोजनाएं जल की खपत किए बिना इसका उपयोग कर बिजली उत्पादन करती है और इस जल को पीने और सिंचाई के प्रयोजन से छोड़ दिया जाता है। पवन विद्युत केवल पवन की गति का प्रयोग करके उत्यादित की जाती है और संसाधन में कोई खपत/कमी नहीं आती।

3. क्या सतत स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कोई प्रणाली है ?

क. यदि हां, तो आपके आदान का कितना प्रतिशत दीर्घकालिक रूप से प्राप्त (सोर्स) किया गया ? साथ ही लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

बिजली के उत्पादन के लिए प्रयुक्त जल तथा पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयुक्त पवन की गति, दोनों में संसाधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और इस उत्पादन प्रक्रिया में इसकी मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है।

4. क्या कार्यस्थल के आस–पास स्थित समुदाय के लोगों सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी ने कोई कदम उठाएं हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता बढ़ाने लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

माल की खरीददारी ई–टेंडर के जरिए की जाती है । व्यापक प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों में एनआईटी भी प्रकाशित की जाती हैं । सभी टेंडर सभी वेंडरों के लिए खोले जाते हैं जिनमें स्थानीय वेंडर भी शामिल होते हैं।

स्थानीय/छोटे वेंडरों/ठेकेदारों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

- ई–टेंडरिंग में स्थानीय/छोटे वेंडरों को ई–टेंडरिंग के प्रति संवेदनशील किया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल द्वारा खोले गए ''सुविधा केंद्रों'' के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पंजीकरण एवं टेंडर अपलोड करने के लिए विक्रेताओं की सहायता की जाती है।
- 2.0 करोड़ रू. तक के मूल्य के टेंडर स्थानीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। 2.0 करोड़ रू. से अधिक मूल्य के टेंडर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं ताकि उनमें अधिक से अधिक स्थानीय और लघु उत्पादक भाग ले सकें।
- टाउनशिप के अवसंरचनात्मक/अनुरक्षण कार्यों से संबंधित छोटे कार्य स्थानीय ठेकेदारों को अवार्ड किए जाते हैं।
- परियोजनाओं/व्यापारिक संस्थापनाओं के लिए वाहन किराए पर लेना, कार्यालय परिसर की सफाई, बागवानी कार्य जैसी सेवाएं स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों के माध्यम से कराए जाते हैं।
- विशेषज्ञता कार्य में जुटे प्रमुख ठेकेदारों को स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
- सुक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रमों से प्रापण को बढ़ावा देने के क्रम में टेंडर की लागत एवं ईएमडी के भुगतान से छूट भी दी जाती है।
- एक अलग एमएसएमई कॉर्नर वेबसाइट में प्रदान किया गया है, जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरा अपलोड किया जा रहा है। इस एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

5. क्या उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र कंपनी के पास है। यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का प्रतिशत क्या है (अलग–अलग <5 प्रतिशत, 5–10 प्रतिशत, >10 प्रतिशत) लगभग 50 शब्दों में उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

हमारे उत्पाद अर्थात बिजली की पूरी की पूरी खपत हो जाती है और इसलिए पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) की कोई गुंजाइश नहीं है। ई–अपशिष्ट का निपटान सरकार द्वारा अनुमोदित पक्षों के माध्यम से किया जाता है।

टीएचडीसीएल द्वारा नगर क्षेत्र, कैंटीन की ठोस छीजन एवं बागवानी छीजन के उत्पादक प्रयोग के लिए ऋषिकेश

टाउनशिप में बायो गैस संयंत्र की भी स्थापना की गई है। संयंत्र की क्षमता 500 किलोग्राम प्रतिदिन है। संयंत्र से उत्पादित बायो गैस का प्रयोग कैंटीन अतिथि गृह की रसोई में तापीय अनुप्रयोग के लिए जबकि खाद का प्रयोग इन हाउस बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाता है। टीएचडीसीआईएल के ऋषिकेश नगर क्षेत्र से मलजल के उपचार हेतु मलजल उपचार संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

सिद्धांत 3

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं:**

   1990 (31.03.2016 के अनुसार)

2. **कृपया अस्थायी/संविदा/ तथा आकस्मिक आधार पर मेहनताने के एवज में रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं**

   कंपनी मेहनताने के एवज में अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करती। तथापि, कंपनी के बिजनेस माड्यूल में विभिन्न क्रियाकलापों जैसे निर्माण, उत्थापन, विशेषज्ञतायुक्त परामर्शी सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है जिससे बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। केवल 02 डाक्टर संविदागत आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें**

   121 (31.03.2016 के अनुसार)

4. **कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें**

   32 (31.03.2016 तक की स्थिति के अनुसार)

5. **क्या आपकी कंपनी में ऐसी कोई कर्मचारी एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की हो।**

   टीएचडीसीआईएल में निम्नलिखित कर्मचारी एसोसिएशन हैं जिन्हें प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की है:

   टीएचडीसी आफीसर्स एसोसिएशन

   - टीएचडीसी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन
   - टीएचडीसी सुपरवाइजर एसोसिएशन
   - टीएचडीसी चालक/हेल्पर कर्मचारी यूनियन
   - टीएचडीसी कामगार यूनियन
   - टीएचडीसी श्रमिक संघ
   - टीएचडीसी वर्कर्स यूनियन
   - टीएचडीसी आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ
   - टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ
   - टीएचडीसी कर्मचारी यूनियन

6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं?**

   वर्तमान में 1736 (87.23 प्रतिशत) स्थायी कर्मचारी इन एसोसिएशनों/यूनियनों के सदस्य हैं।

7. **कृपया पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, बेगार, यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की संख्या तथा वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।**

क्र.सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की सं.	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.
1.	बाल श्रम/ बेगार/ अनिच्छापूर्वक किया गया श्रम	शून्य	लागू नहीं
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	लागू नहीं
3.	रोजगार में भेदभाव	शून्य	लागू नहीं

8. आपके निम्नलिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को गत वर्ष सुरक्षा और कौशल सुधार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ?– 2015–16

	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या		प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत	
	सुरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल उन्नयन	सुरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल उन्नयन
स्थायी कर्मचारी (कुल सं. 1990)	244	111	12.26%	5.58%
स्थायी महिला कर्मचारी (कुल सं. 121)	28	8	23.14%	6.61%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी (कुल सं. 2 डाक्टर)	-	-	-	-
विकलांग कर्मचारी (कुल सं. 32)	6	1	18.75%	3.13%

सिद्धांत 4

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाहरी हितधारियों की गणना की है?**

   हां

2. **क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित कमजोर और सीमांत हितधारियों की पहचान की है?**

   हां

3. **क्या वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों को नियुक्त करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।**

   कंपनी, वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों के उत्थान के लिए तत्पर रहती है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व–सहायता समूह के गठन तथा रिवाल्विंग फंड प्रदान करने के रूप में दी गई सतत सहायता और समर्थन के कारण उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ है। उनके लिए स्वास्थ्य जागरुकता और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं।

सिद्धांत 5

1. **क्या मानव अधिकार से संबंधित कंपनी की नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह / संयुक्त उपक्रमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकार संगठनों / अन्यों पर भी लागू है?**

   टीएचडीसीआईएल की सभी कार्मिक नीतियां ईकाइयों, कार्यालयों और परियोजनाओं में तैनात इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। कंपनी द्वारा एवार्ड किए गए ठेकों में मानवाधिकार से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं तथा विभिन्न श्रम कानूनों तथा देश के कानूनों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

2. **पिछले वित्त वर्ष के दौरान हितधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रुप से किया गया?**

   वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत सहित मानवाधिकार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर–सरकारी संगठनों / अन्यों पर भी लागू है।**

टीएचडीसीआईएल की पर्यावरण नीति इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। ठेकों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े खंड हैं ताकि हमारे ठेकेदार, शिकमी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और परामर्शदाता उनकी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने पर पर्याप्त ध्यान दे सकें।

कर्मचारियों के लिए सततता विकास जागरूकता पर आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी ने कोई रणनीति तैयार की है / पहलें की हैं, यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें**

हां, टीएडीसीआईएल पर्यावरण नीति का वेब लिंक हैं–http://www.thdc.gov.in/english/scripts/environment_ policy.aspx

3. **क्या कंपनी पर्यावरण जोखिम से जुड़े बड़े खतरों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां / नहीं**

हां। परियोजना की तैयारी के स्तर पर विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन किया जाता है और पर्यावरण योजना तैयार की जाती है जिसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है। उत्तराखंड में निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट) के लिए प्रयासों की समीक्षा एवं सर्वोत्तम पद्धति अपनाने के लिए विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय पैनल गठित किया गया है। इस जानकारी को अन्य परियोजनाओं में भी लागू किया जा रहा है।

4. **क्या कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म से जुड़ी कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध कनवाएं। साथ ही यदि हां तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

वर्तमान में कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म एकजीक्यूटिव बोर्ड के साथ पंजीकृत कोई परियोजना नहीं है।

5- **क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा कार्यकुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कुछ अन्य पहलें शुरु की हैं। हां / नहीं। यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

कंपनी जल विद्युत उत्पादन करती है जो अपने आप में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। तथापि, कंपनी, ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे लघु जल विद्युत, पवन विद्युत एवं सौर विद्युत में पहल कर रही है ।ढुकवां, उत्तर प्रदेश में 24 मे.वा. की लघु जल विद्युत परियोजना की फरवरी, 2018 में चालू होने का कार्यक्रम है। जून, 2016 में गुजरात के पाटन में 50 मे.वा. की क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजना शुरू हो गई है। एसईसीआई लिमिटेड के सहयोग से केरल में 50 मे.वा. की सौर विद्युत परियोजना के स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टीएचडीसीआईएल परिसर में छत के ऊपर 300 कि. वाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना की प्रक्रिया केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से शुरू की गई है जो ऐसी परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय की नोडल एजेंसी है, उत्तर प्रदेश में अपने ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना में हेडरेस एवं टेलरेस चैनलों के ऊपर 6.5 मे.वा. की सौर विद्युत परियोजना की स्थापना की योजना भी बना रहा है।

6. **क्या आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कपंनी द्वारा किया गया उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्धारित सीमा के भीतर है?**

हां

7. **वित्त वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त लंबित कारण बताओ / कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किए गए थे)**

शून्य

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापारिक संबंध है।**

   क. आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए)

   ख. स्टैंडिंग कांफ्रेस आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (स्कोप)

2. **क्या आपने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से लोक हित को आगे बढ़ाने या उसमें सुधार लाने**

का समर्थन किया है? हां/नहीं, यदि हां तो प्रमुख क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करें (ड्राप बाक्सः सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा सतत व्यापारिक सिद्धांत अन्य)

जिम्मेदार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते टीएचडीसीआईएल, देश के कानूनों, नियमों, विनियमों और सार्वजनिक नीतियों का अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। समिति अपनी नीतियां तैयार करते समय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतियां और दिशानिर्देशों तथा सांविधिक निर्देशों को ध्यान में रखती है।

जब कभी भी मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों में समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय को मत/सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वह उन पर विचार कर सके। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए मत/सुझाव कंपनी या समाज के किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख कर न तैयार किए गए हों बल्कि समग्र जनता और संपूर्ण देश के व्यापक लाभ के लिए तैयार किए गए हों।

सिद्धांत 8

1. **क्या सिद्धांत 8 से जुड़ी नीति के बारे में कंपनी के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/ परियोजनाएं हैं ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।**

प्रारंभ अर्थात वर्ष 2009 से ही टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम का केंद्र बिंदु लक्षित समुदायों के विकास पर रहा जो स्वयं बृहद परिप्रेक्ष्य में समान विकास का द्योतक है। तदनुसार 3 प्रमुख दीर्घावधि परियोजनाएं बनाई गई तथा उन्हें टिहरी परियोजना प्रस्तावित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये निम्नवत हैंः–

(क) एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के माध्यम से समन्वित विकास दृष्टिकोण द्वारा प्रताप नगर ब्लॉक में टिहरी बांध जलाशय के चारों ओर के क्षेत्र के 30 गांवों की जीविका का सशक्तिकरण एवं संवर्धन।

(ख) किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से टिहरी गढ़वाल के उपरी रमोली प्रताप नगर ब्लॉक के 10 गांवों में सतत जीविका एवं संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों का परिस्थिति की पुनःस्थापना एवं सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण।

(ग) प्रोजेक्ट डायरेक्ट्रेट फॉर फार्मिंग सिस्टम अनुसंधान (पीडीएफएसआर) द्वारा कृषि प्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से 20 गांवों में जीविका सुरक्षा कार्यक्रम जो अब 2015–16 से जिला टिहरी गढ़वाल के कोटेश्वर क्षेत्र भिलांगना ब्लाक में 20 विभिन्न गांवों वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली होर्टिकल्चर एंड फोरेस्टरी यूनिवर्सिटी के अधीन कॉलेज ऑफ फोरेस्टरी, रानीचौरी के माध्यम से किया जाना जारी है।

2. **क्या संचालित किए गए कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/अपने प्रतिष्ठान/बाहरी गैर–सरकारी संगठन/सरकारी संस्था/किसी अन्य संगठन द्वारा भी किए जाते हैं?**

कंपनी की लगभग सभी सीएसआर परियोजनाएं कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर–सरकारी संगठनों, सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) द्वारा निष्पादित की जाती हैं।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आंकलन किया है?**

सीएसआर परियोजनाओं के मापदंड का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/प्रभाव निर्धारण प्रतिष्ठित संगठन जैसे टाटा इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस), मुंबई यूनिवर्सिटी जो इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर (आईआईसीए) आदि के साथ पंजीकृत संगठन है के माध्यम से किया जा रहा है। वित वर्ष 2014–15 तक पूरी हुई परियोजनाओं की लेखा परीक्षा की लागत 5.00 लाख रू. से अधिक है, जो पूरी हो चुकी है तथा वित वर्ष 2015–16 के दौरान पूरी हुई परियोजनाओं की लेखा परीक्षा प्रगति पर है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीएसआर लिंक के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट www.thdc.co.in पर अपलोड कर दी गई है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है–भारतीय रुपये में खर्च की गई राशि तथा संचालित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?**

टीएचडीसीआईएल अधिकांशतः अपनी सभी सीएसआर परियोजनाएं कंपनी प्रायोजित सेवा टीएचडीसी एवं टीईएस

टीएचडीसीआईएल जैसे प्रायोजित गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित करता है। सीएसआर परियोजनाओं के अपने अधिकारियों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा सीएसआर परियोजनाओं की परियोजना कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग में टीएचडीसीआईएल की प्रभावी भागीदारी है। इसके अतिरिक्त हमारे प्राधिकारी भी समय–समय पर सामुदायिक विकास परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं तथा हितधारियों से सीधे फीडबैक प्राप्त करते हैं जिससे परियोजना में मूल्य अभिवृद्धि में सहायता मिलती है। नोडल अधिकारी/महाप्रबंधक(एस एंड ई) बोर्ड स्तर से नीचे की समिति/बोर्ड स्तर की समिति द्वारा सभी सीएसआर परियोजनाओं की आवधिक मानीटरिंग की जाती है।

टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए सीएसआर कार्यों का शीर्ष–वार ब्यौरा निम्नानुसार है –

क्रम सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि	सैक्टर	स्थानीय क्षेत्र एवं जिला	अनुमोदित बजट (रू. लाख में)	खर्च की गई राशि (रू. लाख में)	व्यय की गई राशिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधी
1	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि	स्वास्थ्य	उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश	1334.00	556.94	सेवा–टीएचडीसी
2	शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए कौशल आदि	शिक्षा	परियोजना प्रभावित क्षेत्र		564.34	सेवा–टीएचडीसी तथा टीईएस
3	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण			17.95	सेवा–टीएचडीसी
4	पर्यावरण सततता आदि	पर्यावरण			3.68	सेवा–टीएचडीसी
5	राष्ट्रीय विरासत कला संस्कृति	कल्याण			3.50	सेवा–टीएचडीसी
6	ग्रामीण विकास कार्यक्रम	ग्रामीण विकास			165.39	सेवा–टीएचडीसी
7	कार्यकारी एजेंसी के कार्यालय पर व्यय (सेवा–टीएचडीसी)/ बेस लाईन सर्वे/ विशेषज्ञ निरीक्षण आदि	प्रशासनिक व्यय			23.20	सेवा–टीएचडीसी
	जोड़			1334.00	1335.00	

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए है कि समुदाय के लोगों ने सामुदायिक विकास से जुड़ी पहल को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

हां। टीएचडीसीआईएल का केंद्र बिंदु लाभग्राहियों की प्रभावी भागीदारी पर रहता है ताकि उनमें भी स्वामित्व की भावना आ सके तथा वे परियोजना को पूरा होने के बाद भी गतिविधियों के स्तर में वृद्धि कर सके। यह उनके गत वर्षों की मूल्यांकन/प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों में भी इंगित किया गया है। प्रत्येक वर्ष संचार नीति के अनुपालन के बाद हितधारियों की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाएं बनाई जाती हैं। कुछ सामाजिक आर्थिक गतिविधियां किसान स्वयं सहायता समूहों (एफएसएचजीएस) के जरिए में बीज के लिए राशि की सहायता देकर कार्यान्वित की जाती है जो अन्य एफएसएचडीसी में आवश्यकता के आधार पर घूमती है। यह देखने में आया है कि कुछ एफएसएचडीएस में बचत की आदत विकसित हो गई है तथा वे अच्छा कार्य कर रहे हैं।

सामुदायिक भागीदारी का अन्य उदाहरण हरिद्वार जिले में पथरी पुनर्वास क्षेत्र में लघु/सीमांत किसानों को 17.5 लाख रू. के खेती संयंत्रों की पूलिंग के लिए ''आदर्श किसान क्लब'' सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस क्लब के लागत की 40% राशि उत्तराखंड राज्य कृषि विभाग एवं 40% राशि टीएचडीसीआईएल द्वारा सहायता के रूप में तथा शेष राशि किसानों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। संयंत्रों की पूलिंग सफलता पूर्वक कार्य कर रही है तथा ओ एंड एम प्रयोजनों के संयंत्र को किराए पर देने के लिए उचित राशि ली जाती है। परियोजना की सफलता अन्य किसानों को ऐसा ही अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

सिद्धांत 9

1. वित्त वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं ?

समीक्षा अवधि के दौरान कोई ग्राहक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों द्वारा दिए गए अधिदेश के अतिरिक्त उत्पाद लेबल पर उत्पाद संबंधी सूचनाओं का प्रदर्शन करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचनाएं)

अंतिम उत्पाद विद्युत होने के कारण उत्पाद लेबलिंग लागू नहीं है। टिहरी एचपीपी तथा कोटेश्वर एचईपी के संयंत्र प्रचालन के दौरान किए जा रहे सुरक्षा उपायों का विवरण निम्न प्रकार हैं–

अलार्म सिस्टमः निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान करने के लिए टिहरी तथा कोटेश्वर दोनों परियोजनाओं में अलार्म सिस्टम लगाया गया है जिन्हें विद्युत संयंत्र की मशीनों को शुरु करने या बाढ़ के दौरान पानी छोड़ने के लिए स्पिलवे का प्रचालन करने से पूर्व बजाया जाता है।

टिहरी में मशीनों के प्रचालन के दौरानः टर्बाइन शुरु करने से 15 मिनट पूर्व, बांध के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थापित किए गए सीआईएसएफ नियंत्रण कक्ष तथा विद्युत संयंत्र की मुख्य सुरंग के आउटलेट को सूचना दी जाती है ताकि वे लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाएं। जब एक से अधिक टर्बाइन शुरु की जानी हो तो प्रत्येक मशीन 15–15 मिनट के अंतराल पर शुरु की जाती है।

कोटेश्वर में मशीनों के प्रचालन के दौरानः यदि चार इकाईयों में से पहली इकाई शुरु की जाती है तो इकाई शुरु की जाने से 15 मिनट पहले सायरन बजाया जाता है और उसके बाद 5–5 मिनट के अंतराल पर इसका प्रचालन दोहराया जाता है।

यदि कोई इकाई शुरु की जा चुकी हो और दूसरी इकाई शुरु की जाती है तो इसके शुरु होने से 5 मिनट पूर्व सायरन एक बार बजाया जाता है। जब एक से अधिक मशीनें शुरु की जानी हों तो प्रत्येक दूसरी मशीन 15 मिनट के अंतराल पर शुरु की जाती है।

टिहरी में स्पिलवेज के प्रचालन के दौरानः स्पिलवेज का प्रचालन शुरु करने से पूर्व नदी के आस–पास स्थित निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया जाता है। जब कभी स्पिलवेज के जरिए पानी छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है तो बांध के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान करने तथा उन्हें चेतावनी देने के लिए घोषणा की जाती है।

कोटेश्वर एचईपी में स्पिलवेज के प्रचालन के दौरानः स्पिलवेज रेडियल गेटों के प्रचालन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि लगातार एक मिनट तक सायरन बजाया जाए तथा 5–5 मिनट के अंतराल पर तीन बार दोहराया जाए। जब कभी स्पिलेज के जरिए पानी छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है तो बांध के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सचेत करने तथा उन्हें चेतावनी देने के लिए घोषणा की जाती है। स्पिलवेज का प्रचालन करते समय पानी छोड़ने में हर प्रकार की सावधानी बरती जाती है। स्पिलवे गेट धीरे–धीरे, बारी–बारी से खोले जाते हैं और एक बार में एक ही गेट लगभग 100 मि.मी. खोला जाता है ताकि निचले क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना न घटे।

टिहरी बांध जलाशय के लिए वास्तविक समय अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणालीः वास्तविक समय अंतर्वाह पूर्नानुमान प्रणाली में ग्यारह (11) स्वचालित मौसम केंद्र तथा टिहरी परियोजना में टिहरी जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र एवं एक केंद्रीय भू केंद्र में स्थापित 4 जी एवं डी केंद्र शामिल हैं। प्रणाली मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान के वास्तविक समय के आंकड़ों के अवलोकन के लिए समर्थ होगी तथा यह टिहरी जलाशय के अंतर्वाह के पूर्वानुमान के आंकड़ों को पुनःसंसाधित करने के लिए टिहरी में स्थापित भू केंद्र को संचारित करती है। प्रणाली की संस्थापना जून, 2016 में की गई तथा यह संभावना है कि गणित मॉडल के अधिप्रमाणन के पश्चात टीएचडीसी करीब 90% यर्थाथता पर 15–16 घंटे लीड समय के साथ अंतर्वाह का पुर्वानुमान लग सकेगा।

टिहरी/कोटेश्वर बांध के अनुप्रवाह में अग्रिम पूर्व चेतावनी प्रणालीः टिहरी एवं कोटेश्वर बांध से जल छोडने के बारे में ऋषिकेश तक की अनुप्रवाह आबादी हेतु आपदा शमन एवं प्रबंधन केंद्र (डीएमएमसी) उत्तराखंड़ सरकार देहरादून के माध्यम से अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस प्रणाली में कोटेश्वर बांध एवं त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश के मध्य 8 केंद्रों में सायरन एवं स्पीकरों की स्थापना तथा 2 नियंत्रण कक्षों, एक कोटेश्वर परियोजना तथा अन्य डीएमएमसी, देहरादून की स्थापना शामिल है। प्रणाली की स्थापना का कार्य जून, 2016 में अवार्ड कर दिया गया है।

3. **क्या किसी हितधारी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक परिपाटी, गैर जिम्मेदराना विज्ञापन और या प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए कोई मामला दायर किया गया है तथा ऐसा मामला वित्त वर्ष के अंत में लंबित हैं। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।**

कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

4. **क्या आपकी कंपनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि का रुझान देखती है।**

चूंकि, बिजली डिस्कॉम को बेची जानी है, वे टीएचडीसीआईएल के लिए ग्राहकों के साथ उपभोक्ता हैं?

उपभोक्ता सर्वेक्षण किए जाते हैं तथा 5 प्वाइंट स्केल पर उपभोक्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्राप्त प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया जाता है सभी लाभग्रहियों ने टीएचडीसी इंडिया लि. द्वारा 2015–16 की अवधि के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपनी–अपनी प्रतिक्रिया में 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी है।

फार्म नं. एमआर–3
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम, 2014 (नियुक्ति और कार्मिक पारिश्रमिक) के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल, टिहरी–249001

मैंने मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') सीआईएन नं. यू45203यूआर1988जीओआई009822 के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी सुशासन पद्धतियों के पालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी सहभागिता के साथ गैर–सूचीबद्ध भारत सरकार का उपक्रम है। सचिवालयी लेखा परीक्षा ऐसी रीति से की गई जिसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त करने का आधार प्रदान किया।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा दायर की गई विवरणी और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के वास्तविक सत्यापन और सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके कार्यालयों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाओं तथा अनुपालन तंत्र है जो नीचे दी गई रिपोर्टिंग की सीमा, रीति के अनुसार और इसके अध्यधीन है।

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बहियों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मो तथा दायर विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच पड़ताल की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं वाहय वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम

(iii) अन्य लागू नियम, यथाः

1. भारतीय बिजली अधिनियम, 2003
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1981
4. आयकर अधिनियम, 1961
5. सेवा कर अधिनियम, 1994
6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
7. औद्योगिक और श्रम कानून जिसमें शामिल हैंः–

   क) ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

   ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

   ग) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

   घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

   ई) कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

   च) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

   छ) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

   मैने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों की लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर ऊपर दिए गए विषयों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियम, विनियम, निर्देश, मानक आदि का पालन किया है :

1. दिसंबर, 2015 तक बोर्ड की संरचना में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थीं।
2. जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2015–16 के दौरान केवल एक लेखा परीक्षा समिति बैठक हुई थी।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

वित्त वर्ष के अंत में कंपनी का निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों एवं अन्य निदेशकों सहित कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशकों से मिलकर बना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान की गई निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां की समुचित सूचना सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थीं तथा बैठक से पहले एवं बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची पर जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने लिए एक प्रणाली विद्यमान है ।

बहुमत के फैसले लेते समय असहमत सदस्यों के विचारों को संभाल कर रखा जाता है तथा इन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है ।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर सुरक्षित कॉरपोरेट बॉन्ड जारी कर 2500 करोड़ रूपए का ऋण लेने का निर्णय लिया। यह ऋण, बोर्ड की ऋण लेने की शक्तियों के दायरे में है।

(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2016

यह रिपोर्ट हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

178 आरपीएस फ्लैट, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली–110017
मोबाईल : 919816010286 फोन : 011–26018714
ई मेल : pendyala50@yahoo.com

पी.एस.आर. मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचित
सीपी 13090

अनुलग्नक–क

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल–249001

इसी तारीख की मेरी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए ।

1. सचिवालयी रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी इन सचिवालयी रिकॉर्ड पर मेरी लेखा–परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. मैंने ऐसी लेखा–परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवालयी रिकॉर्ड की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवालयी रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं या नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं मेरी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. मैंने कंपनी के खातों के वित्तीय रिकॉर्ड और बहियों की सत्यता तथा औचित्य सत्यापित नहीं किए हैं।
4. जहां कहीं आवश्यक था, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटने के बारे में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही प्रभावोत्पादकता एवं प्रभावशीलता के बारे में, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2016

178 आरपीएस फ्लैट, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली–110017
मोबाईल : 919816010286 फोन : 011–26018714
ई मेल : pendyala50@yahoo.com

प्रपत्र सं.एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च,2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

i. सीआईएन	:	U45203UR1988GOI009822
ii. पंजीकरण की तिथि	:	12 जुलाई,1988
iii. कंपनी का नाम	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
iv. कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	:	सरकारी कंपनी
v. पंजीकृत कार्यालय का पता	:	भगीरथी भवन, टॉप टेरस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड (249001)
vi. संपर्क ब्यौरे	:	कंपनी सचिव, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, गंगा भवन, ऋषिकेश–249201 फोन– 0135–2439309
vii. क्या सूचीबद्ध कंपनी है	:	नहीं

II. कंपनी का मुख्य व्यवसाय गतिविधियां :

कंपनी के कुल टर्नओवर 10 प्रतिशत या उससे अधिक के योगदान का समस्त व्यवसाय निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	विद्युत उत्पादन	4001	100%

III. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		
	मूल	कुल	कुल शेयरों का %	मूल	कुल	कुल शेयरों का %
क. प्रमोटर्स						
(1) भारतीय						
क) व्यक्तिगत	10	10		10	10	
ख) केंद्र सरकार	25939417	25939417	73.5	26239417	26239417	73.73
ग) राज्य सरकार (रें)	9349400	9349400	26.49	9349400	9349400	26.27
उप– जोड़	35288817	35288817	100%	35588817	35588817	100%
(क) (1) :–						
(2) विदेशी						
क) अनिवासी–भारतीय व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय निगम						
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) अन्य कोई						
उप– योग						
(क) (2):–	**35288817**	**35288817**	**100%**	**35588817**	**35588817**	**100%**
प्रमोटर के कुल शेयर होल्डिंग						
(क)त्र (क)(1). (क) (2)						

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		
	मूल	कुल	कुल शेयरों का %	मूल	कुल	कुल शेयरों का %
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग						
(1) संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) म्युचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) वेंचर केपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) एफआईआईएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) विदेशी वेंचर केपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
(ख)(1) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(2) गैर संस्थाएं						
क) निकाय निगम						
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यक्तिगत						

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		
	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %
i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. तक नाम मात्र शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. से अधिक नाम मात्र की शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (उल्लेख करें)						
उप–योग						
(ख) (2):–.						
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
(ख)=(ख) (1)+(ख)(2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
ग. अभिरक्षक द्वारा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए धारित शेयर्स		**शून्य**			**शून्य**	
कुल योग (क+ख+ग)		**35288817**			**35588817**	

(ii) प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/ गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/ गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	25939417	73.51	शून्य	26239417	73.73	शून्य	%
2	उत्तर प्रदेश सरकार	9349400	26.49	शून्य	9349400	26.27	शून्य	-
	कुल	**35288817**	**100**	**-**	**35588817**	**100**	**-**	

(iii) प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
1.	भारत के राष्ट्रपति	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
क	वर्ष के प्रारंभ में	25939417	73.51%	25939417	
क	23 मई, 2015 को आबंटित शेयरों की संख्या	50000		25989417	
	22 जुलाई, 2015 को आबंटित शेयरों की संख्या	168235		26157652	
	18 सितंबर, 2015 को आबंटित शेयरों की संख्या	81765		26239417	
ग	वर्ष के अंत में (क+ख)=ग	26239417	73.73	26239417	73.73%
2)	**उत्तर प्रदेश के राज्यपाल**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349400	26.92%	9349400	26.92%
ख	कोई आबंटन/अंतरण नहीं	शून्य			
ग	वर्ष के अंत में (क+ख)= ग	9349400	26.27%	9349400	26.27%

(iv) शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स के लिए शेयरहोल्डिंग पद्धति (निदेशक गण, प्रमोटरों और डीजीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा)

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स का विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
1.	भारत के राष्ट्रपति	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
क	वर्ष के प्रारंभ में	**25939417**		**25939417**	
ख	23 मई, 2015 को आबंटित शेयरों की संख्या	50000		25989417	
	22 जुलाई, 2015 को आबंटित शेयरों की संख्या	168235		26157652	
	18 सिमंबर, 2015 को आबंटित शेयरों की संख्या	81765		26239417	

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स का विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	भारत के राष्ट्रपति	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
ग	वर्ष के अंत में **(क+ख) = ग**	26239417	73.73%	26239417	73.73%
2)	**उत्तर प्रदेश के राज्यपाल**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349400	26.92%	9349400	26.92%
ख	कोई आबंटन/अंतरण नहीं **(बदलाव नहीं)**	शून्य	00.00%	शून्य	00.00%
ग	वर्ष के अंत में **(क+ख) = ग**	9349400	26.27%	9349400	26.27%

(v) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं निदेशकों के शेयरहोल्डिंग

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकों के विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री आर.एस.टी.शाई	1	शून्य	1	शून्य
2.	श्री राज पाल	2	शून्य	2	शून्य
3.	श्री दीपक सिंघल	2	शून्य	2	शून्य
4.	श्री डी.वी. सिंह	1	शून्य	1	शून्य
5.	श्री संजय अग्रवाल	2	शून्य	2	शून्य
6.	श्री श्रीधर पात्रा	1	शून्य	1	शून्य
7.	श्री बची सिंह रावत	0	शून्य	0	शून्य
8.	श्री मोहन सिंह रावत	0	शून्य	0	शून्य
9.	प्रो. महाराज के. पंड़ित	0	शून्य	0	शून्य
10.	श्री एस.के. बिस्वास	1	शून्य	1	शून्य
11.	श्रीमती अंजू भल्ला	0	शून्य	0	शून्य

IV. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स का विवरण	जमा धनराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन*	39838414964	1625157568	0	41463572532
ii) ब्याज देय, परंतु प्रदत्त नहीं किया	0	0	0	0
iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	482824618	4182831	0	487007449
कुल (i + ii + iii)	40321239582	1629340399	0	41950579981

शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स का विवरण	जमा धनराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्त वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धि	4263300000	1802383471	0	6065683471
• कमी	8339194947	0	0	8339194947
शुद्ध परिवर्तन	**-4075894947**	**1802383471**	**0**	**-2273511476**
वित्त वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन*	35762520017	3427541039	0	39190061056
ii) ब्याज देय, परंतु प्रदत्त नहीं किया	0	0		0
iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	460712857	13709748		474422605
कुल (i+ii+iii)	**36223232874**	**3441250787**	**0**	**39664483661**

नोट – पीएनबी से ओवर ड्राफ्ट शेष सहित जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋणों के अंतर्गत मूलधन।

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/या प्रबंधक के पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक /प्रबंधक का नाम				कुल राशि (राशि लाख ₹ में)
		श्री आर.एस. टी.शाई	श्री डी.वी. सिंह	श्री एस.के. बिस्वास	श्री श्रीधर पात्रा	
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	47.07	34.27	35.06	41.91	158.31
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य	0	0	0	0	0
	ग) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	33.19	18.66	17.69	9.00	78.54
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन					
	– लाभ के प्रतिशत के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	– अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल(क)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि (राशि लाख ₹ में)
		श्री बची सिंह रावत	श्री मोहन सिंह रावत	प्रो. महाराज के. पंडित		
1.	स्वतंत्र निदेशक					
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	100000	80000	शून्य		180000
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	कुल (1)	**100000**	**80000**	**शून्य**		**180000**
		श्री राज पाल	श्री दीपक सिंघल	श्री संजय अग्रवाल		
2.	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक गण					
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य		-
	कुल (ख) = (1+2)	**100000**	**80000**	**0**		**180000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार समग्रतः अधिकतम सीमा	100000	100000	100000		100000

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	47.07	26.89	41.91	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य	0	0	0	
	ग) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	33.19	6.51	9.00	
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के अनुसार – अन्य, उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	**80.26**	**33.4**	**50.91**	**0**

VI. अपराधों की/शास्तियां/दंड समझौता करना

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दंड लगाया गया/समझौता शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकार (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

28वीं वार्षिक रिपोर्ट
28TH ANNUAL REPORT
2015-16

वार्षिक लेखा–जोखा
2015-16

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2015–2016

1. सामान्य

संगत वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013, विद्युत अधिनियम, 2013 लागू सीईआरसी विनियमनों के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण – I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है तथा बाद में उसी अनुपात में आयकर के रूप में समायोजित किया जाता है, जितना कि इस अंशदान/सहायता अनुदान में अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहित/ निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, परंतु कंपनी के नियंत्रण एवं कब्जे में अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/ पट्टे के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के संबंध में वे भू–भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहित किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाऊनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू–अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कारपोरेट आफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल परिसंपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर चिन्हित कर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कारपोरेट आफिस/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजीगत कार्य में उसमें वर्धनों के आधार पर जोड़ लिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय (ई डी सी) को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो, विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उन दरों पर किया जाता है, जिन पर सौदा किया गया था।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बन्द दर पर प्रयोग की जाती है। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों से संबंधित देय राशियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/ समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें ये उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

iii. 1500/– रुपये से अधिक पर 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. परिसंपत्तियों को 'उपयोग के लिए तैयार होने' की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की शेष उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

10.आय तथा व्यय

आय को मान्यता

i. ऊर्जा बिक्री का लेखाकरण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस पावर स्टेशन के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्ष–दर–वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्टशनों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/ लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशियों का हिसाब अंनंतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. ऊर्जा बिक्री तथा परिनिर्धारित हानियों/वारंटी दावों के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती आधार के सुनिश्चित होने पर इसे हिसाब में शामिल लिया जाता है।

iv. परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाएगा।

v. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गये अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

vi. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय किया जाता है।

vii बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में किया जाता है।

व्यय

viii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

ix. प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्वाधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

x. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

xi. व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

xii. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विर्निदिष्ट प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

xiii. सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई खर्च न की गई धनराशि को समाप्त न किए जाने योग्य निधि में अलग से रखा जाएगा।

xiv. तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूलनीय योग्य न घोषित किया जाए तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को मामले दर मामले आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब तक अंततः उगाही करना संभव न हो सके।

11.कर्मचारियों के हितलाभ

i. कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) के संबंध में सेवानिवृति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी, जैसा कि एएस–15 में परिभाषित किया गया है, का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12.विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को पूरी तरह से व्यय के वर्ष में प्रभारित किया जा रहा है।

13.आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाएं जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14.नगदी प्रवाह विवरण

नगदी प्रवाह विवरण ''नगदी प्रवाह विवरण'' पर लेखाकरण मानक (एएस)–3 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके के अनुसरण में तैयार किया जाता है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देनदारियां					
शेयर धारकों की निधियां					
क) शेयर पूंजी	1	3,55,888		3,52,888	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	4,85,798	8,41,686	4,30,943	7,83,831
गैर चालू देनदारियां					
क) दीर्घकालिक ऋण	3	3,49,792		3,27,566	
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	4	22,384		23,094	
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	32,733	4,04,909	32,246	3,82,906
चालू देनदारियां					
क) अल्पकालिक ऋण	6	3,678		43,634	
ख) व्यापार देयताएं	7	49		72	
ग) अन्य चालू देनदारियां	8	64,511		60,187	
घ) अल्पकालिक प्रावधान	9	40,081	1,08,319	37,047	1,40,940
योग			**13,54,914**		**13,07,677**
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	7,50,858		7,95,592	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	62		80	
(iii) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	11	2,39,066		1,67,420	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	11	33	9,90,019	33	9,63,125
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		62,168		45,794
ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13		69,401		41,181
घ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	14		142		143

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
क) वस्तु सूचियां	15	4,997		5,094	
ख) प्राप्य व्यापार	16	2,07,197		2,38,719	
ग) नकदी तथा नकदी समकक्ष राशियां	17	7,595		4,135	
घ) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	18	11,261		7,711	
ड) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	2,134	2,33,184	1,775	2,57,434
योग			**13,54,914**		**13,07,677**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077468

दिनांक : 27.08.2016
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20		2,46,649		2,39,716
अन्य आय	21		1,316		1,077
कुल राजस्व			**2,47,965**		**2,40,793**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		23,020		22,438
वित्त लागत	23		32,887		43,878
मूल्यह्रास और परिशोधन	10		49,277		48,386
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	24		18,096		17,855
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	25		9		12,638
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में			0		7,801
कुल व्यय			**1,23,289**		**1,52,996**
पूर्वावधि मदों, असाधारण मदों और टैक्स से पूर्व लाभ			**1,24,676**		**87,797**
पूर्वावधि व्यय (आय)–निवल	26		1,066		13,992
असाधारण मदें–(आय)/व्यय– निवल			34,829		0
कर पूर्व लाभ			**88,781**		**73,805**
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आयकर		24,253		18,323	
संपत्ति कर		0	24,253	53	18,376
आस्थगित कर–परिसंपत्ति		(16,374)	(16,374)	(13,686)	(13,686)
वर्ष के लिए लाभ			**80,902**		**69,115**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन					
मूल (₹)			228.26		197.60
डाइल्यूटिड (₹)			228.26		197.60

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077468

दिनांक : 27.08.2016
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ, पूर्वावधि समायोजन एवं असाधारण मदें		**1,24,676**		**87,797**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास (पूर्वावधि मूल्यह्रास सहित)	50,335		48,037	
प्रावधान	9		12,638	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	-		7,801	
ऋणों पर ब्याज	32,887		43,878	
पूर्वावधि समायोजन	(1,066)		(13,992)	
असाधारण मदें	(34,829)	47,336	-	98,362
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,72,012**		**1,86,159**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
माल सूची	94		(1,775)	
प्राप्य व्यापार	31,522		(66,303)	
अन्य परिसंपत्तियां	(358)		(604)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान + गैर वर्तमान)	(2,309)		(17,474)	
व्यापार देय और देनदारियां	8,596		(846)	
प्रावधान (वर्तमान + गैर वर्तमान)	3,521	41,066	30,780	(56,222)
प्रचालनों से प्राप्त नगदी		**2,13,078**		**1,29,937**
निगम कर		(24,253)		(18,376)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,88,825**		**1,11,561**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तनः–				
अचल परिसंपत्तियां तथा सीडब्ल्यूआईपी	(83,778)		(62,625)	
निर्माण स्टोर	-		19	
पूंजी अग्रिम	(29,467)		11,344	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(1,13,245)**		**(51,262)**

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

Particulars	31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	3,000		5,579	
अन्य पूंजीगत आरक्षित निधि	0		(472)	
उधारियां	(22,735)		(8,285)	
ऋणों पर ब्याज	(32,887)		(43,878)	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(19,498)		(16,850)	
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**(72,120)**		**(63,906)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**3,460**		**(3,607)**
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		**4,135**		**7,742**
च. अंतिम नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**7,595**		**4,135**

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 37 लाख रू. (गत वर्ष 37 लाख रू.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध / पुनःर्व्यवस्थित / पुनः दर्शित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077468

दिनांक : 27.08.2016
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी :1
शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत					
1000/–रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,55,88,817	3,55,888	3,52,88,817	3,52,888
1000/–रू. वाले प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,55,88,817**	**3,55,888**	**3,52,88,817**	**3,52,888**

टिप्पणी 1.1
शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रारंभिक		3,52,88,817	3,52,888	3,47,30,917	3,47,309
निर्गत		3,00,000	3,000	5,57,900	5,579
कमी	0	0	0	0	0
अंतिम		**3,55,88,817**	**3,55,888**	**3,52,88,817**	**3,52,888**

टिप्पणी 1.2
कंपनी में 5 %से अधिक ,शेयर वाले शेयर धारकों की संख्या

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	%	शेयरों की सं.	%
5 % से अधिक शेयर धारक					
1. भारत सरकार		2,62,39,417	73.73	2,59,39,417	73.51
2. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	26.27	93,49,400	26.49
कुल		**3,55,88,817**	**100.00**	**3,52,88,817**	**100.00**

टिप्पणी : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उ.प्र.सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति प्राप्त अंशदान		1,44,118		1,44,118	
घटाएं:					
मूल्यह्रास में समायोजन		54,129	89,989	47,580	96,538
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजना के लिए)					
आरंभिक शेष		0		472	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	0	(472)	0
उप जोड़ "क"			**89,989**		**96,538**
लाभ और हानि लेखे में अधिशेष					
आरंभिक शेष		3,34,405		2,82,140	
जोड़ें: पी एंड एल विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ		**80,902**		**69,115**	
विनियोजन के लिए कुल लाभ			**4,15,307**		**3,51,255**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		0		0	
प्रस्तावित लाभांश		16,200	16,200	14,000	14,000
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर–अंतरिम		0		0	
लाभांश वितरण कर–प्रस्तावित		3,298	3,298	2,850	2,850
उप जोड़ "ख"			**3,95,809**		**3,34,405**
कुल (क+ख)			**4,85,798**		**4,30,943**

2.1 पीएचआरडी अनुदान को सीडब्ल्यूआईपी के साथ वीपीएचईपी के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व्यय के संबंध में समायोजित किया गया है।

टिप्पणी:– 3

दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
क. प्रतिभूत					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			58,681		67,708
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302002 (केएचईपी के लिए)#					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			55,575		67,275
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए– जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.75 से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			36,789		43,796
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)–330001– (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष)			47,840		58,536
स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई)– 32677052247 (टिहरी पी एस पी के लिए)##					
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2026 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर / आधार दर +1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 10.5 प्रतिशत			1,16,632		73,999
कुल (क)			**3,15,517**		**3,11,314**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
ख. अप्रतिभूत **विदेशी मुद्रा ऋण** **(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)** **विश्व बैंक ऋण–8078–आई एन (वीपीएचईपी के लिए)$** (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों में छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर/ एल आई बी ओ आर + भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 1.15 प्रतिशत)		34,275			16,252
कुल (ख)		**34,275**			**16,252**
कुल (क+ख)		**3,49,792**			**3,27,566**

* टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपस्करों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

\# कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण

\## टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत,दीर्घकालिक ऋण टिप्पणी सं. 29.7 भी देखें।

$ संबंधित ऋण रैंकिग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित । इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी: 4

अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के बाबत आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		21,271		21,271	
जोड़ें: वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित		0	21,271	0	21,271
देनदारियां					
व्यय के लिए		0		0	
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए					
अन्यों के लिए		38	38	203	203
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		1,075		1,620	
अन्य देनदारियां		0	1,075	0	1,620
कुल		**22,384**		**23,094**	

4.1 मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) के तहत दिखाई गई राशि टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान एकत्रित कर ली गई है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009–2014 में एएडी का प्रावधान वापस ले लिया गया है। तदनुसार परवर्ती वर्षों में एएडी के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी: 5
दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		31,998	8,820	(5,712)	(2,861)	32,245
II. अन्य		248	240	0	0	488
कुल		**32,246**	**9,060**	**(5,712)**	**(2,861)**	**32,733**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**22,338**	**11,840**	**(347)**	**(1,585)**	**32,246**

कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में ए एस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.14 में कर दिया गया है।

टिप्पणी: 6
अल्पकालिक उधारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)*					
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर, आधार दर अर्थात 9.6 प्रतिशत)			3,678		43,634
कुल			**3,678**		**43,634**

* परियोजना स्थल पर मशीनरी स्पेयर्स, औजार एवं अनुषांगिक, ईंधन स्टाक, स्पेयर एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के रू. 3677 लाख रू. का ओडी सुरक्षित है।

टिप्पणी: 7
व्यापार देय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
व्यापार देय–एमएसएमईडी			0		0
व्यापार देय–एमएसएमईडी से इतर			49		72
कुल			**49**		**72**

टिप्पणीः 8
अन्य वर्तमान देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत * (भारतीय मुद्रा में ऋण)			38,431		43,436
कुल			**38,431**		**43,436**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्षम और लघु उद्यमों के लिए .		36		0	
अन्य के लिए		14,195	14,231	5,970	5,970
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		3,444		2,539	
अन्य देनदारियां		3,661	7,105	3,372	5,911
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		4,744		4,870	
अन्य देनदारियां		0	4,744	0	4,870
कुल			**26,080**		**16,751**
कुल देनदारियां			**64,511**		**60,187**

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–3 में दिए गए हैं।

टिप्पणीः 9

अल्पकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2016 के लिए			31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. निर्माण कार्य		800	177	(450)	(38)	489
II. कर्मचारियों से संबंधित		15,853	5,726	(3,075)	(10,162)	8,342
III. लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		14,000	16,200	0	(14,000)	16,200
IV. लाभांश वितरण कर (अंतरिम एवं अंतिम)		2,850	3,298	0	(2,850)	3,298
III. अन्य		3,544	35,032	(5,393)	(21,431)	11,752
कुल		**37,047**	**60,433**	**(8,918)**	**(48,481)**	**40,081**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**16,175**	**36,024**	**(1,139)**	**(14,013)**	**37,047**

कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.14 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 10 अचल परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	600	-	-	600	69	21	-	90	510	531
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,842	72	-	3,914	-	-	-	-	3,914	3,842
3. अवर्गीकृत भूमि	1,52,882	4,161	-	1,57,043	37,063	5,510	12	42,585	1,14,458	1,15,819
4. भवन	78,656	3,620	(43)	82,233	11,796	2,764	240	14,800	67,433	66,860
5. अस्थायी भवन ढांचे	990	133	-	1,123	987	132	4	1,123	-	3
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	13,512	203	-	13,715	1,779	476	-	2,255	11,460	11,733
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,477	25	(2)	1,500	427	74	-	501	999	1,050
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,100	79	-	2,179	1,170	57	-	1,227	952	930
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,31,101	560	-	2,31,661	73,855	12,278	119	86,252	1,45,409	1,57,246
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,297	93	(35)	1,355	777	100	(23)	854	501	520
11. विद्युत संस्थापनाएं	909	-	(19)	890	258	50	(15)	293	597	651
12. पारेषण लाइनें	2,394	9	-	2,403	662	127	-	789	1,614	1,732
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	4,611	308	(24)	4,895	1,661	287	(5)	1,943	2,952	2,950
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,884	223	(3)	2,104	671	121	(3)	789	1,315	1,213
15. वाहन	1,309	121	(43)	1,387	582	84	(38)	628	759	727
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	28	4	-	32	90	94
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,07,278	3,320	-	5,10,598	1,66,914	26,982	701	1,94,597	3,16,001	3,40,364
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,39,915	184	(221)	1,39,878	50,608	7,436	(37)	58,007	81,871	89,307
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	20	-	3	23	-	-	-	-	23	20
उप जोड़	**11,44,899**	**13,111**	**(387)**	**11,57,623**	**3,49,307**	**56,503**	**955**	**4,06,765**	**7,50,858**	**7,95,592**
पिछले वर्ष के आंकडे	**11,37,526**	**11,722**	**(4,349)**	**11,44,899**	**2,94,110**	**55,789**	**(592)**	**3,49,307**	**7,95,592**	**8,43,416**
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	376	17	-	393	296	35	-	331	62	80
उप जोड़	**376**	**17**	**-**	**393**	**296**	**35**	**-**	**331**	**62**	**80**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**337**	**39**	**-**	**376**	**263**	**33**	**-**	**296**	**80**	**74**

मूल्य ह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास	712		772	
लाभ हानि लेखा को अंतरित मूल्यह्रास	49,277		48,386	
आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	6,549	56,538	6,664	55,822
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान वर्ष के दौरान रू.1500.00 से अधिक परंतु रू. 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया	18		15	

10.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रू. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

टिप्पणी :–11
पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए				
		01 अप्रैल, 15 की स्थिति अनुसार	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान वृद्धि	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान समायोजन	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		4,316	2,704	-	(1,767)	5,253
सड़क, पुल तथा पुलिया		1,014	194	(8)	(210)	990
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		11	35	-	-	46
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		60,519	27,025	(10,432)	(608)	76,504
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		83,638	46,176	10,407	(5,371)	1,34,850
जलागम क्षेत्र वनीकरण		428	473	-	-	901
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		2,606	114	-	(9)	2,711
अन्य		24	3,058	-	(24)	3,058
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,764	30	-	-	9,794
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	2,105	855	(2,105)	-	855
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)		2,995	1,210	(3)	(98)	4,104
योग		**1,67,420**	**81,874**	**(2,141)**	**(8,087)**	**2,39,066**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**1,11,712**	**65,784**	**(3,327)**	**(6,749)**	**1,67,420**
अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर अमूर्त परिसंपत्तियां विकासाधीन		33	0	0	0	33
उप जोड़		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**0**	**47**	**0**	**(14)**	**33**

टिप्पणी : 11.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	22				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		8,827		13,954	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		557		878	
पेंशन निधि		435		645	
उपदान		188		1,420	
कल्याण		93	10,100	167	17,064
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		78		107	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		236	314	383	490
दर एवं कर			2		27
विद्युत एवं ईंधन			601		540
बीमा			8		9
संचार			120		140
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		2		2	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		0		1	
भवन		300		289	
अन्य		314	616	401	693
यात्रा एवं वाहन			297		425
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			364		267
सुरक्षा			228		199
प्रचार तथा जनसंपर्क			33		90
अन्य सामान्य व्यय			672		924
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			2		40
मूल्यह्रास	**10**		**712**		**772**
कुल व्यय (क)			**14,069**		**21,680**
प्राप्तियां					
अन्य आय					
ब्याज	**21**				
बैंक जमा से		1		10	
कर्मचारियों से		102		145	
अन्य से		9	112	5	160

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
मशीन किराया प्रभार			11		2
किराया प्राप्तियां			58		69
विविध प्राप्तियां			291		88
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			74		91
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0		7
कुल प्राप्तियां (ख)			**546**		**417**
पूर्वावधि समायोजन	26		1		38
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**13,524**		**21,301**
कराधान के लिए प्रावधान	27				
सम्पत्ति कर		0	0	27	27
कराधान सहित निवल व्यय			**13,524**		**21,328**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			2,105		1,633
कुल ईडीसी			**15,629**		**22,961**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित ईडीसी/परिसम्पत्ति		14,045		20,264	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		729	14,774	592	20,856
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**855**		**2,105**

टिप्पणी :– 12
आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		71,456	68,481	55,082	52,107
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
कुल			**62,168**		**45,794**

टिप्पणी :– 13
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंकगारंटी के बावत		28,842		17,871	
ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		18,947		6,626	
iii) अन्य		26,281		20,215	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		67	74,137	179	44,891
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,355		12,576
उप जोड़–पूंजीगत अग्रिम			**61,782**		**32,315**
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,754		2,803	
अप्रतिभूत		1,393	4,147	1,452	4,255
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		2,354		2,238	
अप्रतिभूत		248	2,602	183	2,421
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		1	
अप्रतिभूत		0	0	0	1
निदेशकों को दिए गए ब्याज पर उपार्जित ऋण					
प्रतिभूत		2		3	
अप्रतिभूत		0	2	0	3
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु रुप में या निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		132		184	
निदेशकों को		0		0	
खरीददारों को		0		0	
अन्यों को		25	157	1,423	1,607
जमा					
प्रतिभूति जमा		170		189	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		540		389	
अन्य जमा		1	711	1	579
उप–जोड़			**7,619**		**8,866**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
उप जोड़ – अग्रिम			**7,619**		**8,866**
कुल ऋण और अग्रिम			**69,401**		**41,181**
नोटः निदेशकों द्वारा देय					
मूल			0		1
ब्याज			2		3
योग			**2**		**4**
नोटः अधिकारियों द्वारा देय					
मूल			3		4
ब्याज			5		5
योग			**8**		**9**

टिप्पणी :– 14
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय		142		143	
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं		0	142	0	143
योग			**142**		**143**

टिप्पणी :– 15
वस्तु सूचियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
वस्तूसूचियां					
(भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य जो भी कम हो)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		388		722	
मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल स्टोर एवं स्पेयर्स		4,386		4,384	
अन्य (भंडारण और कल पुर्जो सहित)		229		299	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		39	5,042	0	5,405
घटाएं : अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			45		311
योग			**4,997**		**5,094**

टिप्पणी :– 16
व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण(निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		1,25,192		26,493	
संदिग्ध समझे गए		20,774	1,45,966	0	26,493
घटाएंः–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			20,774		0
(ii) अन्य ऋण(निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		70,335		2,09,082	
संदिग्ध समझे गए		1,882	72,217	0	2,09,082
घटाएंः–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			1,882		0
(iii) विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		11,670		3,144	
संदिग्ध समझे गए		2,201	13,871	0	3,144
घटाएंः–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			2,201		0
कुल			**2,07,197**		**2,38,719**

16.1 व्यापार प्राप्य में रू. 13871 लाख निवल विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (विनियामक परिसंपत्ति रू. 46125 लाख एवं विनियामक देयताएं रू. 32254 लाख) गत वर्ष रू. 3144 लाख (विनियामक परिसंपत्ति रू. 32666 लाख एवं विनियामक देयताएं रू.29522 लाख), शामिल है।

टिप्पणी:– 17 नकदी एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
बैंकों में शेष (बैंकों में आटो नगदी एवं नगदी स्वरूप –स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमाराशियों सहित)			7,553		4,095
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट स्टांप			1		0
हस्तगत नकदी			4		3
अन्य बैंकों के पास शेष					
अन्य (लिएन के तहत बैंकों में शेष जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है)			37		37
योग			**7,595**		**4,135**

टिप्पणी :– 18 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		766		742	
अप्रतिभूत		182	948	145	887
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		199		155	
अप्रतिभूत		1	200	3	158
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		1		3	
अप्रतिभूत		0	1	0	3
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		2	2	0	0
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		403		419	
खरीददारों के लिए		1,443		1,177	
अन्य के लिए		1,890	3,736	357	1,953
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		196		167	
जमा किया गया कर		4,039		2,446	
सरकार/न्यायालय में जमा राषियां		2,145		2,104	
अन्य जमा राशियां		1	6,381	0	4,717
उप जोड़			**11,269**		**7,719**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अग्रिम			**11,261**		**7,711**
कुल ऋण और अग्रिम			**11,261**		**7,711**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन			1		3
ब्याज			2		1
कुल			**3**		**4**
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन			1		2
ब्याज			1		1
योग			**2**		**3**

टिप्पणी :– 19
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			2,107		1,760
उपार्जित ब्याज			27		15
योग			**2,134**		**1,775**

टिप्पणी :– 20
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		2,45,083		2,37,567	
घटाएं :–मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	2,45,083	0	2,37,567
विचलन व्यवस्थापन / संकुचन प्रभार			1,481		1,578
परामर्श से आय			85		571
योग			**2,46,649**		**2,39,716**

20.1 माननीय सीईआरसी ने टिहरी एचईपी के लिए दिनांक 27.01.2015 का 2009–14 आदेश जारी किया हैं जिसमें आदेश की तारीख से रू. 9011 लाख की छः समान किश्तों में छः महीने के अंदर ब्याज को वसूल करने की अनुमति दी है। वर्तमान अवधि में वसूल किए जाने वाले विनियामक ब्याज को बिक्री के रूप मे मान्यता दी है क्योंकि यह टैरिफ का अभिन्न भाग है।

कंपनी ने 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की है। अंतिम आदेश प्राप्त होने तक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 10(i) के अनुसार प्रचलित टैरिफ विनिमय के रूप में एएफसी के दावे के आधार पर बिक्री को मान्यता दी है।

टिप्पणी :– 21
अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस रू. 257327.00 शामिल है, पिछले वर्ष 91934.00रू.)		55		43	
कर्मचारियों से		412		397	
अन्य		32	499	20	460
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			13		15
किराया प्राप्तियां			141		129
विविध प्राप्तियां			698		514
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			469		319
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			42		57
योग			**1,862**		**1,494**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित	11.1		546		417
योग			**1,316**		**1,077**

टिप्पणी :– 22
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं हितलाभ			27,866		32,083
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			1,682		1,982
पेंशन निधि			1,460		1,486
उपदान			1,572		3,388
कल्याण व्यय			540		563
योग			**33,120**		**39,502**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित	11.1		10,100		17,064
योग			**23,020**		**22,438**

टिप्पणी :– 23
वित्तीय लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			45,003		49,325
योग			**45,003**		**49,325**
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			12,116		5,447
योग			**32,887**		**43,878**

टिप्पणी :– 24
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		163		154	
कर्मचारी आवास किराया		699	862	718	872
दर एवं कर			141		132
विद्युत एवं ईंधन			1,573		1,458
बीमा			2,240		1,833
संचार			369		342
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,659		2,304	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		800		628	
भवन		1,096		1,112	
अन्य		2,422	5,977	2,290	6,334
यात्रा एवं वाहन			999		913
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,025		953
सुरक्षा			2,824		2,227
प्रचार तथा जनसंपर्क			298		322
अन्य सामान्य व्यय			2,240		2,376
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			25		68
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			729		593
अनुसंधान और विकास			345		154
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			30		22
सीएसआर एवं एस डी गतिविधियों पर व्यय			1,335		2,909
ग्राहकों को छूट			341		191
योग			**21,353**		**21,699**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		3,257		3,844
योग			**18,096**		**17,855**

टिप्पणी :– 25
प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			6		12,576
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान			3		62
योग			**9**		**12,638**
घटाएं : -					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
योग			**9**		**12,638**

टिप्पणी :– 26
पूर्वावधि आय/व्यय (शुद्ध)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
विविध प्राप्ति		6	6	27	27
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय		0		1	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		13		18	
अन्य सामान्य व्यय		0		13	
मूल्यह्रास		1,058		(305)	
किराया दर एवं कर		2		0	
विनियामक समायोजन		0		14,330	
विविध – अन्य		0	1,073	0	14,057
योग			**1,067**		**14,030**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		1		38
योग			**1,066**		**13,992**

टिप्पणी :– 27
कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			24,253		18,323
उप जोड़			**24,253**		**18,323**
योग			**24,253**		**18,323**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			0		80
उप जोड़			**0**		**80**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		27
योग			**0**		**53**

28. आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया हैः–

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 1	**लेखांकन नीतियों का प्रकटन**	• वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों में दी गई हैं।
एएस 2	**वस्तु सूची का मूल्यांकन**	• कंपनी जल विद्युत का उत्पादन करने में लगी हुई है। इसलिए इसके पास कच्चा माल/डब्ल्यू आई पी नहीं होता है। उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली खपत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
एएस 3	**नकदी प्रवाह विवरण**	• नकदी प्रवाह विवरण, उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 14 में प्रकटित किए गए अनुसार एएस–3 के पैरा 18 (ख) के अनुसार अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कर वित्तीय विवरण के भाग के रूप में तैयार किया जा रहा है।
एएस 4	**तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं**	• तुलन पत्र की तारीख के बाद इस तरह की कोई बड़ी घटना की रिपोर्ट करने योग्य स्थिति नहीं आई।
एएस 5	**अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन**	• ऐसी कोई अतिरिक्त सामान्य आय/ व्यय और पूर्व अवधि की मदें (आय/व्यय) संबंधित नोट में प्रकट कर दी गई हैं।
एएस 6	**मूल्यह्रास लेखांकन**	• लेखांकन नीति सं. 8 में कहे गए अनुसार सी ई आर सी विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। एएस 6 के तहत यथावश्यक ऐतिहासिक लागत वर्ष के लिए मूल्यह्रास, संचित मूल्यह्रास आदि जैसे आवश्यक प्रकटन नोट सं. 10 – अचल संपत्तियों में प्रकटित कर दिए गए हैं।
एएस 7	**निर्माण अनुबंधों के लिए लेखांकन**	• आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने निर्माण संबंधी कोई अनुबंध शुरु नहीं किया है। इस प्रकार यह लागू नहीं है।
एएस 8	**अनुसंधान और विकास के लिए लेखांकन**	• एएस वापस ले लिया गया है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 9	राजस्व को मान्यता	• कंपनी, सीईआरसी द्वारा जारी किए जाने वाले लंबित अंतिम आदेश के लंबित होने पर टैरिफ विनियमन के आधार पर निर्धारित सीईआरसी और एफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा अनुमत्य अंतिम टैरिफ के आधार पर अपने ब्रिकी राजस्व को मान्यता देती रही है। उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 10(i) से 10 (iv) और टिप्पणी सं. 20.1 में कंपनी द्वारा अपनाए गए बिक्री राजस्व तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है।
एएस 10	स्थिर परिसंपत्तियों के लिए लेखांकन	• खरीदी गई/स्वयं निर्मित स्थिर परिसंपत्तियों की लागत का लेखांकन एएस–10 के अनुसार कर दिया गया है। • लेखांकन अवधि के शुरु और अंत में परिसंपत्तियों के सकल/निवल खाता मूल्य के संबंध में आवश्यक प्रकटन, अंतिम विवरण में प्रकट किया गया है जिसमें की गई वृद्धि परित्यक्त/बेची गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है।
एएस 11	विदेशी मुद्रा के विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों का लेखांकन	• लेखांकन नीति संख्या 7 (i) से 7 (iv) के तहत विदेशी लेन–देन से संबंधित लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया गया है।
एएस 12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने सिंचाई घटक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त राशि को एएस– 12 के अनुसार मान्यता दे दी है। विवरणों का महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3 में प्रकटन किया गया है।
एएस 13	निवेशों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 14	समामेलन के लिए लेखांकन	• लागू नहीं
एएस 15	कर्मचारी प्रसुविधाएं	• कंपनी की परिभाषित हित योजनाएं एवं परिभाषित अंशदायी स्कीमें दोनों के अधीन कई कर्मचारी कल्याणकारी स्कीमें हैं। • <u>परिभाषित अंशदायी योजना</u> क. सीपीएफ ख. अधिवर्षिता पेंशन निधि • <u>परिभाषित हित योजनाएं</u> क. ग्रेच्युटी ख. अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश ग. सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा घ. सेवानिवृत्ति बैगेज भत्ता

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 16	उधारी लागत	• कंपनी ने वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी लागत के लिए 12116 लाख रू. उधारी लागत स्वीकार की है। उधारी लागत की मान्यता को लेखांकन नीति संख्या 6 (i) से 6 (ii) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 17	खंड रिपोर्टिंग	• वर्तमान में कंपनी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित टिहरी और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना से जल विद्युत बनाने में संलग्न है। इसलिए खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
एएस 18	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	• वर्ष के दौरान सेवा टीएचडीसी को सीएसआर भुगतान को छोड़कर संबद्ध पक्ष का कोई लेन–देन नहीं हुआ है। तथापि प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कार्मिकों के पारिश्रमिक का नोट संख्या 29.9 द्वारा प्रकट किया गया है।
एएस 19	पट्टे	• वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई वित्तीय पट्टा कार्यान्वित नहीं किया है। नोट संख्या 29.13 के अनुसार प्रचालन पट्टा लेन–देन का प्रकटन किया गया है।
एएस 20	प्रति शेयर आय	• कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है, इसलिए बुनियादी और डाइल्यूटिड दोनों ई पी एस पूर्ववत रहते है तथा उन्हें लाभ और हानि के विवरण में प्रकट किया गया है।
एएस 21	समेकित वित्तीय विवरण	• टीएचडीसीआईएल की कोई सहायक/धारक कंपनी नहीं है इसलिए एएस 21 लागू नहीं है।
एएस 22	आय पर लगने वाले करों का लेखांकन	• वर्ष 2015–16 के दौरान 16374 लाख रु. की आस्थगित कर परिसंपत्ति लेखांकित की गई है।
एएस 23	समेकित वित्तीय विवरणों कंपनी की सहायक कंपनियों में निवेशों का लेखांकन	• कंपनी की कोई सहायक कंपनी नही है, इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 24	प्रचालन बंद करना	• वर्ष के दौरान कोई प्रचालन/गतिविधि बंद नहीं की गई है, इस प्रकार कोई प्रकटन आवश्यक नहीं है।
एएस 25	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	• यद्यपि कंपनी पर एएस–25 लागू नही होता है, फिर भी यह अच्छी प्रशासन प्रणाली के रुप में अंतरिम वित्तीय विवरण तैयार करती रही है।
एएस 26	अमूर्त परिसंपत्तियां	• कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है तथा कुछ समय से उनका परिशोधन करती रही है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8 (vi) में स्पष्ट किया गया है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 27	संयुक्त खातों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग	• कंपनी की कोई संयुक्त उद्यम परियोजना नहीं है। इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 28	परिसंपत्ति का इम्पेयरमेंट	• वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं की गई है।
एएस 29	प्रावधान आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां	• कपंनी, कंपनी पर वित्तीय जिम्मेदारियों की संभावना/निश्चितता तथा तदनुसार नकदी प्रवाह जैसे भिन्न कारकों को ध्यान में रख कर सर्वोत्तम मूल्यांकन करती है। अन्य मामलों पर आकस्मिक देनदारी के रुप में विचार किया जाता है।
एएस 30	वित्तीय लिखतः मान्यता और मापन	• संबंधित मानक वित्तीय लिखतों के मानक प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के संबंध में है इसलिए ये एएस लागू नहीं है।
एएस 31	वित्तीय लिखत प्रस्तुतीकरण	
एएस 32	वित्तीय लिखत प्रकटन	

टिप्पणी सं. – 29 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) 289750 लाख रूपए (गत वर्ष 336836 लाख रू.) है।

2. आकस्मिक देयताएं (लाख रू. में)

		2015-16	2014-15
(i) कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है :			
माध्यस्थम/अदालती मामले			
मूलधन			
सरकार/सीपीएसई		28701	2421
अन्य		103551	104423
	(क)	132252	106844
ब्याज			
सरकार/सीपीएसई		11990	218
अन्य		147716	96070
	(ख)	159706	96288
कुल जोड़	(क+ख)	**291958**	**203132**

उपर्युक्त माध्यस्थम/अदालती मामलों में ये शामिल हैं:–

(क) कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी 371 लाख रु. है (गत वर्ष 371 लाख रु.)।

(ख) विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय/जिला न्यायालय अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गयी 351 लाख रूपये (गत वर्ष 351 लाख रूपये) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।

(ii) विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर आदि जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए 323 लाख रूपये (गत वर्ष 173 लाख रूपये) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	571	186
(iii) अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	411	232

3. केवल ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 69 लाख रुपये एवं 1184 रूपये(गत वर्ष 36 लाख रुपये एवं 1203 रूपये) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 4 एवं 8 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 4519 लाख रुपये (गत वर्ष 4159 लाख रुपये) की राशि ईएमडी एवं प्रतिभूत जमा के रूप में भी प्राप्त की है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 4 लाख रूपये/(गत वर्ष शून्य राशि) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 12116 लाख रुपये (गत वर्ष 5447 लाख रु.) है।

5. (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ सं. 8–3/89–एफसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई–186/7–1–2002–300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.932 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टयेर पट्टे पर दी गई भूमि का विलेख कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टयेर वन भूमि के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन करने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 2497.54 हेक्टेयर(गत वर्ष 2497.53 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 1882.30 हेक्टेयर भूमि का कंपनी के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। शेष भूमि 615.24 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो काम्पलैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा भी टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफसी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तरांचल सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करे। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में भरने दिया जा रहा है, जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्मित किए गए 28 फ्लैट (गत वर्ष 30 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. टीएचडीसीआईएल ने एसबीआई की अगुवाई वाले सहायता संघ (कंर्सोटियम) के साथ निर्माणाधीन टिहरी पीएसपी के वास्ते रू. 1,50,000 लाख के दीर्घावधि ऋण हेतु अनुबंध किया। इस परियोजना को फरवरी 2016 तक पूरा किया जाना था। परियोजना की पूर्णता अवधि को पुनः निर्धारित किया गया और इसकी पूर्णता को यथासंभव शीघ्रताशीघ्र करने के प्रयास किए गए। मूल ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार समग्र ऋण राशि का फरवरी, 2016 तक आहरण किया जा सकता था तथा अगस्त, 2016 से पुनर्भुगतान करना तय था। चूंकि समस्त स्वीकृत राशि का आहरण नहीं किया गया तथा कमीशनिंग (पूर्णता) अवधि को भी पुनः निर्धारित किया गया। टीएचडीसीआईएल ने ऋणदाता संस्थानों से फरवरी, 2018 तक संवितरण अवधि बढ़ाने और तदनुसार पुर्नभुगतान सूची निर्धारित करने के लिए औपचारिक पुष्टि करने का अनुरोध किया। टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर विचार करते हुए ऋणदाताओं ने निधि जारी कर दी। संपूर्ण आहरित ऋण राशि को दीर्घ–अवधि ऋण के रूप में मान्य करने संबंधी औपचारिक सूचना प्राप्त होने तक कोई पुनर्भुगतान देय नहीं हुआ।

8. सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन–

एएस–18 द्वारा यथापेक्षित ''संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण'' नीचे दिया गया है–

क) संबद्ध पक्षकारों की सूचीः

i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1.	श्री आर. एस. टी. शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री एस के बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)
5.	श्री एस.क्यू अहमद	कंपनी सचिव

ii) अन्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ के लिए नहीं, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की गई।

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 1335 लाख रूपये संवितरित किए गए।

ग) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 273 लाख रुपये (गत वर्ष 152 लाख रुपये) है।

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

9. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) – बेसिक और डाइल्यूटिड

प्रति शेयर अर्जन की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और डाइल्यूटिड) इस प्रकार हैं:

	2015-16	2014-15
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	₹ 80901.00	₹ 69115.00
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	बेसिकः 35442531.17 डाइल्यूटिडः 35442531.17	बेसिकः 34978077 डाइल्यूटिडः 34978077
प्रतिशेयर अर्जन रुपये बेसिकः डाइल्यूटिडः	₹ 228.26 ₹ 228.26	₹ 197.60 ₹ 197.60
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹	₹ 1000	₹ 1000

10. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखांकन'' के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 16374 लाख रुपये (गत वर्ष 13686 लाख रुपये) जो कि आस्थगित देयता में वृद्धि दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापसी योग्य है, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा निम्नवत है:

रुपये लाख में

क्र. सं.		31.03.2016	31.03.2015
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ए)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	44693	37216
ii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	6837	6837
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	13064	4460
iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	6862	6569
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ए)	**71456**	**55082**
	आस्थगित कर देयताएं (बी)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3572	3572
ii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	-472	-472
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	-1	-1
iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	-124	-124
	आस्थगित कर देयता(बी)	**2975**	**2975**
	शुद्ध आस्थगित कर (देयता)/परिसम्पत्तियां (ए–बी)	**68481**	**52107**

11.(i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ के लिए नहीं, सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से खर्च किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित खर्चों का शीर्ष	राशि लाख में
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पीने का पानी	557
02	शिक्षा एवं कौशल विकास	564
03	सामाजिक कल्याण	18
04	वन एवं पर्यावरण पशु कल्याण आदि	4
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	3
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	189
	जोड़ लाख रू. में	**1335**

ख. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार अनुबंधित 1335 लाख रू. (गत वर्ष 1377 लाख रू.) की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में 1335 लाख रू.(गत वर्ष 2909 लाख रू.) की राशि खर्च की जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की शर्तों के अनुसार पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% के बराबर है

ग. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान नकद रूप से तथा खर्च की प्रकृति (पूंजी या राजस्व) के साथ नकद रूप से भुगतान किए जाने वाले खर्च का विवरण निम्नवत है–

(रुपये लाख में)

		नकद रूप में	भुगतान किया जाने वाले	जोड़
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	636	0.00	636
(ii)	क के अनुसार एसईडब्ल्यूए – टीएचडीसी के माध्यम से (i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन पर	699	0.00	699

(ii) अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित प्रकटन

कंपनी ने वर्ष 2015–16 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 346 लाख रू.(गत वर्ष 390 लाख रू.) खर्च किए हैं।

12. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं को 36 लाख रू. (गत वर्ष शून्य रू.) की मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया।

13. कंपनी ने कर्मचारियों / कार्यालयों / अतिथि गृहों / विश्राम शिविरों और वाहनों के लिए परिसर पट्टे / किराए पर लिए हैं। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। पट्टे पर लिए गए स्थानों के भुगतान के लिए राशि में 879 लाख (गत वर्ष 829 लाख) शामिल है (निवल वसूलियां)।

14. i) कंपनी, परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा समय–समय पर घोषित नियत प्रतिशत पर परिवार पेंशन सहित नियोक्ता अंशदान का भुगतान भविष्य निधि को कर रही है। बीमांकित मूल्य के आधार पर बहियों में 13 लाख रू. (गत वर्ष 363 लाख रू.) प्रदान किए गए।

ii) ''कर्मचारियों को लाभ'' के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2016 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –I निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	7.75%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	6.50%	6.00%	6.00%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

रूपए लाख में

(ऋण शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	13741 {11049}	5875 {4909}	3692 {2326}	9382 {4664}	735 {632}
ब्याज लागत	1099 {939}	470 {417}	295 {198}	751 {396)}	59 {53}
विगत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	703 {675}	216 {328}	135 {117}	492 {462}	47 {43}
भुगतान किया गया लाभ	701 {1188}	3683 {1910}	(141) {(67)}	(293) {(429)}	(48) {(58)}
बीमांकित (लाभ / हानि)	(205) {2266}	835 {2132}	616 {1118}	(1) {4288}	12 {64}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	14638 {13741}	3714 {5875}	4598 {3692}	10330 {9382}	805 {735}

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में
(ऋण शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	14638 {13741}	3714 {5875}	4598 {3692}	10330 {9382}	805 {735}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(14638) {(13741)}	(3714) {(5875)}	(4598) {(3692)}	(10330) {(9382)}	(805) {(735)}
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध सकल देयता	(14638) {(13741)}	(3714) {(5875)}	(4598) {(3692)}	(10330) {(9382)}	(805) {(735)}

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में
(ऋण शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
चालू सेवा लागत	703 {675}	216 {328}	135 {117}	492 {462}	47 {43}
ब्याज लागत	1099 {939}	470 {417}	295 {198}	751 {396}	59 {53}
वर्ष के लिए चिन्हित निवल बीमांकित (लाभ) / हानि	(205) {2266}	835 {2131}	616 {1118}	1 {4288}	12 {64}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में चिन्हित व्यय	1597 {3880}	1521 {2876}	1047 {1433}	1242 {5142}	161 {118}

अन्य प्रकटन

उपदान	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14638	13741	11049	9611	8319
बीमांकित (लाभ) / हानि	(205)	2266	593	598	743
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	1597	3880	1917	1765	1788

पीआरएमबी	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	4598	3692	2326	2027	1759
बीमांकित (लाभ) / हानि	616	1118	118	89	58
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	1047	1433	357	300	254

छुट्टी	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3714	5875	4909	4266	3985
बीमांकित (लाभ) / हानि	835	2131	938	740	820
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	1521	2876	1562	1308	1325

अस्वस्थता अवकाश	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	10330	9382	4664	4594	3936
बीमांकित (लाभ) / हानि	(1)	4288	(467)	176	189
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	1242	5147	146	736	691

बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	805	735	632	654	497
बीमांकित (लाभ) / हानि	12	64	(86)	125	(25)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	161	118	5	211	50

15. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र. सं.	नीति	प्रभाव
1.	नीति संख्या 10(xii) में ''लाभ का उपयुक्त % '' शब्दों के स्थान पर ''कर पश्चात लाभ (पीएटी) का उपयुक्त ''शब्द परिवर्तित कर दिया गया है।''	कोई प्रभाव नहीं

16.असाधारण मदें

16.1 बार–बार स्मरण कराने तथा अनुसरण करने के बाद भी बीवाईपीएल (बीएसई एवं यमुना पावर लिमिटेड) से वसूली में काई सुधार नहीं आया। तदन्तर टिहरी और कोटेश्वर एचईपी, दोनों स्थानों से विद्युत आपूर्ति बन्द करने के प्रयास किए गए।

माननीय डीईआरसी(दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) ने अपने दिनांक 14.03.2016 के आदेश क्रमांक 509 द्वारा मैसर्स बीवाईपीएलबी की आपूर्ति बंद करने के निदेश दिए तथा मैसर्स बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) के पक्ष में पुनःआबंटन किया गया।

कंपनी की विशिष्ट लेखा नीति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक पुराने बकायादारों को शंकास्पद मानकर प्रावधान किए जाने हैं, वर्तमान प्रकरण में मैसर्स बीवाईपीएल से वसूली योग्य बकाया राशि रू. 23984 लाख का प्रावधान किया गया है। यद्यपि राशि तीन वर्ष से अधिक अवधि की नही है तथा माननीय डीईआरसी के आदेशानुसार विद्युत आपूर्ति बंद किए जाने के फलस्वरूप 480 लाख रू. की आशोध्य एलसी का प्राप्त न होना एक असाधारण स्थिति है।

16.2 बकायादारों में रू. 46125 लाख की नियामक परिसंपत्तियां जिसमें रू. 3822 लाख प्राइवेट डिस्काम यथा मैसर्स बीआरपीएल तथा टाटा पावर इंजीनियरिंग की है। पुराने अनुभव से, असाधारण प्रकरण के रूप में पुराने बकायादार (नियामक परिसंपत्तियां) के खिलाफ तीन वर्ष से अधिक अवधि, रू. 868 लाख का प्रावधान खाता बहियों में किया गया है।

16.3 उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 2883/II–2015/01(50)/2011 दिनांक 07–11–2015 तथा 342/XXXVI(3)/2015(1)/2014 दिनांक 03.01.2015 जारी करके जल (विद्युत) उत्पादक केन्द्रों को निर्दिष्ट पदाधिकारी के पास गैर–उपभोज्य उपयोग पर जल–कर तथा हरित ऊर्जा उपकर (ग्रीन एनर्जी सेस) भुगतान हेतु पंजीकृत कराने की सलाह दी गयी है। यह कर सीईआरसी के अनुमोदन से हितकारियों से वसूली योग्य है। टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड सरकार की इस लेवी के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की है। मामला न्याय–निर्णयाधीन है। चूंकि यह नई लेवी है। पूर्वोक्त अधिसूचना से उत्पन्न असाधारण स्थिति तथा इस अनुदार दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए खाता–बहियों में रू. 9977 लाख की राशि उपलब्ध कराई गयी है।

17. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(रूपए लाख में)

		2015-16	2014-15
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	10*	10
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानून मामलों के लिए	-	-
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन	6	5
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	2

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

18.कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं निम्नानुसार है

(रूपए लाख में)

	विवरण	2015-16	2014-15
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	27	27
	परामर्श और व्यावसायिक प्रभार	249	253
	प्रबंधन / प्रतिबद्धता शुल्क	308	257
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	0	0
	माल का आयात	8781	17319
	अन्य (अग्रिम)	0	4
	सम्मेलन के लिए नामांकन	0	0
	साफ्टवेयर की खरीद	0	0
	अन्य	3746	1271
	कुल	**13111**	**19131**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
	i) पूंजीगत माल	8809	17336
	ii) अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**8809**	**17336**
घ	**प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
	i) आयातित (लाख रूपए में)	50	60
	(%)	6	11
	ii) देशी (लाख रूपए में)	749	568
	(%)	94	89
ड.	**निर्यात का मूल्य**	**0**	**0**

19. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2015-2016	2014-2015
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1400 मे.वा.	1400मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा) – (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मे.वा.	2844 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
	उत्पादन	4348.29007	4214.18286
	बिक्री(गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	3812.82617	3690.17112

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है, अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

20. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077468

दिनांक : 27.08.2016
स्थान : ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के मामले के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी और अशुद्धि से मुक्त हों, को तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और लेखापरीक्षण मापदंडों और मामले, जिनको अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या वित्तीय विवरण समग्र गलतबयानी से मुक्त हैं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, तैयार की जा सकें। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी तरीकों से प्रचालित करने की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कंपनी में है उस पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकरण सिद्धांतों के अनुरुप सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

(क) कंपनी के कार्य के संबंध में तुलनपत्र के मामले में, दिनांक

31 मार्च, 2016 को ;

(ख) हानि व लाभ विवरणों के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लिए; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह।

मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

(क) रू. 23984 लाख रूपए के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के बारे में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29 के पैरा 16.1 में मैसर्स वीआईपीएल की प्राप्ति योग्य बकाया हेतु प्रावधान किए गए हैं यद्यपि यह अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं हो।

(ख) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29 के पैरा 16.3 में गैर–उपभोगीय प्रयोग संबंधी जल कर एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाए गए रू. 9791 लाख के ग्रीन एनर्जी उपकर (सेस) के संबंध में बहियों में प्रावधान कर दिए गए हैं। तथापि, कंपनी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा उपर्युक्त लगाए गए कर के विरूद्ध याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन है। इसे अंतिम रूप देने पर प्रशुल्क (टैरिफ) में शामिल करने के लिए, यदि अपेक्षित हुआ, मामले को सीईआरसी विनियामक प्राधिकरण के साथ उठाया जा सकता है।

(ग) बिक्री के लेखाकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 20.1 के साथ पठित राजस्व मान्यता पर लेखाकरण नीति सं. 10(i) के अनुसार वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर बिक्री को मान्यता दे दी है।

(घ) प्रासंगिक देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29 के पैरा 2, जिसमें दावे/माध्यस्थतम कार्यवाही तथा कंपनी द्वारा अथवर ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा कोटि में दायर मामलों के परिणामों की अनिश्चितता के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ड़.) रू. 867.85 लाख के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 11 में उत्तराखंड राज्य में स्थित मलारी झेलम एवं झेलम तमक जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में चल रहे पूंजीगत कार्य शामिल है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन विचाराधीन है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय भिन्न नहीं है।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारतीय केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 द्वारा यथापेक्षित विवरण उक्त आदेशों के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में **''अनुलग्नक क''** में प्रस्तुत हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों पर जांच वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका अनुपालन **''अनुलग्नक–ख''** में किए है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं देखी हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में बहियों की हमारी छानबीन से अब तक प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा विवरणों के अनुरुप है।

   (घ) हमारी राय में एक मात्र उल्लिखित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

   (ड.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई. दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान जो निदेशकों की अनर्हता से संबद्ध है, कंपनी पर लागू नहीं है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक

नियंत्रणों एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी प्रचालनों के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट **''अनुलग्नक ग''** देखें !

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय में और बेहतर जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार शामिल किया जाना है–

i. कंपनी ने इसी वित्तीय स्थिति पर इस वित्तीय विवरण पर लंबित कानूनी अड़चनों के प्रभाव का खुलासा कर दिया है– वित्तीय विवरण की टिप्पणी 29.2 का संदर्भ लें;

ii. कंपनी के पास गौंण संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में पहले से कोई भी वास्तविक घाटा नहीं हैं।

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को किसी प्रकार की राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

पी डी अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 077468

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 27.08.2016

अनुलग्नक–क

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट भाग

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i.(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर जमीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बाँध परियोजना अथवा टिहरी जल विकास परियोजना के नाम पर प्राप्त की गयी। टिप्पणी क्रमांक 29.5(i) एवं (ii) से विदित होता है कि स्वामित्व विलेख में 615.24 हेक्टे. फ्री होल्ड तथा 1.875 हेक्टे. लीज भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई की गयी।

ii. वस्तु सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है। वस्तु सूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार आदेश के पैराग्राफ–3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी चालित लागत रिकार्ड का रखरखाव कर रही है। वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

vii.(क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2016 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित व्यापार कर जमा नहीं किए गए हैं।

वित्त वर्ष	धनराशि (रू. लाख में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2012-13 से 2014-15	13.37	सेवा कर	टीएचडीसीआईएल ने मांग के विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील दायर की है।

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

ix. हमारी राय में तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जिस कार्य के लिए धन लिया था वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी है।

xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का सं. जीएस आर 463 ई दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची v में प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xii. हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों का सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 117 एवं 188 के अनुरूप है तथा ऐसे लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

xiv. प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई प्रोफरेशियल अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिवेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया अतएव आदेश के खंड 3 (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

xv. हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया अतएव आदेश के खं 3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

पी डी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(तरूण गुप्ता)
सदस्यता सं. 077468

स्थानः ऋषिकेश
दिनांक : 27.08.2016

अनुलग्नक–'ख'

टीएचडीसी इंडिया लि. के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' में संदर्भित पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–'ख')

क्र. सं.	निर्देश	हमारी रिपोर्ट लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	लेखांकन एवं वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी ने स्वामित्व/लीज विलेख को क्रमशः फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड कराने के लिए अनुमति दे दी यदि नही तो कृपया फ्री होल्ड और लीज होल्ड कराने योग्य भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के परिवर्तित नाम से पूर्व फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि या तो टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन के नाम से प्राप्त की गई। स्वामित्व विलेख को नए नाम में परिवर्तित कराने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है अर्थात फ्रीहोल्ड भूमि 615.24 हेक्टेयर तथा लीज होल्ड भूमि 1.875 हे. का विवरण टिप्पणी 29.5(i)(ii) में दिया गया है।	पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तन कराने हेतु राजस्व अधिकारियों के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है।	शून्य
2	क्या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने संबंधी कोई प्रकरण है यदि हां तो उसके कारण और राशि बताए।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि माफ करने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है।	लागू नहीं	शून्य
3	क्या अन्य पक्ष के पास उपलब्ध वस्तुसूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित अभिलेख रखा जा रहा है।	हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, अन्य पक्ष के पास उपलब्ध वस्तुसूचियों का समुचित अभिलेख रख रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई संपत्ति उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई।	समुचित अभिलेख का रख–रखाव किया जा रहा है।	शून्य

कृते पी डी अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(तरूण गुप्ता)
सदस्यता सं. 077468

स्थानः ऋषिकेश
दिनांक : 27.08.2016

अनुलग्नक–ग

टीएचडीसी इंडिया की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' में संदर्भित अनुलग्नक 'ग')

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण की इसी तिथि को समाप्त वर्ष की अपनी लेखापरीक्षा के साथ की।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया है तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारी वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन की जोखिम मूल्यांकन की वास्तविक जोखिम का निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय लेखांकन की विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी का वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और पूर्ण संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय लेखांकन तैयार करने हेतु लेन–देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय–व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों

का अनाधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय लेखांकन पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथासमय पता लगाना।

वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक नियंत्रण की अंतर्निहित सीमा

मिलीथगत या नियंत्रण के अपुष्ट प्रबंधन सहित वित्तीय लेखांकन के वित्तीय नियंत्रण पर निहित सीमाओं के कारण गलती या धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत बयानी हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधि के वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन में प्रक्षेपण भी इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक नियंत्रण दशाओं में परिवर्तन या नीतियों या प्रक्रिया विधियों के अनुपालन के स्तर में कमी अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2016 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

कृते पी डी अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001049सी

(तरूण गुप्ता)
सदस्यता संख्या – 077468

स्थानः ऋषिकेश
दिनांक : 27.08.2016

गोपनीय

No. MAB-III/Rep/A/cs-THDC/01-79/2016-17/943

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–।।।
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

Indian Audit & Accounts Department
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक / Dated 16 सितम्बर, 2016

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय: 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूं। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीया,
ह. / -
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Tel.: 011-23239227, Fax: 011-23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 27 अगस्त, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके कारण इस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/–

(रितिका भाटिया)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 16 सितंबर, 2016

नई टिहरी टाउन का विहंगम दृश्य

A panoramic view of New Tehri Town

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)
Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road,
Rishikesh - 249201 (Uttarakhand)
Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2430753 Fax : (0135) 2439442, 2439408
CIN : U45203UR1988GOI009822 Website: http://thdc.co.in